लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 9, गुरुवार, 25 नवम्बर, 1971/4 अग्रहायण, 1893 (शक)
No. 9, Thurday, November 25, 1971/Agrahayana 4, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
241. न्यूनतम बोनस के लिये सांविधिक व्यवस्था	Statutory Provision for Minimum Bonus ..	1—4
242. खान कर्मचारियों के लिये सार्वजनिक कल्याण निधि	Common Welfare Fund for Mine Workers ..	4—5
244. अमरीका द्वारा वियतनाम में भेजे गये हथियारों का पाकिस्तान पहुंचाया जाना	US Arms from Vietnam Diverted to Pakistan ..	5—7
245. पत्थर की खानों पर खान अधिनियम का लागू किया जाना	Application of Mines Act to Stone Quarries ..	7—8
250. मुख्य इस्पात उत्पादकों की साझी एजेन्सी की स्थापना	Setting up of Common Agency of Main Steel Producers ..	8—10
251. बेरोजगारी के बारे में विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Unemployment ..	10—14
253. रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन	Production in Rourkela Steel Plant ..	14—16
256. ईरान के शाह के जरिये भारत और बंगला देश के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति की गुप्त वार्ता	Pakistan President's Secret Talks with India and Bangla Desh through Shah of Iran ..	16
258. कोक की कमी के कारण इस्पात के उत्पादन में कमी	Fall in Production of Steel due to Coke Shortage ..	17—18

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
259. अभ्रक की खानों का राष्ट्रीय करण	Nationalisation of Mica Mines ..	18—19
269. पाकिस्तान में "भारत कुचलो आन्दोलन"	"Crush India Campaign" in Pakistan ..	19—20

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
243. पश्चिम पाकिस्तान से गैर कानूनी रूप में आये व्यक्तियों को पाकिस्तान उच्च आयोग में आश्रय दिया जाना	Illegal Entrants from West Pakistan given shelter in Pakistan High Commission ..	20
246. भारत द्वारा श्रीलंका को नया ऋण दिया जाना	India's New Credit to Ceylon ..	21
247. विदेश नीति आयोजन बोर्ड	Foreign Policy Planning Board ..	21
248. ताशकन्द के ढंग का सम्मेलन	Tashkent Type Conference ..	21
249. श्री लंका द्वारा पाकिस्तान के सैनिक विमानों को आवाजाही सुविधाओं का दिया जाना	Transit Facilities provided by Ceylon to Pak. Military Aircraft ..	22
252. कोकिंग कोयला खानों के पुन-र्निर्माण के सम्बन्ध में पौलैंड के विशेषज्ञों की सिफारिशें	Recommendations of Polish Experts on Re-structuring of coking coal Mines ..	22
254. मध्य प्रदेश में बृहत खनिज निक्षेपों का पाया जाना	Discovery of Rich Deposits in Madhya Pradesh ..	22—23
255. मध्य प्रदेश में पन्ना हीरा क्षेत्र के निकट एक अन्य हीरा क्षेत्र का पाया जाना	Discovery of Diamond Belt near Panna Diamond Belt in Madhya Pradesh ..	23
257. कोककर कोयला खनन उद्योग के कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा	Job Security to Employees of coking coal Mining Industry ..	23—24
260. रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने के लिये नये प्रस्ताव	New proposals for expansion of Employ-ment Opportunities. ..	24—25

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
261. बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या के बारे में तटस्थ देशों की विज्ञप्ति	Non-Aligned Countries Communique regarding Bangla Desh Refugees problem	25
262. स्वेज नहर का पुन: खोला जाना	Reopening of Suez Canal ..	25—26
263. धनबाद में कोयला खनिकों की मृत्यु	Death of coal Miners in Dhanbad	26
264. इस्पात सम्बन्धी धांधली के समाचारों की जांच	Probe into Reports of Racket in Steel	26
265. बाराकर स्थित बेगोनिया कोयला खान को दिया गया मुआवजा	Compensation paid to the Begonia Colliery Barakar ..	27
266. बंगला देश के बारे में जापान का दृष्टिकोण	Attitude of Japan re. Bangla Desh ..	27
267. ऊ थान्ट का भारत और पाकिस्तान का दौरा	Visit of U Thant to India and Pakistan	27—28
268. पूर्वी क्षेत्र के लिये विकास योजना	Development Plan for Eastern Region	28
270. विदेश मंत्री की विदेश यात्रा	Visit of External Affairs Minister Abroad ..	28
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1594. पालामऊ (बिहार) में अल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना	Setting up of Aluminium Plant in Palamau (Bihar) ..	29
1595. जापान से इस्पात का आयात	Import of Steel from Japan ..	29
1596. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा खानों के विकास पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Development of Mines by National Mineral Development Corporation ..	29—30
1597. कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendations of Coal Mines Wage Board	30
1598. आसाम में इस्पात का वितरण	Distribution of Steel in Assam ..	30
1599. कोयला खानों में तालाबन्दी	Lock out in Collieries	31
1600. कार्मिक संघों का कम मजूरी पर प्रबन्धकों से समझौता	Unions Agreement with Management accepting lower wages ..	31
1601. सूती कपड़ा उद्योग के लिये भविष्य निधि योजना	Provident Fund Scheme for Textile Industry ..	31—32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1602.	कपड़ा मिलों में परिवार पेंशन योजना	Family Pension Scheme in Textile Mills ..	32
1603.	गत अन्तर्सत्रावधि में विदेशों को भेजे गए मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल	Ministerial Delegations sent to Foreign Countries during last Inter Session Periods	32—33
1604.	फ्रांस से 6 दरवाजे वाली कार का क्रय	Purchase of six door car from France	33
1605.	अग्निगुंडाला लेड माइंस के प्रबन्धकों द्वारा पुलिस का बुलाया जाना	Requisitioning of Police by Management of Agnigundala Lead Mines ..	33—34
1606.	विरोधी दलों के नेताओं को बंगला देश की गतिविधियों से अवगत कराना	Apprising Opposition Leaders about Development in Bangla Desh ..	34
1607.	बंगला देश में घटनाएं	D lopments in Bangla Desh	34—35
1608.	बंगला देश के शरणार्थियों के मामले में मध्यस्थता	Mediation over Bangla Desh Refugee Affair ..	35
1609.	पूर्वी बंगाल की समस्या के बारे में ब्रिटेन द्वारा मध्यस्थता करने का प्रस्ताव	Offer of Mediation by U. K. on East Bengal Problem .	35—36
1610.	महाराष्ट्र में नागपुर विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग द्वारा प्लैटिनम के निक्षेपों का पता लगाया जाना	Discovery of Platinum Deposits by Geology Department of Nagpur University in Maharashtra ..	36
1611.	तमिलनाडु में विशेष इस्पात के निर्माण के लिये प्रयोग किये जाने वाले खनिज का पता लगना	Discovery of a Mineral Used for Manufacture of Special Steel in Tamil Nadu ..	36—37
1612.	तमिलनाडु में खनिज निक्षेप	Mine a Deposits in Tamil Nadu ..	37—38
1613.	केरल में पारे का मिलना	Discovery of Mercury in Kerala ..	39
1614.	कलकत्ता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता / नगर प्रतिकर भत्ता देना	HRA/CCA to ESIC Employees in Calcutta ..	39—40
1615.	कोचीन पत्तन पर अक्तूबर, 1971 में हुई हड़ताल	Strike in Cochin Port in October, 1971 ..	40

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1616.	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizer ..	40—41
1617.	नेपाल में पूर्व पश्चिम राजपथ का निर्माण	Construction of East West Highway in Nepal ..	41
1618.	दिल्ली में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Delhi ..	41—42
1619.	पूर्वी बंगाल से आये विस्थापितों के लिये घर	Homes for displaced persons from East Bengal ..	42—43
1620.	विदेशी सूचना और सांस्कृतिक केन्द्रों का संचालन करने वाले नियम	Rules Governing Operations of Foreign Information and Cultural Centres ..	43
1621.	पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत के प्रधान मंत्री से मिलने की इच्छा	Pakistan President's Willingness to meet Indian Prime Minister	43—44
1622.	आकाशवाणी के विरुद्ध पाकिस्तानी रेडियो के प्रचार का विरोध	Protest against Pakistan Radio Tirade against All India Radio ..	44
1623.	बंगला देश के सम्बन्ध में मिश्री अरब गणराज्य के विचार	Views of Arab Republic of Egypt on Bangla Desh ..	44—45
1624.	लोहा, इस्पात और कोयला उद्योगों का कार्यकरण	Performance of Iron and Steel and Coal Industries ..	45
1625.	बंगला देश में सम्मेलन	Conference on Bangla Desh ..	46
1627.	लघु इस्पात संयत्रों के लिये आवेदन पत्र	Applications for Mini Steel Plants ..	46—47
1628.	नेपाली नागरिकों की भारत में गतिविधियां	Activities of Nepalese Citizens in India ..	47—48
1629.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में लगी पूंजी	Investment in Hindustan Zinc Limited ..	48
1631.	रोजगार सम्बंधी नीतियों के निर्धारण के लिये केन्द्रीय जनशक्ति एजेंसी	Central Manpower Agency to evolve employment Policies ..	49
1633.	बंगला देश के शरणार्थियों के लिये अप्रयुक्त पड़े ट्रक	Unutilized trucks for Bangla Desh Refugees ..	49
1634.	बहराइच, उत्तर प्रदेश में ईट भट्ठों को कोयले की सप्लाई	Supply of coal to Brick Kilns in Bahraich, U. P. ..	50
1635.	कोयले का उत्पादन	Production of Coal ..	50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1636.	बंगला देश से आये शरणार्थियों पर व्यय	Expenditure on Bangla Desh Refugees ..	51
1637.	पाकिस्तानी सैन्य विमानों और नौसेना पोतों को श्री लंका द्वारा दी गई सुविधायें	Facilities Provided by Ceylon to Pakistan Military Planes and Naval Vessels ..	51
1638.	दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का बंगला देश के मामले पर दृष्टिकोण	South East Asian Countries Stand on Bangla Desh Issue ..	52
1639.	हजारी बाग, बिहार में बंगला देश के शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Bangla Desh Refugees in Hazaribagh, Bihar ..	52
1640.	विदेश मन्त्री की नेपाल यात्रा	Visit of Minister of External Affairs in Nepal ..	52—53
1641.	भारत मूलक ब्रिटेन के निवासियों द्वारा ब्रिटिश उच्चायोग में धरना	Dharna in British High Commission by British Subjects of Indian Origin ..	53
1642.	भारत द्वारा पाकिस्तानी वायु सीमा का अतिक्रमण	Violation of Air Space of Pakistan by India ..	53—54
1643.	पश्चिम बंगाल में बंगला देश के शरणार्थियों के लिये औद्योगिक बस्तियों की स्थापना	Setting up of Industrial Estates for Refugees from Bangla Desh in West Bengal ..	54
1644.	हिन्तुस्तान स्टील लिमिटेड और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का कार्यकरण	Working of Hindustan Steel Limited and Heavy Engineering Corporation Ranchi ..	54—55
1645.	श्रम आयुक्तों का सम्मेलन	Conference of Labour Commissioners ..	55
1646.	बेरोजगारी मिटाने के लिये विदेशी सहायता	Foreign help to solve unemployment ..	55
1648.	अलौह धातुओं का उत्पादन	Production of non-ferrous metals ..	55
1649.	ईरान की ओर से मध्यस्थता का प्रस्ताव	Mediation proposal from Iran ..	56
1650.	निरीक्षण पक्ष में कार्यभार में कमी	Reduction in work load in Inspection Wing	56
1651.	प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिये मांगी गई सामग्री	Supplies Indented for Defence requirements ..	56—57
1652.	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा देश के आन्तरिक स्रोतों से की गई खरीद	Purchase made by DGS & D from Indigenous Sources ..	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1653.	गुजरात में रोजगार कार्यालय	Employment Exchanges in Gujarat ..	58—59
1654.	पश्चिम बंगाल में इस्पात की मांग	Requirement of Steel in West Bengal ..	59
1655.	इस्पात का मूल्य निर्धारित करने के सिद्धान्त	Principles of price fixation of Steel ..	59—60
1656.	मध्य प्रदेश में चीनी उद्योग के लिये दूसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करना	Implementation of recommendations of Second Wage Board for Sugar Industry in Madhya Pradesh ..	60
1657.	शिविरों में नहीं रह रहे शरणार्थियों के लिये राशन तथा अन्य सहायता	Rations and other assistance to non-camp refugees ..	60—61
1658.	बंगला देश के शरणार्थियों को सप्लाई किये गये कम्बल	Blankets supplied to Bangla Desh Refugees ..	61
1659.	दुर्गापुर में धमन भट्टी को क्षति	Damage of Blast Furnace at Durgapur ..	61—62
1660.	तकनीकी रोजगार ढूंढने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण और रोजगार	Training and Employment to technical job Seekers ..	62
1661.	ओमेगा दल का बंगला देश में प्रवेश	Entry of Omega Team to Bangla Desh ..	62
1662.	एक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी की यात्रा	Visit by an Assistant Secretary of State of USA ..	62—63
1663.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी कुलती वर्क्स, आसनसोल के कर्मचारियों की जबरी छुट्टी	Lay off of workers of Indian Iron and Steel Company's Kulti Works Asansol ..	63
1664.	बर्नपुर आसनसोल वर्क्स की शीट मिल में तालाबन्दी	Lock out in Sheet Mill of Burnpur Asansol ..	63—64
1665.	प्योर शीतलपुर कोयला खान आसनसोल में श्रमिकों की बकाया राशि	Workers dues in pure Shitalpur Colliery, Asansol ..	64
1666.	ईस्ट जामबाद कोलियरी के मजदूरों की बकाया राशि	Dues of Workers of East Jambad Colliery ..	64
1667.	राजस्थान में राक फास्फेट के निक्षेप	Deposits of Rock Phosphate in Rajasthan ..	65

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1668.	विदेशों में दिखाये जा रहे भारत के सम्बन्ध में आपत्तिजनक चल-चित्र	Objectionable Films on India being Displayed in Foreign Countries ..	65
1669.	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य का पुनर्विलोकन	Review of Rehabilitation Work in West Bengal ..	65—66
1670.	राजस्थान में निष्क्रान्त कृषि भूमि	Evacuee Agricultural Lands in Rajasthan ..	66—67
1671.	हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के सहायक इंजीनियरों की पदोन्नति	Promotion to Assistant Engineers of Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	67
1672.	बंगला देश के मामले में इंडोनेशिया और मलयेशिया का रवैया	Attitude of Indonesia and Malayasia on Bangla Desh ..	67
1673.	मध्य प्रदेश में तांबे के खानों के निक्षेप	Deposits of Copper Mines in Madhya Pradesh ..	67—68
1675.	इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Indian Diplomats in Islamabad ..	68
1676.	उत्तर प्रदेश में इस्पात की चोर बाजार में बिक्री	Sale of Steel in Black Market in U. P. ..	68—69
1677.	गैर मान्यता प्राप्त पुनर्बेलन मिलों का पंजीकरण	Registration of Unrecognised Re-rolling Mills ..	69
1678.	अपंजीकृत पुनर्बेलन मिलों द्वारा कर्मचारियों को रोजगार	Employment of Workers by Unregistered Re-rolling Mills ..	69
1679.	पंजीकृत पुनर्बेलन मिलों को बिलेट का आबंटन	Allotment of Billets to Registered Rerolling Mills ..	70
1680.	पाकिस्तान द्वारा हथियाई गई भारतीय नौकाओं का प्रयोग	Seized Indian Boats used by Pakistan ..	70
1681.	भारत में शरणार्थियों की वापसी के सम्बन्ध में झूठा प्रचार	False propaganda regarding Return of Refugees from India ..	70—71
1682.	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी जमशेदपुर में ठेका पद्धति	Contract system in Tata Engineering and Locomotive Company, Jamshedpur ..	71
1683.	अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में लोगों के लिये रोजगार	Jobs to people in identified Backward Areas ..	71—72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1684.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कथित प्रभावहीन प्रबन्ध	Alleged Ineffective Management of National Coal Development Corporation ..	72
1685.	राज्यों में औद्योगिक विकास के लिये इस्पात की आवश्यकता	Requirement of Steel for Industrial Development in States ..	72—73
1686.	पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की समस्याएं	Problems of East Bengal Displaced Persons ..	73—74
1687.	सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Statistical Institute, Calcutta ..	74
1688.	भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया अन्वेषण	Explorations by Geological Survey of India ..	74—76
1689.	लोहे के ढांचे और लोहे की प्लेटों का मूल्य	Cost of Iron Structurals and Iron Plates ..	76—77
1690.	बोकारो स्टील लिमिटेड के एक कर्मचारी की मृत्यु	Death of a Worker of Bokaro Steel Limited ..	77—78
1691.	दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध आरोप	Allegation against Managing Director of Durgapur Project Limited ..	78
1692.	जापानी मिशन का दौरा	Visit of Japanese Mission ..	78—79
1693.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की मांगें	E. P. F. O. Employees' Demands ..	79
1694.	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	International Labour Organisation ..	79
1695.	सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कोकर कोयला खानों का कार्यकरण	Functioning of coking coal mines taken over by Government ..	79—80
1696.	बंगला देश के शरणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये परियोजना	Project to provide employment to Bangla Desh Refugees ..	80
1697.	शरणार्थियों को सीमावर्ती क्षेत्रों से हटाना	Evacuation of Refugees from border areas ..	80
1698.	आसनसोल स्थित प्योर सीतलपुर खान का बंद होना	Closure of Pure Shitalpur Colliery Asansol ..	81
1699.	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के चिकित्सा अधिकारियों का ज्ञापन	Memorandum from Medical Officers of Heavy Engineering Corporation Ranchi ..	81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1700.	रोजगार की खोज करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्ति	S. C. and S. T. job seekers	81—82
1701.	कोचिंग कम गाइडैंस सेंटरों द्वारा प्रशिक्षित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार	S. C. and S. T. candidates trained by Coaching cum-Guidance Centres	82—83
1702.	रोजगार सूचना सीरीज का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन	Publication of Career Information Series in Regional Languages ..	83
1703.	व्यवसायों की कमी	Shortage in occupation ..	83—85
1704.	पूर्ति विभाग में विभागीय पदोन्नतियों के बारे में नियम	Rules regarding Departmental Promotions in Department of Supply ..	85
1705.	झरिया क्षेत्र की कोककर खानों का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of coking coal mines in Jharia area ..	86
1706.	रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced persons of Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	86
1707.	बिहार में धातु शोधक कोयला खानों का काम ठेकेदारों द्वारा किया जाना	Execution of work of coking coal Mines in Bihar by Contractors ..	86
1708.	बिहार में गिरीडीह कोयला खानों को सहकारिता के आधार पर चलाना	Running of Giridih Collieries in Bihar on co-operative Basis ..	87
1709.	उड़ीसा में आया तूफान	Cyclone in Orissa	87
1710.	हिन्द महासागर में रूसी पनडुब्बी	Soviet submarines in Indian Ocean ..	88
1711.	इस्पात के वितरण की प्रक्रिया	Procedure of Steel Distribution ..	88—89
1712.	भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से शिकायत	Pakistan's complaint against India to Secretary General, U. N.	89
1713.	केरल में सोने के निक्षेपों का पता लगाने के लिये भारत के भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया सर्वेक्षण	Survey conducted by Geological Survey of India for locating Gold Deposits in Kerala ..	89—90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1714. अमरीका द्वारा अन्य देशों के माध्यम से पाकिस्तान को सैनिक सहायता	U S arms aid to Pakistan through third Countries	90
1715. भारतीय दूतावासों पर व्यय	Expenditure on Indian Embassies ..	90
1716. राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को नगर भत्ता देना	Grant of City Allowance to Employees of Rourkela Steel Plant ..	90—91
1717. गैर मान्यता प्राप्त यूनियनें	Unrecognised Unions	91
1718. आल इंडिया लेबर कान्फ्रेंस में सी० आई० टी० यू० द्वारा भाग लेना	C. I. T. U. Participation in ILC	91—92
1719. करांची स्थित भारतीय हाई कमीशन की तलाशी	Search of the Indian High Commission at Karachi ..	92
1720. बोनस फार्मूले का लागू किया जाना	Implementation of Bonus Formula	92
1721. दिल्ली के खरेड़ा ग्राम में भूमि का आवंटन	Allotment of land in Kharera village Delhi ..	92—93
1722. सलेम में इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of Steel Plant at Salem	93
1723. भारत रूस मैत्री सन्धि के प्रति चीन की प्रतिक्रिया	Reaction of China to Indo-Soviet Peace Treaty ..	93
1724. गुट निरपेक्ष देशों के ग्रुप को न्यूयार्क में होने वाली बैठक में भाग लेने के लिये भारत को निमंत्रण पत्र	Invitation to India to attend Non-aligned Groups Meeting at New York ..	94
1725. पश्चिम बंगाल में शरणार्थी शिविरों में राहत कार्य करने वाले विदेशी	Foreign Personnel working in Relief Camps in West Bengal ..	94
1726. जस्ते के कारखानों के स्थान	Location of Zinc Factories ..	94
1727. कार्मिको विनानी जिंक लिमिटेड में उत्पादन	Production in Cominco Binani Zinc Ltd. Kerala ..	94—95
1728. श्रमिकों को दी जाने वाली शिक्षा की प्रगति का पुनर्विलोकन	Review of Progress of Workers' Education ..	95
1729. कनाडा में भारतीयों के प्रति भेदभाव	Discrimination against Indians in Canada ..	95

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
कलकत्ता विश्वविद्यालय के परिसर में हुए कथित आक्रमण के बारे में	Re alleged attack on calcutta University premises ..	96
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	96—97
राज्य सभा से सन्देश	Massages from Rajya Sabha .	97
मेघालय में शिविरों में बंगला देश से आये हुए शरणार्थियों की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* condition of Bangla Desh Refugees in Camps in Meghalaya	97—98
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	97—98
राजनयिक सम्बन्ध (वियेना कनवेन्शन) विधेयक—पुरःस्थापित	Diplomatic Relations (Vienna Convention) Bill-Introduced ..	9
रेलयात्री भाड़ा अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और रेल यात्री भाड़ा विधेयक	Statutory Resolution *re.* Railway Fares Ordinance and Railway Passenger Fares Bill ..	99—107
श्री सरजू पाण्डे	Shri Sarjoo Pandey	99
श्री सी० चित्तिबाबू	Shri C. Chittibabu	99—101
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah ..	101
श्री धन शाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	101
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena ..	101
श्री राम कंवर	Shri Ramkanwar ..	101—102
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	102
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi ..	102—106
विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	Motion to consider the Bill—adopted ..	106
खण्ड 2 से 8 और 1	Clauses 2 to 8 and 1 ..	106—107
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ..	107
डाक वस्तुओं पर कर अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और डाक वस्तुओं पर कर अधिनियम	Statutory Resolution *re.* Tax on Postal Articles Ordinance and Tax on Postal Articles Bill ..	108—114
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarayan Pandeya	108
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh ..	108—109
श्री टी० एस० लक्ष्मणन	Shri T. S. Lakshmanan ..	109—110
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra ..	110

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ..	110—111
श्री राम कंवर	Shri Ramkanwar	111
श्री राम देव सिंह	Shri Ram Deo Singh ..	111
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena ..	111—113
विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	Motion to consider the Bill—adopted ..	113
खण्ड 2 से 6 और 1	Clauses 2 to 6 and 1 ..	113—114
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass ..	114
अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर विधेयक	Statutory Resolution *re* Inland Air Travel Tax Ordinance and Inland Air Travel Tax Bill ..	114—120
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo ..	114—115
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh ..	115—116, 118—119
श्री एम० के० कृष्णन	Shri M. K. Krishnan ..	116
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra ..	116—117
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen ..	117
श्री सी० चित्तिबाबू	Shri C. Chittibabu ..	117—118
विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	Motion to consider the Bill—adopted ..	119
खण्ड 2 से 9 और 1	Clauses 2 to 9 and 1 ..	119—120
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ..	120
स्टाम्प और उत्पादन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और स्टाम्प और उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक	Statutory Resolution *re* Stamp and Excise Duties (Amendment) Ordinance and Stamp and Excise Duties (Amendment) Bill ..	121—126
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	121
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi ..	121
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi ..	121-122,126
श्री सी० चित्तिबाबू	Shri C. Chittibabu ..	122—123
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu ..	123—124
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	124
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena ..	124—125
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ..	125—126

LOK SABHA
लोक-सभा

गुरुवार, 25 **नवम्बर**, 1971/4 **अग्रहायण**, 1893 (**शक**)

Thursday, November 25, 1971/Agrahayana 4, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

न्यूनतम बोनस के लिए सांविधिक व्यवस्था

+
*241. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री दिनेश जोरदर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी कार्मिक संघ संगठनों की इस सर्वसम्मत मांग को, कि 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस दिए जाने के बारे में सांविधिक व्यवस्था कर दी जाये, पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये नया विधान बनाने में मालिकों द्वारा किया जाने वाला विरोध ही एक मात्र बाधा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). इस मामले पर भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा हाल ही में विचार-विमर्श किया गया और यह महसूस किया गया कि अधिनियम में समाविष्ट बोनस योजना का किसी समिति द्वारा, जो द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय हो सकती है, पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपने प्रश्न के भाग (ख) का अधिक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। मैंने भाग (ख) के द्वारा एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है। उसका क्या उत्तर है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार है :

"क्या इस प्रयोजन के लिये नया विधान बनाने में मालिकों द्वारा किया जाने वाला विरोध ही एक मात्र बाधा है ?"

यह बात सही नहीं है । भारतीय श्रम सम्मेलन के होने से पहले राज्य सभा में जब श्री चित्तिबाबू ने यह प्रश्न उठाया था तो मैंने यह वचन दिया था कि हम समूची बोनस योजना का पुनर्विलोकन करेंगे । अतः इस संदर्भ में यह समिति नियुक्त की जायेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सभी केन्द्रीय कार्मिक संघों ने, समिति के विचारों से अन्तिम रूप से सहमत होते हुए बिना किसी अपवाद के इस बात पर बल दिया है कि त्रिपक्षीय समिति के स्थान पर एक द्विपक्षीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये ताकि वे मालिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को आपस में किसी बात पर सहमत होने की कोशिश करें क्योंकि यह अधिक लाभदायक होगा ? मैं यही जानना चाहता हूं कि जिस समिति को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है क्या वह समिति कार्मिक संघों की मांग के अनुसार द्विपक्षीय समिति होगी अथवा सरकार उसमें तीसरी पार्टी के प्रतिनिधियों को लाने का आग्रह करेगी जबकि कार्मिक संघ ऐसा करना नहीं चाहते हैं ।

श्री आर० के० खाडिलकर : यह सही है कि भारतीय श्रम सम्मेलन में कार्मिक संघों ने द्विपक्षीय समिति बनाये जाने पर बल दिया था परन्तु सम्मेलन के समापन के पश्चात् इसका रिकार्ड रखा गया और सभी पार्टियों से परामर्श के पश्चात् केन्द्रीय कार्मिक संघ इस बात पर सहमत हो गये कि द्विपक्षीय समिति या त्रिपक्षीय समिति दोनों में से कोई भी बना ली जानी चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि यह समिति एक प्रकार का दूसरा बोनस आयोग बनने जा रहा है तो क्या मंत्री महोदय पहले बोनस आयोग में जो कुछ हुआ था उसे दोहराने की जोखिम नहीं उठा रहे हैं ? यथा, यदि वह इसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक ढंग अपनायेंगे और अल्पसंख्यकों की सिफारिशों के आधार पर कोई विधान बनायेंगे, जैसा पहले किया गया था तो उससे असंख्य कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी । क्या द्विपक्षीय समिति का बनाया जाना श्रेष्ठतर नहीं होगा जिससे बोनस के मामले में सहमति होने पर रास्ता साफ हो जायेगा और उसकी सिफारिशों को बहुसंख्यकों अथवा अल्पसंख्यकों की सिफारिश की गड़बड़ी में न पड़कर सरलता से क्रियान्वित किया जा सकेगा ?

श्री एस० एम० बनर्जी : इसमें श्री दांडेकर शामिल हैं ।

श्री आर० के० खाडिलकर : इस समय मैं यह अनुमान नहीं लगाता कि पिछली बार जो अनुभव अथवा जो कार्य किये गये थे उन्हें इस बार दोहराया जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्यों नहीं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : क्योंकि मालिक और श्रमिक दोनों की संख्या समान है और इसके अतिरिक्त प्रबन्धकों के प्रतिनिधित्व में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के एक प्रतिनिधि भी शामिल हैं ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : पिछली बार भी ऐसा ही था ।

श्री आर० के० खाडिलकर : वह सही है । अतः मेरे विचार से ये आशंकायें निर्मूल हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पिछली बार भी ऐसा ही आयोग बनाया गया था परन्तु श्री दांडेकर जो हमारे सहयोगी हुआ करते थे कि विमति टिप्पण पर सरकार ने यहां एक विधान पेश किया, न कि बहुसंख्यकों की सिफारिश के आधार पर। जब तक द्विपक्षीय करार नहीं किया जायेगा तब तक फिर भी वही खतरा है।

श्री आर० के० खाडिलकर : पिछली बार सरकार को अन्ततोगत्वा एक अध्यादेश लाना पड़ा था। अत: एक सदस्य द्वारा विरोध किया गया था तथापि सरकार ने उस प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की थी।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Government should have no objection in implementing it and giving bonus in the mills or industries which have been taken over. Is the hon. Minister going to make immediate arrangement to give bonus there ? Workers are not getting their share of bonus even in the mills taken over by the Government. Is he going to make this provision ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जिन संस्थानों को सरकार ने अपने अधिकार में लिया था वे राहत संस्थान हैं और जिन्हें काम देने के लिए अपने अधिकार में लिया गया है। उनमें भी हम कह चुके हैं कि वे 4 प्रतिशत अनुग्रहपूर्वक अदायगी करें क्योंकि बोनस का प्रश्न उत्पादिता, लाभ और कई बातों के संदर्भ में लिया जायेगा। अत: मैं यह नहीं कह सकता कि ये सारी बातें ऐसे संस्थानों पर लागू होंगी जो स्वभावत: राहत के आधार पर राहत संस्थाओं के रूप में चलाये जा रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि उन्हें ऐसा अभ्यावेदन दिया गया है कि खाडिलकर सूत्र नामक उनकी सिफारिश को कानपुर की सूती कपड़ा मिलों समेत उत्तर प्रदेश की किसी भी सूती कपड़ा मिल में लागू नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वहां के कर्मचारियों ने पहले ही निर्णय कर लिया है कि दिसम्बर में आम हड़ताल की जाये। क्योंकि उक्त मामला मंत्री महोदय और विदेश व्यापार मंत्री को भेजा हुआ है, तो इस मामले में क्या सक्रिय कदम उठाये गये हैं, जबकि मालिकों का संघ तो खाडिलकर सूत्र को लागू करने के लिये सहमत हो गया परन्तु सरकार ने अब अपना निर्णय बदल दिया है। क्योंकि श्री खाडिलकर और खाडिलकर सूत्र दोनों ही केन्द्रीय मामले हैं अत: केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या सक्रिय कदम उठायेगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री को पत्र लिखा है कि वह इस सूत्र को लागू करें और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि वह अपने पूरे प्रयास करेंगे।

कानपुर में जो कुछ हुआ, उसे मैं जानता हूं और माननीय सदस्य का श्रमिकों पर प्रभाव है अत: मैं चाहूंगा कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग करके श्रमिकों से इसको लागू करने को कहें, क्योंकि मालिक इसे लागू करने को तैयार हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने नहीं किया है। स्वदेशी काटन मिल्स भी नहीं।

श्री आर० के० खाडिलकर : अलग अलग मिलों को नहीं। मैं माननीय सदस्य से अपने पद का प्रयोग करने के लिये अनुरोध करूंगा कि वह यह देखें कि इसे क्रियात्मक रूप दिया गया है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां उनका प्रभाव अच्छा है।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि समूची बोनस योजना की जांच करने की घोषणा करने में उन्हें क्या बाधा है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : हमें सभापति सहित कर्मचारियों को अन्तिम रूप से चुनना है और निदेश पदों को अन्तिम रूप देना है। ये सब बातें हो रही हैं और हम शीघ्र ही निर्णय कर पायेंगे।

खान कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक कल्याण निधि

*242. **श्री निहार लास्कर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खान उद्योग के कर्मचारियों के लिए एक सार्वजनिक कल्याण निधि स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कल्याण निधि के लिए आवश्यक उपकर किस तरीके से लगाया तथा वसूल किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) एक सामान्य कल्याण निधि, जिसके अन्तर्गत कुछ खनन उद्योगों में नियोजित श्रमिक आ जाएंगे, स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) प्रस्ताव के ब्यौरे, जिसमें उपकर की उगाही और एकत्रीकरण की रीति शामिल है, तैयार किए जा रहे हैं।

श्री निहार लास्कर : यह हर्ष की बात है कि सरकार ने प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है। किन्तु अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को उसके अन्तर्गत क्यों नहीं रखा गया है; केवल कुछ क्षेत्र के कर्मचारियों को ही उसमें क्यों सम्मिलित किया गया है।

श्री बालगोविन्द वर्मा : कोयला, अभ्रक, लौह अयस्क जैसे कुछ खनन उद्योगों में यह निधि विद्यमान है। डोलोमाइट, लाइमस्टोन जैसे कुछ अन्य उद्योगों में भी इस निधि के बारे में विचार किया जा रहा है तथा उनके लिये भी इसकी व्यवस्था करदी जायेगी। शेष कुछ खनन उद्योगों के लिये भी इस बारे में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

श्री निहार लास्कर : उनको कब तक अंतिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : हमने इस बारे में संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखे हैं। अभी तक उनके पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं। उनका उत्तर पाते ही इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री राम सहाय पांडे : यह निधि बनाया जाना सराहनीय कार्य है। इससे कितने क्षेत्र का कल्याण होगा तथा इस बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : इसमें आवास, जल तथा ऐसी सुविधाएं सम्मिलित हैं जिनकी कर्मचारियों को बहुत आवश्यकता होती है।

Sbri Ramavatar Shastri : May I know whether such Welfare Fund has been created for the employees of those 214 coaking coal mines, which were under Private Sector previously but which have since been taken over by the Government, so that these employees may get those facilities ?

Shri Balgovind Verma : The coaking coal falls under the Coal Mines and the workers of these mines would also get all those facilities which are given to the employees of Coal Mines.

Shri Ramavatar Shastri : Are they not availing those facilities at present ?

Shri Balgovind Verma : They are getting. It is only your apprehension that they are not.

अमरीका द्वारा वियतनाम में भेजे गए हथियारों का पाकिस्तान पहुंचाया जाना

+

*244. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने औपचारिक रूप से अमरीका सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया है कि अमरीका द्वारा वियतनाम में भेजे गए हथियार पाकिस्तान पहुंचाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अमरीका सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अमरीका सरकार ने हमें कहा है कि उन्होंने अखबार में प्रकाशित इन रिपोर्टों की जांच की है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अमरीकी नियंत्रण के अन्तर्गत हटाए गए सैनिक साज-सामानों अथवा अतिरिक्त उपस्करों को वियतनाम से पाकिस्तान को हस्तान्तरित किया गया है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : महोदय ! मामला बहुत गम्भीर है तथा अमरीका की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है । माननीय मंत्री के वक्तव्य से यह विदित होता है कि अमरीका ने स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार नहीं किया है । उसने कहा है कि वियतनाम से पाकिस्तान को शस्त्र भेजे जाने के कोई प्रमाण नहीं हैं । क्या मंत्री महोदय ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है कि किसी तीसरे देश के माध्यम से वियतनाम से पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई नहीं की जा रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसका सम्बन्ध वियतनाम से शस्त्रों की सप्लाई किया जाना है । हमें इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह स्पष्ट विदित हो कि वियतनाम से पाकिस्तान को फालतू सैनिक उपकरणों की सप्लाई की जा रही है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : यह सच है कि वियतनाम से भारी संख्या में अमरीकी सेना वापस लौट रही है तथा वहां उनके पास भारी तादाद में अस्त्र शस्त्र हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार के काल्पनिक प्रश्न क्यों उठाते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वियतनाम स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से यह पता लगाया गया है कि वियतनाम से अमरीकी शस्त्रों का निपटान किस प्रकार किये जाने की योजना है।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने जांच कराई है। पहले कुछ आशंका उत्पन्न हुई थी किन्तु जांच के पश्चात उस आशंका की पुष्टि होने के कोई प्रमाण नहीं मिले।

श्री चिंतामणी पाणिग्रही : माननीय मंत्री ने इसी सदन में वायदा किया था कि सरकार वियतनाम से पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई तथा अन्य देश के माध्यम से पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई के सम्बन्ध में अमरीका सरकार से संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है। परन्तु जब प्रधान मंत्री अमरीका गई थीं तो अमरीका सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई नहीं की जायेगी। उनका यह कहना उनका हमारे प्रति अनुकूल रवैये का प्रतीक था। किन्तु क्या मंत्री महोदय वियतनाम के माध्यम से पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई के बारे में अमरीका के उत्तर से संतुष्ट हैं ? क्या हमारी सरकार उनके इस उत्तर से संतुष्ट है?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने वास्तविक जानकरी दे दी है। मुझसे अपनी संतुष्टि और असंतुष्टि के बारे में बताने की आशा नहीं रखी जानी चाहिये। मैं भी उसी प्रकार संतुष्ट हूं जिस प्रकार अन्य माननीय सदस्य हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : अमरीका सरकार से पूछे जाने पर उसने बताया है कि इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सदन को मंत्री महोदय से यह पूछने का अधिकार है कि अमरीका द्वारा लगातार चाक्छल किये जाने को ध्यान में रखते हुये उनके इस अस्पष्ट वक्तव्य का मंत्री महोदय ने क्या अर्थ लगाया है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि वियतनाम से पाकिस्तान को हथियार भेजे जाने के बारे में स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि हमें नहीं मिली है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या इस का यह आशय है कि हम अमरीका सरकार द्वारा इस बात का खण्डन किये जाने पर विश्वास कर लें यद्यपि उनकी विगत नीति को ध्यान में रखते हुये यह खण्डन बड़े शब्दों में किया गया है।

श्री स्वर्ण सिंह : उनकी अस्वीकृति की सत्यता और झूठ का अनुमान हमें लगाना है। किन्तु यदि अमरीका सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती तो इस बात की सूचना सदन को देना मेरा कर्तव्य है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : माननीय मंत्री ने भविष्य वक्ता की भांति उत्तर दे दिया है। हमें पता नहीं है कि वियतनाम होकर पाकिस्तान को हथियारों को चोरी छिपे ले जाया जा रहा है अथवा नहीं। मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि जांच के दौरान इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण मिला है कि वियतनाम से पाकिस्तान में चोरी छिपे हथियार ले जाये गये हैं अथवा नहीं। क्या इस प्रकार का कोई साक्ष्य मिला है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं कह चुका हूं कि कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अमृत नाहटा : क्या सरकार को विदित है कि बंगला देश मुक्ति संघर्ष को दूसरा वियतनाम बनाने का भारी षड़यंत्र रचा गया है ? क्या सरकार को पता है कि दक्षिण वियतनाम में कुछ उच्च स्तर के अमरीकी सलाहकार अब पाकिस्तान में वहां की सेना को बंगला देश में वही सैनिक नीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं जो वियतनाम में अपनाई गई थी ?···

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस प्रश्न के माध्यम से सभी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते। मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अमृत नाहटा : हथियार और सलाहकार एक ही बात है । जब वहां पहले सलाहकार भेजे गये हैं तो हथियार भी भेजे जायेंगे । क्या सरकार को पता है कि क्या वही चाल यहां भी अपनाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है जो···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की स्वीकृति नहीं दे सकता। मूल प्रश्न से प्रश्नों का कोई सम्बन्ध तो होना ही चाहिए।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये कि वियतनाम से पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं भेजे गये, क्या उन हथियारों को पहले किसी अन्य देश में भेजा जा रहा है,तथा उस देश से बाद में पाकिस्तान को भेजा जा रहा है ? क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी, नहीं ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या अमरीका के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में किसी अन्य सूत्र से भी सत्यता का पता लगाने का प्रयत्न किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां, हमने प्रयत्न किया है तथा मैंने उसके परिणाम भी बता दिये हैं ?

पत्थर की खानों पर खान अधिनियम का लागू किया जाना

*245. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्थर की खानों पर खान अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियम लागू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार पत्थर की खानों के लिए एक श्रम कल्याण निधि प्रारम्भ करने का विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). पत्थर खानों पर खान अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम पहले से ही लागू होते हैं। तथापि, इमारती पत्थर, आदि निकालने में रत छोटी खानों पर अधिनियम के कुछ उपबन्ध लागू नहीं होते।

(ग) जी हां।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार से सम्बन्धित उपबन्धों को अधिनियम के अधीन खदानों और खानों पर लागू किया गया है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : इस मामले पर भारतीय श्रम सम्मेलन में सम्बद्ध सरकारों से विचार किया गया था। उसमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और हम उचित समय पर उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या पृथक श्रमिक कल्याण कोष बनाने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है अथवा खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये इस समय ऐसे किसी कोष की व्यवस्था है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : एक पृथक खान श्रमिक कल्याण कोष बनाया जायेगा जो लौह अयस्क, मक्का और कोयला खान कोष से भिन्न होगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated just now that the present Act does not apply to small mines. But some people starts small mines in the hope that this Act may not apply to them and the workers working in those mines may not get any benefit under those rules. The members of the same family undertake different small mines contracts so that the labourers may not be able to get the benefit of this Act. I want to know whether Government is intending to take some such steps so that persons working in those mines may get benefit under this Act ?

Mr. Speaker : Supplementary should have some connection with the main question.

Shri Balgovind Verma : So far as the small mines are concerned, they come under State Governments and they manage them.

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली (टिहरी-गढ़वाल) : क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ों पर चूने और रॉक फास्फेट आदि की खानों में काम करने वाले और अल्मोड़ा जिले में रॉक फास्फेट और मंसूरी की पहाड़ियों में चूने की खानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये कल्याण निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जहां तक चूना और डोलोमाइट खानों में काम करने वाले कर्मचारियों का सम्बन्ध है हम उनके लिये कल्याण निधि स्थापित करने के बारे में शीघ्र कानून बनायेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : रॉक फास्फेट और मेगनासाइट की खानों में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में क्या किया गया है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : इस बारे में हम पूरी जांच कर रहे हैं और उनके लिये कल्याण निधि स्थापित करने के बारे में हम शीघ्र कानून बनायेंगे।

मुख्य इस्पात उत्पादकों की साझी एजेन्सी की स्थापना

+

*250. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के कहने पर तीन मुख्य इस्पात उत्पादकों की एक साझी एजेन्सी स्थापित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां । संभवत: दिल्ली में भवन निर्माण की आवश्यकताओं के बारे में बनाई गई समिति की ओर संकेत है ।

(ख) भवन-निर्माण के कामों के लिये अलग रखा गया इस्पात जो मुख्य उत्पादकों के दिल्ली में स्थित तीन माल गोदामों में आता है, इकट्ठा कर लिया जायगा और मुख्य इस्पात उत्पादक समिति नाम की एक सांझी एजेंसी द्वारा बांटा जाएगा । इस समिति का कार्यालय हिन्दुस्तान स्टील लि० के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में है । आवेदक दिल्ली में किसी एक मुख्य उत्पादक को विहित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है । उसी प्रपत्र में पूछी गई सभी जानकारी देनी चाहिए और उसमें मांगे गये दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए । तीनों विक्रय कार्यालयों में प्राप्त हुये आवेदनों पर समिति द्वारा समन्वित ढंग से विचार किया जायेगा और उत्पादकों के किसी भी माल गोदाम से माल का आवंटन किया जायेगा ।

श्री पी० एम० मेहता : मैं यह जानना चाहता हूं कि सांझी एजेंसी स्थापित करने के क्या कारण हैं और क्या वर्तमान वितरण प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : स्थिति यह थी कि जिस व्यक्ति को एक वैगन से कम इस्पात की आवश्यकता होती थी उसको तीनों उत्पादकों के स्टाकयार्ड को सीधे आवेदन पत्र भेजना चाहिए था । लेकिन हमें विदित है कि वितरण में असमानता है और उचित तरीका यह था कि मकान निर्माण प्रयोजन के लिये जो कुछ भी उपलब्ध हो उसका पूल बनाया जाये और तीन उत्पादकों की एक समिति नियुक्त की जाये और इस आधार पर इस्पात का वितरण किया जाये । ऐसा करना अधिक न्यायपूर्ण होगा ।

श्री पी० एम० मेहता : क्या सांझी एजेंसी की स्थापना से गृह-निर्माण के लिये आवश्यक लोहा तथा इस्पात के मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा और क्या उक्त एजेंसी अपना कार्य दिल्ली तक ही सीमित रखेगी अथवा अपने कार्य का देश के अन्य भागों में भी विस्तार करेगी ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है इसकी स्थिति पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा । जहां तक इस प्रणाली के भारत के अन्य भागों में प्रसार करने का सम्बन्ध है, हमें यह देखना है कि यह प्रणाली कैसे कार्य करती है । यदि यह पता लगा कि यह प्रणाली प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रही है और यह उपभोक्ता गृह निर्माण के लिये उपयोगी है तो हम इसका विस्तार देश के अन्य भागों में अवश्य करेंगे ।

श्री पी० गंगादेव : प्रशासन में लालफीताशाही और असाधारण विलम्ब रोकने के लिये । जब इस स्टाकयार्ड का पूल बना दिया गया है तो प्रशासन को कार्यकुशल बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : तीन उत्पादकों की समिति को गठित करने का एक कारण यह भी है कि आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटान किया जाये । इस बारे में प्रक्रिया यह है कि तीनों उत्पादकों की समिति की बैठक हर सप्ताह होगी और वह सप्ताह में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का

निबटारा करेगी और आशा है इसके परिणामस्वरूप हमें आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने में सहायता मिलेगी ।

Shri B. P. Maurya : I want to know whether the hon. Minister is aware that inspite of blue print and certificate of the recognised architect attached with the map, hundreds of applications are rejected and quota of steel is allotted to a special group of businessmen who used to sell it in black market ? I want to know whether the hon. Minister is aware of these corrupt practices, if so, the action taken in this regard ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : इस प्रकार के बड़े-बड़े कई आरोप लगाये गये हैं । जब कभी इस प्रकार के मामले हमारे सामने लाये जाते हैं हम उनके सम्बन्ध में जांच करते हैं और उनके बारे में उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है । यदि माननीय सदस्य इस बारे में हमें कुछ मामलों से सूचित करेंगे तो हम यथासम्भव कार्यवाही करेंगे ।

Shri T. Sohan Lal : The hon. Minister has just now stated that the meeting of the joint Committee is held every week. But so far as I know there has not been any meeting of this Committee. The cases for more than three months have been pending with it. They are intentionally being delayed. I want to know whether the hon. Minister will take any action in this regard ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मेरे विचार से माननीय सदस्य को ठीक जानकारी नहीं है क्योंकि समिति ने 1 अक्तूबर, 1971 से 10 अक्तूबर, 1971 तक की आवश्यकता को पहले ही पूरा कर लिया है आवेदन पत्रों की संख्या निश्चित रूप से बहुत अधिक है और इनमें बहुत अधिक मात्रा में इस्पात की मांग की गई है । इस्पात की सीमित मात्रा के कारण अनेक व्यक्तियों को उनकी मांग के अनुसार इस्पात नहीं दिया गया है और इसमें उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि समिति की बैठकें नहीं हुई हैं ।

बेरोजगारी के बारे में विशेषज्ञ समिति

*251. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार सम्बन्धी भगवती समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसे कितना समय लगेगा और उक्त काम को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) यद्यपि समिति अपना प्रतिवेदन जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश कर रही है किन्तु अभी समयावधि बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

Shri Ramavatar Shastri : Sir, the problem is very grave but the answer given is too small and unsatisfactory. I want to know the difficulty faced by the Committee in submitting its report? May I know whether the Government will fix any time limit in which this Expert Committee will submit its report ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : माननीय सदस्य को याद होगा कि समिति दिसम्बर, 1970 में स्थापित की गई थी और कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयों पर काबू पाने के पश्चात अप्रैल, 1971 में समिति ने अपना कार्य शुरू किया था। तबसे वह कार्यरत है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की समिति को विभिन्न राज्य सरकारों, कार्मिकसंघों के नेताओं, अनुसंधान सम्बन्धी संस्थाओं से कुछ तत्सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना होती है और इस समय यही कार्य हो रहा है। मेरे लिये यह बताना सम्भव नहीं है कि प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध हो जायेगा।

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister has stated that it will take some time and that many questions are being considered. May I know whether this Government does not consider it necessary to ask for an interim report pending the final report and on the basis of that it should give employment or unemployment allowance to the unemployed.

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने पहले ही संकेत दे दिया है कि समिति को अन्तरिम प्रतिवेदन देने के लिये कहना बहुत कठिन है। निष्कर्ष निकालने तथा कुछ ठोस सुझाव देने में अधिक समय लगेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं बताया है, हम कुछ बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं परन्तु इसका कारण अन्तरिम प्रतिवेदन का न मिलना नहीं है।

Shri R. S. Pandey : The problem of unemployment and under employment is very grave in the country. Some states have announced that they will provide employment to the able bodied persons before 1972. May I know whether this Goverment will also consider the question of making any such announcement that by such time they will be in a position to provide employment to all. The report is a useless thing. Any commission to enquire into the problem of unemployment is just a face saving device. Whether the Central Government is prepared to promise some work for all youngmen. He must commit himself on the floor of the House, Commission or no commission. **(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न भगवती समिति के प्रतिवेदन के बारे में है।

श्री राम सहाय पांडे : जो लाखों युवक भूखे मर रहे हैं, उनको क्या उत्तर दिया जाना है, उनके पास इसका क्या उपाय है ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : उन्होंने कहा है कि बिना उचित अध्ययन के कार्यवाही करना कठिन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस समिति का सदस्य होने के नाते क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है कि क्या भगवती समिति का प्रतिवेदन आ रहा है अथवा नहीं ? इसका उत्तर वह दे चुके हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मैं माननीय सदस्य को यह

बताना चाहता हूं इस गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारी हटाओ योजनाएं शुरू की हैं जिनके लिये 50 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि सरकार ने बेरोजगारी राहत योजनाओं के लिये अथवा जो कुछ भी आप इसे कहें 50 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं क्या सरकार इस समिति को ऐसी योजना बनाने के लिये कहेगी जो सरकारी योजनाओं से मेल खाती हो जिससे 50 करोड़ रुपये की राशि से अधिकतम लाभ उठाया जा सके और सरकार भी समिति की सेवाओं के उपयोग के लिये कोई नीति बना सके ताकि लम्बी अवधि के बाद आने वाली सिफारिशों का इसे इन्तजार न करना पड़े, क्योंकि वर्तमान स्थिति में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुए इनका कोई लाभ नहीं होगा।

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा मैंने पहले कहा है कि अपने प्रस्ताव बनाते समय समिति इस द्रुत कार्यक्रम से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखेगी। इस द्रुत कार्यक्रम का आशय ग्रामीण बेरोजगारों की कुछ हद तक सहायता करना है। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, शहरों में बेरोजगारी गांवों से बेरोजगारों के आगमन के कारण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ सरकार ने यह कार्यवाही की है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस समिति का सदस्य होने के नाते मैं कुछ कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अब आपको नहीं बोलना चाहिए। मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये कहने की क्या आवश्यकता है। यह अच्छा होगा अगर आपही वक्तव्य दे दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रसन्नता से वक्तव्य दूंगा ताकि जो लोग इस मामले से राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं वे * * * * *

अध्यक्ष महोदय : ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं, परन्तु इस समिति का सदस्य होने के नाते जो कि इस समूचे तमाशे को देख रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इन शब्दों को निकाल दिया जाये। ऐसे शब्द प्रयोग करने पर आपको खेद होना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कौन से शब्द। मैंने कोई भी शब्द असंसदीय नहीं कहा है, आप बताइये कौन सा शब्द असंसदीय है, अथवा गन्दा है। यदि कोई शब्द ऐसा हुआ तो मैं उसको निकालने के बारे में सहमत हो जाऊंगा (**अन्तर्बाधाएं**) मैंने यह कहा है कि यहां जोर जोर से बोलने वाले लोग राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने समिति गठित करने में 14 महीने लगाये हैं और अब समिति के सामने बहुत अधिक काम है।

** अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिये गये।

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री आर० के० खाडिलकर : समिति का सदस्य होने के नाते उनको समिति के कार्यकरण की आलोचना नहीं करनी चाहिए । हमने सभा में यह शुरू किया है । इससे बहुत बुरा पूर्वोदाहरण स्थापित हो जायेगा ।

श्री पीलू मोदी : मैं भी इस प्रतिवेदन पर चर्चा करना चाहता हूं । आप ने प्रश्न काल समाप्त कर दिया है । अतः प्रतिवेदन पर चर्चा होनी चाहिए । मैं नहीं समझ सकता कि यहां पर क्या हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आपकी बात से सहमत हूं । मैं नहीं समझ सकता कि यह क्या हो रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने समिति के कार्यकरण की आलोचना नहीं की है । मेरे विचार में माननीय मंत्री ने मेरी बात को गलत समझ लिया है ।

डा० लक्ष्मी नारायन पांडे : क्या यह सच है कि द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये गये कार्यों के लिये मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से भिन्न है । मुख्य प्रश्न बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के बारे में है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : माननीय मंत्री द्वारा पहले दिये गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर से यह प्रश्न उत्पन्न होता है ।

श्री पीलू मोदी : सम्भव है यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित न हो, परन्तु आपने उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी थी । तत्पश्चात् आपने मंत्री महोदय को भी स्पष्टीकरण देने की अनुमति दे दी थी । आपने इसके बाद भी स्पष्टीकरण की अनुमति दे दी है । आपने इन तीन अनुपूरक प्रश्नों के पूछे जाने के पश्चात् इस प्रश्न को पूछने की अनुमति नहीं दी है और कह दिया कि यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य मेरे निर्णय को मान लिया करें तो यह कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी । मैंने पहले भी यही कहा था कि प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है परन्तु माननीय मंत्री ने उसका उत्तर स्वयं ही दे दिया था ।

श्री पीलू मोदी : सदस्यों के साथ यही कठिनाई है कि मंत्री उत्तर देने के लिये स्वयं उत्सुक रहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष कहता है कि प्रश्न सम्बन्धित नहीं है तो भी मंत्री स्वयं उत्तर दे देते हैं और तभी मेरे लिये कठिनाई उत्पन्न हो जाती है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : जैसा कि माननीय मंत्री जानते हैं भूख और बेरोजगारी देश में बढ़ रही है । माननीय मंत्री के उत्तर से भी यह स्पष्ट है कि समिति का प्रतिवेदन आने में अभी कुछ समय लगेगा । यह एक गम्भीर समस्या है । वे बेरोजगारी की समस्या को बिल्कुल भी हल नहीं कर

पाये हैं। माननीय मंत्री जानते हैं कि देश के युवक इस समिति के प्रतिवेदन के आने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। जब कभी कोई मजूरी बोर्ड अथवा वेतन आयोग नियुक्त किया जाता है, वह अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देता है क्या यह समिति द्रुत कार्यक्रम में अतिरिक्त कुछ अन्तरिम उपाय करने के लिये अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकती है।

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य जानते हैं कि समिति के निर्देश पद बिल्कुल स्पष्ट हैं। किसी कार्यक्रम के बारे में अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। पूरे कार्य के अध्ययन में कुछ समय अवश्य लगेगा और मैं यह नहीं बता सकता कि प्रतिवेदन कब तक मिल जायेगा।

रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन

+

*253. **श्री अमरनाथ चावला :**
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाने के इस्पात ढलाई विभाग की छत गिर जाने से उत्पादन की कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) उक्त कारखाने में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ; और

(ग) वहां पूरा उत्पादन करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) राउरकेला में जुलाई-अक्तूबर, 1971 की अवधि में 450,000 टन इस्पात पिण्ड के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबिले में वास्तविक उत्पादन 104,000 टन था।

(ख) जुलाई, 1971 में पांच दिनों को छोड़कर कारखाने में इस्पात का उत्पादन लगातार होता रहा है।

(ग) स्टील मेल्टिंग शाप की छत के पुनर्निर्माण के लिये कदम उठाये गये हैं। इस काम के दिसम्बर, 1971 के मध्य से पहले-पहले पूरा हो जाने की सम्भावना है।

Shri Amar Nath Chawla : The hon. Minister has told that production is going on continuously except for five days in July and that against targetted production of 4,50,000 Tonnes. There was production of only 104,000 tonnes which means the production was less by 346,000 tonnes. I want to know the loss in terms of money in the production of steel which is going on here.

Secondly the hon. Minister has told that the roof will be completed by the 31st December and in this regard may I know whether the hon. Minister will assure that after the 31st December the full production will start ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जहां तक कम उत्पादन के कम हो जाने का सम्बन्ध है माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि सायंकाल में छत को भारी क्षति पहुंची थी और छत के कुल 38,000 वर्ग मीटर में से 10,000 वर्ग मीटर को क्षति हुई इसके फलस्वरूप एल० डी० कन्वर्टर्स

की भी क्षति हुई। यद्यपि उपकरणों को अधिक क्षति नहीं पहुंची। इसके तुरन्त पश्चात उत्पादन पांच दिन तक बन्द रहा और जब हमने पुन: कार्य आरम्भ किया तो हमें दो भट्टियों को बन्द करना पड़ा जिससे उत्पादन का काफी कम हो जाना स्वाभाविक ही है।

जहां तक वित्तीय हानि का प्रश्न है हमारा अनुमान 30 करोड़ रुपये का था। अभी तक कोई ठीक अनुमान नहीं लगाये गये हैं। उत्पादन के पुन: शुरू होने पर ऐसा किया जायेगा।

जहां तक पूरा उत्पादन शुरू करने के बारे में आश्वासन देने का प्रश्न है इसमें कुछ समय अवश्य लगेगा। मुझ आशा है कि जनवरी के अन्त तक हम ऐसा कर सकेंगे। परन्तु रूरकेला तथा भिलाई में जहां कोक भट्टियों में कठिनाइयों का सामना है कुछ समय लगेगा।

Shri Amar Nath Chawla : The hon. Minister has stated that the roof was severely damaged that repair will take after some time. The hon. Minister assured on the 11th August against recurrence of such a disaster and said that it will be discussed when we will receive the report. The report has been received. May I know the steps taken by him, if any to prevent recurrence of such disaster and national loss ? May I also know the steps taken by him to fix responsibility as he said earlier ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उनको क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : छत की क्षतिग्रस्त मशीनों को ठीक करने में कितनी वित्तीय हानि हुई है ? क्या छत किसी निर्माणात्मक त्रुटि के कारण गिरी थी अथवा किसी अन्य कारण से गिरी थी ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : छत को दुबारा बनवाने की वास्तविक लागत के बारे में मैं इस समय कोई सही आंकड़े नहीं दे सकता हूं। हमारा अनुमान है कि यह लागत लगभग 1 करोड़ रुपये अथवा इससे थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम होगी।

जहां तक छत के गिर जाने के कारणों का सम्बन्ध है, लुम्बा समिति में दिये गये निष्कर्षों में एक मुख्य कारण यह बताया गया है और जिसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को पिछली बार प्रश्न के उत्तर में जानकारी भी दे चुका हूं कि छत को साफ रखने के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये थे और एल० डी० कन्वर्टर्स से निकलने वाली मैटल डस्ट काफी मात्रा में छत पर इकट्ठी हो गई थी। उससे छत पर काफी भार पड़ गया था और उससे छत गिर गई।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : रूरकेला में कोक भट्टी संयंत्र के मामले में वास्तविक कठिनाई क्या है जिससे उत्पादन में घाटा हो गया है ? इसे पूरा करने के लिये सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जहां तक कोक भट्टी संयंत्रों का प्रश्न है, वास्तव में हम न केवल रूरकेला और भिलाई में ही कठिनाइयों का पता लगा रहे हैं परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र, टाटा और इस्को ..... (**व्यवधान**)। जब भी मैं गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में कुछ कहता हूं तो श्री पीलू मोदी अत्यन्त चिन्तित हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र उनकी निजी सम्पत्ति है। यह तो किसी पर आरोप लगाने का प्रयास करना है, ये सही तथ्य

हैं जो गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये भी महत्वपूर्ण हैं। कोक भट्टियों के बारे में कठिनाई यह है कि इंजीनियरिंग के मामले में वह अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भिलाई कोक भट्टियों के बारे में हमने पर्याप्त जांच की थी और पता लगाया था कि वहां क्या कठिनाई थी। यह अन्डरचार्जिंग करने और कुछ अन्य त्रुटियों के कारण हुई थी। परन्तु हमने सोचा कि यह पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं होगा। अतः त्रुटियों के पता लगाने के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्दर इस बारे में एक विशेष दल नियुक्त किया गया है। हम तत्काल कुछ उपचारात्मक कार्यवाही कर रहे हैं और हमें आशा है कि दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् स्थिति में और अधिक सुधार किया जा सकेगा।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : हमें आपका संरक्षण चाहिये। मंत्री महोदय प्रश्न को टाल रहे हैं। मंत्री महोदय ने बताया है कि रूरकेला में कोक भट्टियों में, कठिनाइयों के कारण उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैंने यह पूछा था कि ये कठिनाइयां क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : वह तथ्यों को थोड़ा और अधिक जानना चाहते हैं।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जब मेरे पास सही कारण हैं ही नहीं तो इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना संभव नहीं है। मामला विचाराधीन है और जो बात पूर्णतया सही नहीं है उस पर वक्तव्य देना उचित नहीं होगा।

ईरान के शाह के जरिये भारत और बंगला देश के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति की गुप्त वार्ता

*256. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 सितम्बर, 1971 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ईरान के शाह की मध्यस्थता में राष्ट्रपति याहया खां बंगला देश के प्रतिनिधियों और भारत के साथ गुप्त शान्ति वार्ता तेहरान में कर रहे थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट का कोई आधार नहीं था और अगले दिन "हिन्दुस्तान टाइम्स" में इसका खंडन किया गया था। सरकार के इस रुख को देखते हुए कि बंगला देश का मामला पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक शासकों और पूर्व बंगाल के लोगों द्वारा पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच का मामला है, न कि भारत और पाकिस्तान का, इस विषय पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत अथवा सद्प्रयत्नों का प्रश्न नहीं उठता।

श्री पीलू मोदी : पहली बार मन्त्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दिया है और मुझे कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : पहली बार किसी मन्त्री महोदय ने आपको संतुष्ट किया है।

कोक की कमी के कारण इस्पात के उत्पादन में कमी

*258. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोक की कमी के कारण सरकारी क्षेत्र के कारखानों में इस्पात का उत्पादन कम हो रहा था ;

(ख) यदि हां, तो कितना तथा कब से ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारी उपाय किये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों में केवल कोक की कमी के कारण इस्पात पिण्डों के उत्पादन पर सामान्यतः कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है । परन्तु कोक भट्ठियों के ठीक प्रकार काम न करने के कारण हुई कोक ओवन गैस की कमी के फलस्वरूप विक्रेय इस्पात के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है । राउरकेला में 1970-71 की अन्तिम तिमाही से उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है । भिलाई में मई 1971 में दो कोक ओवन बैटरियां एक बड़ी खराबी आ जाने के कारण बन्द हो गई थीं । रख रखाव और श्रमिक समस्याओं के कारण प्रायः बाधाओं के आ जाने से दुर्गापुर में कोक भट्ठियों का उत्पादन कम रहा है । सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने में इष्टतम उत्पादन कई बातों पर निर्भर होता है और इसलिए केवल इस कारण विशेष के फलस्वरूप हुई हानि की मात्रा निश्चित करना कठिन होगा ।

(ग) जब कभी आवश्यकता हुई है कोक भट्ठियों की विशेष मरम्मत की गई है और दीर्घ-कालीन बड़ी-बड़ी मरम्मतों के कार्यक्रम को या तो आरम्भ कर दिया गया है अथवा उनका आयोजन किया जा रहा है । कोक ओवन गैस की कमी को पूरा करने के लिए पिच, क्रिओसोट मिक्सचर, फर्नेस आयल तथा बेन्जीन जैसे सम्पूरक ईंधनों का भी यथासम्भव प्रयोग किया जा रहा है ।

श्री एच० के० एल० भगत : विवरण में बताया गया है कि भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला तीनों संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन पर, कोक ओवन गैस की कमी का बुरा प्रभाव पड़ा है । यह कमी कब से है और किस महीने अथवा वर्ष तक यह कमी पूरी हो जायेगी ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : कोई विशेष और निश्चित बचन देना इस समय सम्भव नहीं है । जहां तक इन तीनों संयंत्रों का सम्बन्ध है हमें आशा है कि अगले वर्ष तक हम उत्पादन में काफी सुधार कर पायेंगे । परन्तु यह सब तीन बातों पर निर्भर करता है पहले कोई भट्टी सम्बन्धी समस्या का पर्याप्त समाधान जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, दूसरे रख-रखाव में सुधार और तीसरे औद्योगिक सम्बन्धों में उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान ।

श्री एच० के० एल० भगत : उत्पादन में कमी का क्या यह प्रमुख कारण रहा है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जहां तक कोक ओवन का सम्बन्ध है, भिलाई में संभवतया यह हमारी प्रमुख कठिनाई रही है और रूरकेला में इससे सहायक अंशदान मिला है। दुर्गापुर में यह कारण नहीं था। कोक भट्टी के बारे में मैं नहीं कह सकता कि यह भी एक कारण है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या मंत्री महोदय कोक ओवन गैस की कमी के कारणों का पता लगा सके हैं ? यदि हां, तो इसे दूर करने के लिये पिछले महीनों और वर्षों में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : वर्षों से यह प्रश्न उठा ही नहीं है। मई मास के अन्तिम दिनों में भिलाई में पहली बार कठिनाई उत्पन्न हुई थी। इस सम्बन्ध में कुछ आपात कदम उठाये गये थे जिनकी उन रूसी विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई थी जो यहां भिलाई में हुई कठिनाई के कारणों का पता लगाने के लिये आये हुये थे और इसकी काफी प्रशंसा की गई थी तथा जिसके परिणामस्वरूप गत मई में भिलाई में हुई समस्याओं के कुप्रभावों को काफी कम किया गया है।

जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले सभा में बताया था, इन समस्याओं के समाधान से हम संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि ये समस्यायें रूरकेला में भी उत्पन्न हो गई हैं। अतः इस प्रयोजन के लिये नियुक्त एक विशेष दल द्वारा इसकी गहराई से जांच की जा रही है (**व्यवधान**)

श्री पी० बेंकटासुब्बया : मन्त्री महोदय ने अपने विवरण में बताया है कि दुर्गापुर में कोक भट्टी से अपर्याप्त उत्पादन हुआ है क्योंकि ऐसा रख-रखाव और श्रमिकों की समस्याओं के बार-बार होने के कारण हुआ। इस रख-रखाव का क्या तात्पर्य है ? क्या ढांचे में कोई गड़बड़ है अथवा इन कोक भट्टियों को उचित ढंग से रखने में प्रबन्धकों का कोई दोष है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : रख-रखाव में कोई गड़बड़ स्वभावतः प्रबन्धकों के दोष से ही उत्पन्न होती है। अतः अब से जब भी इस रख-रखाव की गड़बड़ का उल्लेख करें तो वैसा ही समझा जायेगा।

अभ्रक की खानों का राष्ट्रीयकरण

*259. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अभ्रक की खानों का राष्ट्रीयकरण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) इस समय अभ्रक की खानों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजीत कुमार साहा : क्या सरकार को इन अभ्रक की खानों के बहुत से प्रबन्धकों की ओर से बहुत सी शिकायतें मिली हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न स्पष्ट है, शिकायतों के बारे में नहीं है, वरन् राष्ट्रीयकरण के बारे में है।

श्री एस० एम० बनर्जी : जो प्रश्न उठता है, वह यह है : यह कब किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी कठिनाई जब होती है जब माननीय सदस्य और अधिक अनुपूरक प्रश्न के लिये खड़े हो जाते हैं ।

वह प्रश्न नहीं उठता है ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, I want to ask a question about Bihar in connection with this Mica mines....

Mr. Speaker : The original question is about nationalisation of mica mines. Bihar is not referred to in it.

अध्यक्ष महोदय : श्री धर्मराव अफजल पुरकर—अनुपस्थित ।

श्री कछवाय—अनुपस्थित

श्री वाई ईश्वर रेड्डी—अनुपस्थित ।

यह कठिनाई है । यदि प्रश्न सात-आठ प्रश्नों के बाद आता है तो माननीय सदस्य सोचते हैं कि उनके प्रश्न पर चर्चा नहीं हो सकेगी । अत: मैं नियम समिति की एक बैठक बुला रहा हूं जो मुझे यह सलाह दे कि अधिक प्रश्नों पर किस प्रकार चर्चा हो, क्योंकि हमें बुरी तरह से नियमों का पालन करना पड़ता है और जिन सदस्यों को अवसर नहीं मिलता है, वे मेरे से दूसरी बातें कहते हैं । अत: हमें अब प्रक्रिया में परिवर्तन करना होगा ।

अब श्री राज देव सिंह—अनुपस्थित ।

डा० सरदीश राय—अनुपस्थित ।

डा० रानेन सेन—अनुपस्थित ।

श्री पीलू मोदी : बड़ा मजेदार प्रश्न काल है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि जब आपका नाम सूची में होता है तो दूसरे अनुपस्थित रहते हैं । श्री रोबिन सेन—अनुपस्थित । श्री शशि भूषण—अनुपस्थित । श्री सी० जनार्दनन—अनुपस्थित । उन्हें क्या हो गया है ? क्या वे सभी प्रदर्शन करने चले गये हैं या और कुछ । श्री अटल बिहारी बाजपेयी—अनुपस्थित । अब श्री राम सहाय पांडे—प्रश्न संख्या 269

श्री पीलू मोदी : श्रीमान् जी, अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सहाय पांडे ।

पाकिस्तान में "भारत कुचलो आन्दोलन"

*269. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में पाकिस्तान में प्रारम्भ किए गए "भारत कुचलो आन्दोलन" की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस आन्दोलन के सम्बन्ध में विश्व को जानकारी देने और इस प्रचार का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार का विचार है कि पाकिस्तान के सैनिक शासकों द्वारा पूर्व बंगाल के लोगों पर किए जा रहे पाशविक अत्याचारों से जनता का ध्यान हटाने के लिए शुरू किए गए युद्धोन्माद तथा बंगला देश को भारत-पाकिस्तान मामले का रूप देने का यह एक अन्य उदाहरण है । सरकार ने बंगला देश के प्रश्न की वास्तविक स्थिति से विदेशी सरकारों को बराबर सूचित रखा है और इसलिए भारत को आशा है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के दुष्ट प्रचार अभियानों द्वारा भ्रमित नहीं होगा ।

श्री राम सहाय पांडे : श्रीमन्, मैं उत्तर से संतुष्ट हूं । प्रश्न काल भी समाप्त हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय पाल सिंह—अनुपस्थित अब सूची के नाम समाप्त हो गये हैं । ऐसा हमारे प्रयासों के कारण नहीं बल्कि अनुपस्थित सदस्यों के कारण हुआ है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : श्री पीलू मोदी धन्यवाद के पात्र हैं । आज पहली बार हमने प्रश्न काल इतनी जल्दी समाप्त कर लिया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम पाकिस्तान से गैर-कानूनी रूप में आये व्यक्तियों को पाकिस्तान उच्च आयोग में आश्रय दिया जाना

*243. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पाकिस्तान के कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो गैर-कानूनी रूप से भारत में आये थे और जिन्हें नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्च आयोग में आश्रय दिया गया था, वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों को कैसे और किस की अनुमति से वापस पाकिस्तान जाने दिया गया ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारत द्वारा श्रीलंका को नया ऋण दिया जाना

*246. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार श्रीलंका सरकार को लगभग 6 करोड़ रुपये का नया ऋण देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). श्रीलंका सरकार को ऋण देने के प्रस्ताव पर, श्रीलंका सरकार की ओर से आए प्रतिनिधि मंडल के साथ अभी विचार विमर्श हो रहा है ।

विदेश नीति आयोजन बोर्ड

*247. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :**
श्री जे० बी० पटनायक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश नीति आयोजन बोर्ड के क्या-क्या कृत्य हैं ; और

(ख) क्या उक्त बोर्ड के अन्तर्गत कोई उपसमितियां बनायी गई हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) नीति, आयोजन और समीक्षा समिति का कार्य, विदेश नीति सम्बन्धी मामलों का अध्ययन, विश्लेषण और समीक्षा करना है । समिति के प्रस्ताव, सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए, सिफारिश जैसे होते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

ताशकन्द के ढंग का सम्मेलन

*248. **श्री के० बालतण्डायुतम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि रूस ताशकन्द की तरह के दूसरे सम्मेलन की योजना बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इन रिपोर्टों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीलंका द्वारा पाकिस्तान के सैनिक विमानों को आवाजाही सुदिधाओं का दिया जाना

*249. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका बंगला देश जाने वाले पाकिस्तान के सैनिक विमानों को अब भी आवा-जाही सुविधाएं देता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) श्रीलंका सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वह शस्त्र, सैनिक उपस्कर और सशस्त्र सैनिकों को ले जाने वाले पाकिस्तानी वायुयानों को अपने यहां से गुजरने की अनुमति नहीं दे रही है ।

(ख) भारत सरकार इन आश्वासनों का स्वागत करती है ।

कोकिंग कोयला खानों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में पोलैंड के विशेषज्ञों की सिफारिशें

*252. **श्री के० मालन्ना** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कोकिंग कोयला खानों की पुनर्निर्माण सम्बन्धी समस्याओं के बारे में सलाह देने के लिये पोलैंड के विशेषज्ञों का एक दल नवम्बर 1971 में भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें कीं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते हैं ।

मध्य प्रदेश में बृहत खनिज निक्षेपों का पाया जाना

*254. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सोना, बेरिल, तांबा, क्रिष्टलाइन ग्रेफाइट, बेसाल्ट, पाइरोफाइलाइट, बेराइट्स और यूरेनियम के बड़े निक्षेप पाए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन निक्षेपों की मात्रा का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गये अन्वेषणों के परिणामस्वरूप बालाघाट जिले के मालन्जखण्ड क्षेत्र में ताम्र अयस्क के पर्याप्त निक्षेपों, मध्य प्रदेश के अनेक भागों में विस्तृत प्रचुर बेसाल्ट, सिधी जिले में बेराइट्स और टीकमगढ़ जिले में पाइरोफाइलाइट के लघु निक्षेप अवस्थित हुए हैं। रायगढ़, बालाघाट और रायपुर जिलों में सोने के तथा सुरगुजा जिले में ग्रेफाइट के अलाभकर प्राप्ति स्थलों का पता लगा है। यूरेनियम के कोई समृद्ध निक्षेप अवस्थित नहीं हुए हैं लेकिन मध्य प्रदेश के बेतूल, दुर्ग, रायगढ़ और सुरगुजा जिलों की कतिपय चट्टानों में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विघटनाभिकता के लघु संकेतों का पता लगाया गया है। सिधी, बालाघाट, सुरगुजा और रायगढ़ जिलों के कतिपय भागों में बेरिल के लघु प्राप्ति-स्थलों का पता लगा है।

(ख) और (ग). मालान्जखण्ड स्थित ताम्र निक्षेप लगभग 2.2 कि० मी० की अनुदैर्घ्य लम्बाई तक विस्तृत है जिनमें से 975 मीटर अनुदैर्घ्य लम्बाई का व्यधन द्वारा अन्वेषण किया गया है जिससे 1.67% ताम्रांस की 71.40 लाख टन उपलभ्य राशियां प्रमाणित हुई हैं। इस क्षेत्र में आगे का कार्य प्रगति पर है।

यूरेनियम के लिये आगे के अन्वेषण भी प्रगति पर हैं। अन्य निक्षेप अलाभकर हैं और इसलिये इस समय उनके लिये अन्वेषण नहीं किये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में पन्ना हीरा-क्षेत्र के निकट एक अन्य हीरा-क्षेत्र का पाया जाना

*255. **श्री मोहम्मद शरीफ** :
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने मध्य प्रदेश में पन्ना हीरा क्षेत्र के निकट एक नये बहुल हीरा-क्षेत्र के पाये जाने की सूचना दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

कोककर कोयला खनन उद्योग के कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा

*257. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोकिंग कोयला खान उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा के सम्बन्ध में फेडरेशन आफ मरकेन्टाईल एम्पलाइज यूनियन, कलकत्ता, से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां ।

(ख) उक्त यूनियन ने प्रार्थना की है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोकर कोयला खनन उद्योग से सम्बन्धित कलकत्ता में मरकेन्टाइल फर्मों के कर्मचारियों के हितों की, यथा-पूर्व स्थिति और सेवा शर्त बनाये रखते हुए रक्षा की जाए ।

(ग) मामला विचाराधीन है और सरकार द्वारा अभी कोई अंतिम विनिश्चय नहीं लिया गया है ।

रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने के लिये नये प्रस्ताव

*260. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये सरकार ने नये प्रस्ताव बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो रोजगार के नये अवसरों से कितने व्यक्तियों को लाभ हो रहा है ; और

(ग) इन प्रस्तावों के कार्यकरण में कितनी नई पूंजी लगेगी और प्रत्येक नियुक्ति पर कितनी पूंजी लगेगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है तथापि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और अन्यथा भी चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप, काफी संख्या में लोगों को नियुक्ति अवसर का लाभ मिलेगा ।

(ग) यद्यपि लगी पूंजी का प्राप्त नियुक्ति अवसर के साथ सम्बन्ध स्थापित करना कठिन है किन्तु नियुक्ति अवसर जुटाने वाली कुछ प्रमुख योजनाओं के लिये सन् 1971-72 के बजट की व्यवस्था सम्बन्धी विवरण को सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

योजनायें	सन् 1971-72 के लिये बजट व्यवस्था
1. छोटे किन्तु सक्षम किसानों का विकास	6 करोड़ रुपये
2. सीमान्त किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिये योजना	3 करोड़ रुपये
3. अजल खेती का विकास	2.16 करोड़ रुपये
4. ग्रामीण निर्माण कार्य हेतु कार्यक्रम	20 करोड़ रुपये
5. क्षेत्रीय विकास–सड़कों, विनियमित बाजारों आदि जैसे आधारभूत ढांचों के लिये विकास योजना ।	3 करोड़ रुपये

6. देहाती क्षेत्रों में नियुक्ति अवसर जुटाने के लिये त्वरित योजना (क्रेश स्कीम) 50 करोड़ रुपये

7. शिक्षित (इंजीनियरों और तकनीशियन सहित) बेरोजगारों के लिये कार्यक्रमों की विशेष व्यवस्था। 25 करोड़ रुपये

उपर्युक्त व्यवस्था में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के अधीन और अन्यथा भी चलाये गये विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि सम्मिलित नहीं हैं। इसके फलस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ नियुक्ति अवसरों में वृद्धि होगी।

बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या के बारे में तटस्थ देशों की विज्ञप्ति

*261. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 53 तटस्थ देशों के विदेश मंत्रियों ने एक विज्ञप्ति स्वीकृत की थी जिसमें वचन दिया गया था कि बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित की थी ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). गुटमुक्त देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा 30-9-1971 को जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में बंगला देश की घटनाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल था :-

"लाखों लोगों के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में आने से हाल ही में आई अभूतपूर्व बाढ़ के फलस्वरूप एक विशाल मानवीय समस्या खड़ी हो गई है। शरणार्थियों की इस आपार बाढ़ से जो अब भी चल रही है भारत पर विशाल बोझा आ पड़ा है और इसके लिये तुरन्त और प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता है, इसमें इन शरणार्थियों की बाढ़ को रोकने उनकी कठिनाइयों को दूर करने और ऐसी सभी आवश्यक परिस्थितियां कायम करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई भी शामिल है जिससे उनमें विश्वास पैदा हो और शरणार्थियों के अहस्तांतरकरणीय अधिकार और उनकी अपने अपने घरों को सुरक्षापूर्वक और तेजी से वापसी सुनिश्चित हो।"

स्वेज नहर का पुनः खोला जाना

*262. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब स्वेज नहर के पुनः खोले जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में व्यापार की योजना बनानी आरम्भ कर दी है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) स्वेज नहर को पुनः खोलने के उद्देश्य से इस वर्ष कुछ विचार-विमर्श हुए हैं लेकिन अभी तक किसी समझौते के आसार नजर नहीं आये हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार सभी घटनाओं पर निकट से ध्यान रख रही है, किन्तु ठोस रूप से अनुवर्त्ती कदम तभी उठाये जा सकते हैं जब यह ज्ञात हो जाए कि यदि नहर पुनः खोली जाएगी, तो कब ।

धनबाद में कोयला खनिकों की मृत्यु

*263. **डा० सरदीश राय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रिलिंग के दौरान 6 सितम्बर, 1971 को धनबाद के निकट बर्ड एण्ड कम्पनी की मुंडेडीह कोयला खान में चार कोयला खनिकों की मृत्यु हो गई तथा अनेक घायल हुए ;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटना असुरक्षित स्थिति के कारण घटी थी ;

(ग) क्या खान सुरक्षा के महानिदेशक ने इस दुर्घटना की कोई जांच कराई थी ;

(घ) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) दुर्घटना में चार व्यक्ति मारे गए और एक गम्भीर रूप से घायल हुआ ।

(ख) और (ग). दुर्घटना की जांच उत्तरी क्षेत्र के खान सुरक्षा निदेशक द्वारा की गई । जांच से पता चला कि यह दुर्घटना, खम्भों के चौखटे को हटाते समय, कोयला निकाले जाने वाले स्थान के एक भाग के अचानक गिरने के परिणाम-स्वरूप हुई। इसके गिरने का कारण इसके आस-पास के स्थान का खोदा जाना समझा जाता है ।

(घ) दुर्घटना में सान्निहित श्रमिकों और सरदार को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है—श्रमिकों को आस-पास का स्थान खोदने के कारण और सरदार को वहां कार्य जारी रहने देने के कारण या अंडरकट मालूम करने के लिए सम्यक निरीक्षण न करने और स्थिति में सुधार करने हेतु कार्यवाही न करने के कारण ।

इस्पात सम्बन्धी धांधली के समाचारों की जांच

*264. **डा० रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इस्पात सम्बन्धी धांधली के समाचारों की जांच कराने के आदेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख). कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जिन कामों के लिए इस्पात का आवंटन किया गया था उन कामों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है । लोहा और इस्पात नियंत्रक क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रकों की सहायता से इन शिकायतों की जांच कर रहा है । जहां कहीं आवश्यक होता है केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से भी सहायता ली जा रही है ।

बाराकर स्थित बेगोनिया कोयला खान को दिया गया मुआवजा

*265. **श्री रोबिन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाराकर स्थित बेगोनिया कोयला खान का प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रबन्धकों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां ।

(ख) उक्त प्रबन्धक को अभी तक कोई प्रतिकर संदत्त नहीं किया गया है ।

बंगला देश के बारे में जापान का दृष्टिकोण

*266. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश समस्या के प्रति जापान का क्या दृष्टिकोण है ; और

(ख) भारत और जापान के सम्बन्ध और सुदृढ़ करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जापान सरकार द्वारा बंगला देश के प्रश्न पर कोई सरकारी वक्तव्य नहीं दिया गया है । फिर भी, जापान के नेताओं और जापान के समाचार पत्रों ने लाखों शरणार्थियों की बात पर स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की है और भारत पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ तथा बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता प्रदान करने में भारत द्वारा मानवीय आधार पर किए गए कार्यों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की है ।

(ख) सरकार, नेताओं की परस्पर यात्राओं के विनिमय, विदेश कार्यालयों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय परामर्शों व्यापार मेलों आदि में भाग लेकर दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत से कदम उठा रही है ।

ऊथान्ट का भारत और पाकिस्तान का दौरा

*267. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति याह्या खां ने सुझाव दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव ऊथांट, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनावपूर्ण स्थिति को दूर करने के लिए दोनों देशों का दौरा करें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । यह सुझाव राष्ट्रपति याह्या खां ने अपने 21 अक्तूबर के पत्र में दिया था । यह पत्र 20 अक्तूबर, 1971 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र के उत्तर में लिखा था इसमें भारतीय उप-महाद्वीप में बढ़ते हुए तनाव की ओर ध्यान खींचा है । उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है कि यूथांट की इस यात्रा का "हितकारी एवं अपेक्षित प्रभाव होगा तथा इससे शांति को बल मिलेगा ।"

(ख) 16 नवम्बर को प्रधान मंत्री ने महासचिव के पत्र का उत्तर दिया और भारत के सहयोग का आश्वासन देते हुए लिखा है कि पूर्व बंगाल के लिए किसी राजनीतिक समझौते एवं वहां के लोगों की घोषित इच्छाओं को पूरा करने के लिए भारत जो भी प्रयत्न कर सकता है वह करेगा। महासचिव को यह सुझाव दिया गया कि वे समस्या के मूल के कारण की ओर ध्यान दें जो पूर्व बंगाल के साढ़े सात करोड़ लोगों का भाग्य निर्धारण एवं उनके अ-हस्तांतरकरणीय अधिकारों का सम्मान करने से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान को बराबर मानते हुए उनकी सेवाएं तो मुख्य समस्या से ध्यान हटाएंगी और इसे भारत-पाक विवाद के रूप में बदल देगी इससे तनाव और बढ़ेगा ही घटेगा नहीं। महासचिव का पत्र और हमारे उत्तर की प्रतियां 18 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 690 के उत्तर में सभा-पटल पर रख दी गई थी।

Development Plan for Eastern Region

*268. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Mr. Kennedy, Chairman of the U. S. Senate Sub-Committee on Refugees, has suggested that a separate development plan should be chalked out for intensive development of the eastern areas of India forming part of Assam, Tripura, Meghalaya, Bengal, Bihar and Orissa and international aid should be provided for this purpose quite separately in order to enable India to face the grave problem arising out of the influx of refugees from East Bengal ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विदेश मन्त्री की विदेश यात्रा

*270. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या **विदेश** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् की अंतर्सत्रावधि में उन्होंने कितने देशों की यात्रा की ; और

(ख) बंगला देश के बारे में हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए कौन कौन से देश सहमत हो गये थे ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). महासभा अधिवेशन में भाग लेने के लिए न्यूयार्क के मेरे दौरे के अलावा संसद् सत्र के बीच की अवधि में मैंने श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया का दौरा किया।

मैंने जिन जिन देशों का दौरा किया वहां मैंने पाया कि वे बंगला देश के सम्बन्ध में भारत सरकार के रुख और वर्तमान स्थिति की सराहना करते हैं। दौरों की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति/प्रेस नोट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1111/71]**

पालामऊ (बिहार) में अल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना

1594. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक एल्युमिनियम फैक्टरी स्थापित करने के लिये पालामऊ जिला (बिहार) में बाक्साइट के पर्याप्त अयस्क उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या निकट भविष्य में वहां पर एक एल्युमिनियम संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) बिहार के प्रमुख बाक्साइट निक्षेप रांची जिले की पश्चिमी दिशा और पालामऊ जिले की निकटवर्ती उच्चभूमि में अवस्थित हैं। बिहार में बाक्साइट निक्षेपों की कुल उपलभ्य राशियां 312.40 लाख टन हैं जिनमें से केवल 125.40 लाख टन परिमित श्रेणी में हैं और ये हिन्दुस्तान ऐलूमिनियम निगम, भारतीय ऐलूमिनियम कम्पनी और भारतीय ऐलूमिनियम निगम द्वारा धारित पट्टों में आते हैं। चूंकि वे कम्पनियां इन निक्षेपों को अपने रेगुकूट, मुरी/हीराकुड और आसनसोल स्थित ऐलूमिना संयंत्रों और प्रद्रावकों में पहले ही प्रयोग में ला रही हैं, पालामऊ बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित एक और नए ऐलूमिनियम प्रद्रावक का आयोजन करना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा, बिहार सरकार के भूविज्ञान और खनन निदेशालय के सहयोग से, अयस्क की नई उपलभ्य राशियां विस्तार में अवस्थित और प्रमाणित नहीं हो जाती हैं।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते हैं।

जापान से इस्पात का आयात

1595. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से खनिज लोहा जापान से जाने वाले जहाज बिल्कुल खाली वापस आते हैं ;

(ख) क्या सरकार इन खाली लौटने वाले भारतीय जहाजों में इस्पात का आयात करने पर विचार कर रही हैं ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके ; और

(ग) क्या सरकार कच्चे लोहे और रेलवे के पास पड़े रद्दी लोहे के बदले जापान से इस्पात का आयात करने पर भी विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) . जापान से पहले ही कच्चे लोहे के निर्यात के बदले इस्पात का आयात किया जा रहा है। अन्य विषयों पर जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा खानों के विकास पर किया गया व्यय

1596. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में आसाम, नागालैंड,

मेघालय के पूर्वी राज्यों तथा मनीपुर, त्रिपुरा और नेफा के संघ राज्य क्षेत्रों में खानों के विकास पर कितना व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) उक्त राज्यों में खानों के विकास हेतु अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राज्यों में और इन संघ राज्य क्षेत्रों में खानों के विकास पर कोई व्यय करना प्रस्तावित नहीं है ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी ।

कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

1597. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा कोयला खान उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार किये हुए यद्यपि चार वर्ष से अधिक समय हो गया है तथापि उन सिफारिशों को बारागोलाई, लेडो, टियलिंग, डेलिनी स्थित कोयला खानों और आसाम में ऐसी ही अन्य प्राइवेट कम्पनी की कोयला खानों में अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या प्रबन्धकों और उचित अधिकारियों को दोनों को ही कई अभ्यावेदन दिये जाने के उपरान्त भी प्रबन्धकों के रवैये में परिवर्तन नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) . जी हां ।

(ग) सिफारिशें सांविधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं । तथापि, उन्हें अनुनय और मंत्रणा द्वारा लागू करवाने के लिये प्रयास जारी हैं ।

आसाम में इस्पात का वितरण

1598. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों तथा आसाम में आसाम लघु उद्योग विकास निगम को इस्पात तथा स्टेनलेस स्टील का कितना कोटा अलाट किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में यदि सरकार द्वारा किन्हीं उद्योगों को इस्पात अथवा स्टेनलेस स्टील का कोटा सीधे अलाट किया गया है तो उनके नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयला खानों में तालाबन्दी

1599. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1971 को समूचे देश में राज्य-वार कितनी कोयला खानों में तालाबन्दी थी ;

(ख) इन तालाबन्दियों के कारण कुल कितने मजदूर बेरोजगार हुए ; और

(ग) तालाबन्दी समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) . सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

कार्मिक संघों का कम मजदूरी पर प्रबन्धकों से समझौता

1600. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में राज्य वार उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जिनमें कार्मिक संघों ने कोयला मजूरी बोर्ड द्वारा निर्धारित मजूरी से कम मजूरी पर प्रबन्धकों से समझौता किया था ; और

(ख) कार्मिक संघों के नाम क्या है और वे राज्यवार किन केन्द्रीय संगठनों से सम्बद्ध हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) . 700 के लगभग कोलियरियां हैं और सभी कोलियरियों में करारों के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, यदि किसी विशेष क्षेत्र की कोलियरियों के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित है, तो उसे एकत्र करने के लिए कार्यवाही की जा सकती है ।

सूती कपड़ा उद्योग के लिये भविष्य निधि योजना

1601. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1971 को सूती कपड़ा उद्योग तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्य कारखानों में कितने सदस्य भविष्य निधि योजना में सम्मिलित हुए हैं ;

(ख) क्या इस योजना के अच्छे परिणाम निकले हैं और यह मजदूरों के लिये लाभप्रद है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें क्या त्रुटियां हैं और इसको सुचालित तथा सफल बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/कारखानों और अन्यों के बीच कोई भेद-भाव नहीं बरतता । 31 अक्तूबर, 1971 को अंशदाइयों की संख्या के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, दोनों-छूट प्राप्त और छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों/कारखानों में, जिन पर अधिनियम लागू है, 30-6-1971 को अंशदाइयों की संख्या 60.44 लाख थी ।

(ख) सेवा-निवृत्ति लाभों के रूप में सदस्य-श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक सहायता का एक ठोस उपाय जुटाने में कर्मचारी भविष्य निधि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कपड़ा मिलों में परिवार पेंशन योजना

1602. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1971 तक कपड़ा मिलों में कितने श्रमिकों ने परिवार पेंशन योजना अपनाई है और भारत भर में कपड़ा मिलों में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ;

(ख) क्या श्रमिकों में यह योजना अपनाने के लिये रुचि नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस योजना के लिये श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या उपाय किये हैं या करना चाहती हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

गत अंतर्सत्रावधि में विदेशों को भेजे गये मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल

1603. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अन्तर्सत्रावधि में मंत्रियों के अनेक प्रतिनिधिमण्डल विदेशों को भेजे गये ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उनमें क्या प्रतिक्रिया देखने में आई ;

(ग) इन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल किये गये मंत्रियों और संसद सदस्यों के नाम क्या हैं और उनका चयन किस आधार पर किया गया ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये कितना व्यय हुआ ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) गत अन्तर्सत्रीय अवधि में मंत्री स्तर के प्रतिनिधि मंडल ने निम्नलिखित देशों का दौरा किया :–

(1) इण्डोनेशिया (2) नेपाल (3) श्री लंका (4) जाम्बिया (5) तंजानिया (6) बुरुंडी (7) उगांडा (8) कीनिया (9) सोमालिया (10) इथोपिया (11) जैरे (पूर्वनाम-कांगो, किंशासा) (12) नाइजरिया (13) घाना (14) सेनेगल (15) सियरा लियोन (16) गिनी (17) अर्जेन्तीना (18) चिली (19) पेरू (20) ब्राजील (21) वेनेजुएला (22) इक्वाडोर (23) गुयाना (24) ट्रिनिडाड और टोबागो (25) जमायका (26) पनामा, (27) निकारागुआ (28) क्यूबा (29) मैक्सिको ।

जिन देशों का दौरा किया गया उन सभी देशों ने न्यूनाधिक मात्रा में भारत सरकार के मत का समर्थन किया है । शरणार्थियों की समस्या के प्रति तथा बंगला देश में ऐसी स्थिति तुरन्त पैदा

करने के लिये जिससे और शरणार्थियों का भारत आना रोका जाय और जो भारत में पहले ही आ गये हैं, उन्हें वापस जाने की सुविधा दी जाये। अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व में समझबूझ बढ़ रही है। ऐसा अब स्पष्ट रूप से अनुभव किया गया है कि पाकिस्तान के सैनिक शासकों को राजनीतिक समाधान के लिये बंगला देश की जनता द्वारा पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ अवश्य समझौता कर लेना चाहिए।

(ग) इन प्रतिनिधि मंडलों में निम्नलिखित मंत्रियों ने भाग लिया :–

(1) सरदार स्वर्ण सिंह, विदेश मंत्री।

(2) श्री एच० आर० गोखले, विधि मंत्री।

(3) श्री राजबहादुर, संसदीय कार्य, परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री।

(4) श्री घनश्याम भाई ओझा, औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(5) श्री के० सी० पन्त, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री।

इन मंत्रियों को प्रधान मंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था ताकि जिन देशों की इन मंत्रियों ने यात्रा की वहां की सरकारों को स्थिति की गम्भीरता से अवगत कराएं तथा बंगला देश की जनता द्वारा पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ तुरन्त राजनीतिक हल खोजने की आवश्यकता के लिये उन सरकारों को प्रभावित करें। मंत्री स्तर के प्रतिनिधिमंडल में कोई भी संसद सदस्य शामिल नहीं थे।

(घ) लगभग 2,51,500 रुपये।

फ्रांस से 6 दरवाजे वाली कार का क्रय

1604. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अत्यन्त सम्मानीय व्यक्तियों के उपयोग हेतु फ्रांस से 2,20,000 रुपये के मूल्य की एक 6 दरवाजों वाली कार खरीदी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पश्चिम जर्मनी से कुल 1,64,000 रुपये के मूल्य की छह दरवाजों वाली एक मर्सेडिज-बेंज कार खरीदी गई है। इसमें दो वर्षों तक इस कार के रख-रखाव में काम आने वाले अतिरिक्त पुर्जों के मूल्य भी शामिल हैं।

(ख) विदेशी अतिथियों की भारत में राजकीय-यात्रा के समय उपयोग के लिये यह कार खरीदी गई है।

अग्निगुंडाला लैंड माइंस के प्रबन्धकों द्वारा पुलिस का बुलाया जाना

1605. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब एक औद्योगिक विवाद विजयवाड़ा

के श्रम आयुक्त (सैन्ट्रल) के पास निर्णयाधीन था उसी समय अग्निगुंडाला लैंड माइंस के प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को पीटने के लिये पुलिस को बुलाया था ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस को किस प्राधिकारी द्वारा बुलाया गया तथा इसकी क्या आवश्यकता थी ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि श्रमिकों को उनकी मांग के अनुरूप प्रबन्धकों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के बाद जब कर्मचारी 18 जुलाई, 1971 को काम पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहां से निकाल दिया ; और

(घ) क्या सरकार इस प्रकार के एकपक्षीय बल-प्रदर्शन के लिये दायित्व निर्धारित करेगी और यह आश्वासन देगी कि भविष्य में ऐसी घटनायें नहीं होंगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). कानून और शान्ति की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का है। तथापि, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार से पता चला है कि अग्निगुंडाला लैंड माइंस के प्रबन्धकों ने पुलिस की मांग नहीं की थी और यह कि कोयखा खानों में हड़ताल को ध्यान में रखते हुए कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस दल खानों के निकट तैनात किया गया था। राज्य सरकार ने अस्वीकार किया कि 19 जुलाई, 1971 को पुलिस ने श्रमिकों को परे धकेल दिया और बिना उत्तेजित किये जाने पर बल का प्रदर्शन किया।

विरोधी दलों के नेताओं को बंगला देश की गतिविधियों से अवगत कराना

1606. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री विरोधी दलों के नेताओं को बंगला देश की आंतरिक तथा बाह्य स्थिति के बारे में समय समय पर अवगत कराती रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो बंगला देश में बहुत सी घटनायें होने के उपरांत भी लोक सभा के बजट सत्र के पश्चात् कोई ऐसी बैठक क्यों नहीं बुलायी गई ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). अन्तर सत्रीय अवधि में प्रधान मंत्री तीन सप्ताहों के लिये विदेश यात्रा पर चली गई थीं। उसके पूर्व जब कभी भी आवश्यकता पड़ी, प्रधान मंत्री ने विपक्षी दलों के उन नेताओं से सम्पर्क स्थापित किया जो व्यक्तिगत रूप से जल्द सुलभ हुए। विदेश यात्रा से लौटने के तुरन्त बाद संसद का वर्तमान अधिवेशन शुरू होने के पहले वे विपक्षी दलों के नेताओं से मिलीं।

बंगला देश में घटनाएं

1607. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त 1971 के मध्य से लेकर अब तक बंगला देश में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं ; और

(ख) इन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) बंगला देश स्वतन्त्रता सेनानियों की प्रतिरोधी गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान सरकार अब भी दमन और अत्याचार कर रही है, जिससे आम क्षमादान, असैनिक सरकार की स्थापना आदि जैसे उपाय, जिनका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय मत को धोखा देना था, केवल ढोंग बनकर रह गए हैं। पूर्व बंगाल से भाग कर भारत आने वाले शरणार्थियों की बाढ़ जारी है और 15 अगस्त से 22 नवम्बर 1971 तक 22 लाख 30 हजार शरणार्थी भारत आये। पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ सीमा पर, पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में, सीमा के साथ-साथ अपनी सभी सेनाएं तैनात करके गम्भीर तनाव कायम कर दिया है, जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान इस ओर खींचा जा सके और बंगला देश के प्रश्न को भारत पाकिस्तान संघर्ष के रूप में बदला जा सके।

(ख) इन घटनाओं से इस बात की पुष्टि हो गई है कि बंगला देश की समस्या सैनिक ढंग से हल नहीं किया जा सकता और केवल पाकिस्तान के सैनिक शासकों और शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में लोगों द्वारा पहले से ही चुने गये प्रतिनिधियों के बीच राजनीतिक समझौते से ही वर्तमान संघर्ष और तनाव को समाप्त किया जा सकता है।

बंगला देश के शरणार्थियों के मामले में मध्यस्थता

1608. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश के शरणार्थियों के मामले में किसी अन्य देश द्वारा मध्यस्थता कराये जाने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी बंगाल की समस्या के बारे में ब्रिटेन द्वारा मध्यस्थता करने का प्रस्ताव

1609. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को ब्रिटेन की ओर से मध्यस्थता करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने अखबारों में ब्रिटिश नेताओं के तथा हाउस आफ कामन्स में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिये गए वक्तव्य भी देखे

हैं जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की मांग पर बंगला देश की समस्या में सहायता देने को कहा है। परन्तु यू० के० सरकार को इस बात की जानकारी दे दी गई है कि बंगला देश की वास्तविक समस्या पाकिस्तान के सैनिक शासकों द्वारा बंगला देश की जनता की उचित आकांक्षाओं का सम्मान करने और बंगला देश के पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक समझौता करने की है। चूंकि बंगला देश भारत-पाकिस्तान का मसला नहीं है अतः भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में नागपुर विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग द्वारा प्लेटिनम के निक्षेपों का पता लगाया जाना

1610. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर विश्वविद्यालय के भू-विज्ञान विभाग के एक दल द्वारा किये गये प्रारम्भिक सर्वेक्षण से महाराष्ट्र के बांदरा जिले में प्लेटिनम के निक्षेपों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार क्षेत्र का और विस्तृत सर्वेक्षण करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). हाल ही में नागपुर विश्वविद्यालय के एक दल द्वारा महाराष्ट्र के भण्डारा जिले में प्लेटिनम के बृहद निक्षेप के बारे में जानकारी दी गई। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने क्षेत्र के भूवैज्ञानिक अध्ययन किए और चट्टानों में प्लेटिनम के संयोग के परीक्षण के लिए नमूने एकत्रित किए। इन नमूनों से अभी उपलब्ध आधार सामग्री, प्लेटिनम के केवल चिन्हों को उपदर्शित करती है जो कि चट्टानों में अनियमित और अपर्याप्त रूप से फैले हुए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आगे का कार्य प्रगति पर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

तमिलनाडु में विशेष इस्पात के निर्माण के लिए प्रयोग किये जाने वाले खनिज का पता लगना

1611. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष इस्पात के निर्माण में प्रयोग होने वाला मोलीबर्डनाइट नामक खनिज, जिसका सामरिक महत्व है, हाल में मदुरै जिले (तमिलनाडु) में पालानी स्थान के निकट मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने तथा अयस्क को निकालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, तमिलनाडु के मदुराई जिले के कराड़ीकुट्टम के निकट दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पूर्वी पश्चिमी दिशा में 44 मीटर की दूरी तक एलाइट और ग्रेनाइट के 0.50-2.20 मीटर की गहराई की भिन्नता में मोलिब्डनाइट खनिजीकरण का पता लगा है।

(ग) अभी तक 25 बोर-छिद्रों में कुल 2271 मीटर व्यधन किया गया है। खनिजीकरण की गहराई और अनुदैर्ध्य अवस्थिति का निर्धारण करने हेतु आगे का और व्यधन जारी है। प्रवृत्त ध्रुवण (प्र० ध्रु०) पद्धति अपनाते हुए भू-भौतिकीय सर्वेक्षण भी जारी है। गर्तन द्वारा एकत्रित मोलीब्डनाइट खनिजीकरण दर्शित करने वाले प्रचुर नमूनों का परिष्करण अध्ययन हेतु परीक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर, द्वारा किए गए परीक्षणों से 2 नमूनों के लिए आशाजनक परिणाम उपलब्ध हुए हैं।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये जा रहे अन्वेषण सम्पूरित हो जाने के पश्चात् ही अयस्क खनन के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

तमिलनाडु में खनिज निक्षेप

1612. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलगिरि जिले (तमिलनाडु) में सोने और तिरुवन्नामलाई (उत्तरी अर्काट जिले) तमिलनाडु में मैंगनासाइट के निक्षेपों तथा सलेम जिले (तमिलनाडु) में बोक्साइट और उत्तरी अर्काट जिले (तमिलनाडु) में सल्फर पाइरोटाइट के खंडों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) खनन कार्य कब तक प्रारम्भ करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सोने के लिए नीलगिरि जिले में, मैंगनेसाइट के लिए थिरूवनामलाई (उत्तरी आर्काट जिला), बाक्साइट के लिए सलेम जिले और सल्फर पाइरोटाइट के लिए उत्तरी आर्काट जिले में अन्वेषण किए हैं। अन्वेषणों के ब्योरे तथा इनमें से कुछेक निक्षेपों, जहां साध्य हो सका है, के समुपयोजनार्थ की गई कार्रवाई सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है।

विवरण

सोना

नीलगिरि जिला

स्कल-विक्टोरिया रीफ की 900 मीटर अनुदैर्ध्य लम्बाई में सोना अयस्क की संभाव्य उपलभ्य राशियां 1,603,800 टन परिकलित की गई थी जिनमें औसतन 1.9 ग्राम प्रति टन सोनांस है। तथापि, व्यधन से यह प्रमाणित हुआ है कि इस क्षेत्र में लाभकर कार्ययोग्य सोना निक्षेप उपलब्ध नहीं है।

अदाथुराई क्षेत्र में भी सोने के प्राप्ति स्थलों के संकेत मिले हैं। इस क्षेत्र में और आगे के अन्वेषणों और नमूनों के एकत्रित किये जाने का कार्य वर्तमान क्षेत्र सत्र में जारी रखा जाएगा। प्रोत्साहित परिणाम मिलने पर आगे के अन्वेषण किए जाएंगे।

मैंगनेसाइट

थिरुवनामलाई, उत्तरी आर्कट जिला

मैंगनेसाइट की उपलभ्य राशियां तोरापाडी, चेंगम तालुक, उत्तरी आर्कट जिला, के समीप हैं और उनके, 1.74 मीटर गहराई तक 5,914 टन (परिमित उपलभ्य राशियां), 5 मीटर गहराई तक 16,994 टन (उपदर्शित उपलभ्य राशियां) और 25 मीटर की कल्पित गहराई तक 84,969 टन (संकेतित उपलभ्य राशियां) होने का अनुमान है। लघु उपलभ्य राशियों के बारे में हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड को इन निक्षेपों के खनन की संभावना का परीक्षण करने हेतु सूचित कर दिया गया है।

बाक्साइट

सलेम जिला

सलेम जिले की शेवाराय पहाड़ियों एवं कोलाई मलाई पहाड़ियों की बाक्साइट की क्रमशः 35% ए एल $2^{\circ}3$ और अधिक अंश सहित 22.40 लाख टन और 35% से 50% ए एल 2° अंश के 25.90 लाख टन उपलभ्य राशियां अनुमानित हैं।

इस समय मद्रास ऐलूमिनियम कम्पनी लिमिटेड शेवाराय पहाड़ियों के निक्षेपों में मैटूर स्थित अपने ऐलूमिनियम संयंत्र में प्रयोग करने हेतु खनन कार्य कर रही हैं। कोलाई मलाई पहाड़ियों के कुछेक बाक्साइट प्राप्ति स्थलों को भी मद्रास ऐलुमिनियम कम्पनी लिमिटेड को पट्टे पर प्रदत्त किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्य प्राप्ति स्थलों में उनकी अन्तःशक्ति का निर्धारण करने हेतु पूर्वेक्षण कार्य जारी है।

सल्फर (पाइरोटाइट)

उत्तरी आर्कट जिला

उत्तरी आर्कट जिले के थानीयर आर० ई० तालुक में पाइरोटाइट निक्षेपों की पूर्ण अन्तःशक्ति का निर्धारण करने हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1969-70 और 1970-71 में उनके विस्तृत अन्वेषण और पुनर्परीक्षण का कार्यारम्भ किया है। इस कार्य में 1,168 वर्ग कि० मी० का समतल सारणी मानचित्रण (मापमान 1 : 2,000), क्षेत्र के आसपास सल्फाइड निक्षेपों के संभावित विस्तार हेतु बड़े पैमाने पर मापमान—1 : 15,840 पर 50 वर्ग कि० मी० का मानचित्रण, 63,315 घन मीटर पर खाई खोदन, और दिशा एवं अयस्क की उपलभ्य राशियों के परिकलन हेतु 145 खांचा नमूनों का एकत्रित किया जाना सम्मिलित है। पुनर्परीक्षण से सल्फाइड निक्षेप के पर्याप्त अनुदैर्घ्य लम्बाई पर और परिचित प्राप्ति स्थलों के अतिरिक्त खनिजीकरण के अनेक समृद्ध क्षेत्रों की विद्यमानता स्थापित हुई है।

खांचा नमूनों के विश्लेषणात्मक परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है और सल्फाइट निक्षेपों के आगे का और कार्य प्राप्त परिणामों पर आधारित होगा।

केरल में पारे का मिलना

1613. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के उत्तरी मालाबार में बड़ी मात्रा में लूज कार्य में पारा मिला है ;

(ख) क्या भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पूरी तरह जांच करने के लिये केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है ; और

(ग) यदि हां तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषण के परिणामस्वरूप केरल के कोजिकोड जिले के बाडागारा में देशीय पारे का पता चला है।

(ख) और (ग). राज्य में पारे के लिए समन्वेषण कार्य को त्वरित करने के लिए केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वर्तमान क्षेत्र सत्र के दौरान इस कार्य को पहले ही अग्रता दे दी है।

अभी तक विश्लेषित किए गए नमूनों ने कोई अनुकूल परिणाम दर्शित नहीं किए हैं। तथापि, कार्य प्रगति पर है और कार्य में आगे की गति त्वरण अभिप्राप्त परिणामों पर निर्भर रहेगा।

कलकत्ता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता/ नगर प्रतिकर भत्ता देना

1614. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी संघ, कलकत्ता की ओर से कलकत्ता और हावड़ा के इर्द-गिर्द काम कर रहे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता देने की अपनी मांग के समर्थन में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस मांग को स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 49 कार्यालय हैं, जिनमें से 20 कार्यालय कलकत्ता और हावड़ा की नगर-सीमाओं में स्थित हैं, जहां मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता 'ए' श्रेणी के नगरों की दर पर ग्राह्य है और 29 कार्यालय कलकत्ता और हावड़ा की नगर-सीमाओं के बाहर के 'गैर-भत्ता क्षेत्र' में स्थित हैं, जहां या तो कोई भत्ता ग्राह्य नहीं है या 'सी' श्रेणी के नगर की दर पर केवल मकान किराया भत्ता ग्राह्य है। परिणामस्वरूप, 'गैर-भत्ता क्षेत्र' में नियुक्ति होने पर कर्मचारियों को परिलब्धियों में कमी का नुकसान उठाना पड़ता है। यूनियन ने मांग की है कि ग्रेटर कलकत्ता की सीमाओं के अन्दर कलकत्ता और हावड़ा में और आसपास नियुक्त पश्चिम बंगाल क्षेत्र के तमाम कर्मचारियों को कलकत्ता और हावड़ा की दरों पर मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाए।

(ग) और (घ). कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारी, वेतन और भत्तों के मामलों में, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान माने जाते हैं। विशेष जिलों में सभी कर्मचारियों को एक समान दर पर मकान किराया भत्ता मंजूर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

कोचीन पत्तन पर अक्टूबर, 1971 में हुई हड़ताल

1615. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन पर अक्टूबर, 1971 में हड़ताल हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या श्रमिकों की यह मांग पूरी कर दी गई थी कि दिल के दौरे से जहाज पर मरे एक श्रमिक की शव-परीक्षा गोदी श्रमिक बोर्ड के डाक्टर द्वारा की जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विशिष्ट नियम क्या हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि ऐसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 25 अक्तूबर, 1971 को काम-बन्दी हुई। 26 तारीख को 00.30 बजे काम पुनरारम्भ हो गया।

(ख) किसी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हुई ; तथापि कामबन्दी के परिणामस्वरूप नौभरण कार्यों में देरी हुई ।

(ग) कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड वर्तमान प्रथानुसार श्रमिक को रोगी-गाड़ी द्वारा पूर्णतः लैस पत्तन अस्पताल में तत्काल देखभाल के लिए ले जाना चाहते थे ; परन्तु श्रमिकों के एक दल ने रोगी को पत्तन अस्पताल ले जाने से रोका और मांग की कि गोदी श्रमिक बोर्ड के डाक्टर को श्रमिक की जांच करने के लिए जहाज पर जाना चाहिए। यह मांग पूरी नहीं की गई, क्योंकि यह स्थायी प्रथा के विरुद्ध थी। तथापि, विचार-विमर्श के बाद, उन्होंने स्टीमर एजेंटों द्वारा व्यवस्थित सरकारी डाक्टर से श्रमिक की जांच करानी स्वीकार कर ली।

(घ) इस मामले में कोई विशिष्ट नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं और अपनाई गई प्रथा रोगी को झटपट पत्तन अस्पताल ले जाने की है, जो जहाज-घाट/जल-प्रवाह के बहुत समीप है और पर्याप्त चिकित्सा कर्मचारियों एवं उपकरणों से लैस है। इस मामले पर गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है और भविष्य में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्णय, गोदी श्रमिक बोर्ड की आगामी बैठक में लिए जाने की आशा है।

उर्वरकों का आयात

1616. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **पूर्ति** मंत्री विदेशों से उर्वरकों के आयात की पद्धति के बारे में 3 दिसम्बर, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 508 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों की खरीद के लिये वर्ष 1970 में विदेशों में कोई शिष्टमंडल न भेजकर जैसा कि पहले भेजा जाता था, भिन्न प्रणाली क्यों अपनाई गई थी ;

(ख) क्या पहले विदेशों में शिष्टमंडल भेजकर 7.5 करोड़ रुपये की कुल बचत प्राप्त की गई थी ;

(ग) क्या एमोनियम सल्फेट के लिये जो कीमत निट्रेक्स को अदा की गई थी वह कीमत फर्म द्वारा प्रारम्भ में 'कोटेशन' में दी गई कीमत से अधिक थी और उन्होंने अन्य देशों को जिस कीमत पर इसे बेचा था उससे ये कहीं अधिक थी ; और

(घ) लाखों रुपये के इस घाटे के बारे में जांच करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) विदेशों में बातचीत करने के लिए शिष्टमंडल भेजने की जो प्रणाली पहले थी, वही प्रणाली 1970 में भी अपनायी गई थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1970 में अमोनियम सल्फेट नहीं खरीदा गया था ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नेपाल में पूर्व-पश्चिम राजपथ का निर्माण

1617. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल में 1100 किलोमीटर लम्बे पूर्व-पश्चिम राजपथ के सेंट्रल सेक्टर के निर्माण के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा ।

दिल्ली में कोयले की कमी

1618. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :**
चौधरी दलीप सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दिनों में दिल्ली में पत्थर के कोयले का अभाव हुआ था ;

(ख) क्या दिल्ली में पत्थर के कोयले के अभाव की स्थिति पुनः उत्पन्न होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके निराकरण हेतु किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). नवम्बर, 1971 में कोयला चूर्ण और साफ्ट कोक दोनों के ही आवंटन में सुधार हुआ है। रेल विभाग द्वारा नवम्बर, 1971 से पश्चिम बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से लदान की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।

पूर्वी बंगाल से आये विस्थापितों के लिए घर

1619. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी बंगाल से आये ऐसे विस्थापितों के लिये कितने घर बनाये गये हैं, जिन्हें सरकार ने अब तक अपना स्थायी दायित्व माना है ;

(ख) उन्हें व्यापार और तकनीकी मामलों में प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधायें देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं जिससे उन्हें भली भांति इस योग्य बनाया जाये कि वे स्वयं कुछ कार्य कर सकें ; और

(ग) शिविरों में दान पर रहने वाले जवान हो रहे बच्चों के लिये रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने के बारे में क्या क्या दीर्घकालीन योजनायें हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये और शिविरों में रह रहे (वे जो 1-1-1964 को या उसके बाद और 25 मार्च, 1971 से पूर्व भारत आये) नए प्रवासियों के स्थायी दायित्व परिवारों में से वृद्ध और अपाहिज व्यक्तियों, और निराश्रित महिलाओं, और अनाथों के लिए विभिन्न राज्यों में 6 स्थायी दायित्व गृह स्थापित करने का निश्चय किया गया है जिनमें इस प्रकार के 4,400 परिवारों को आवास दिया जायेगा। उनका ब्यौरा निम्नलिखित हैं :–

स्थायी दायित्व गृह का स्थान	क्षमता (परिवार)
माना, रायपुर (मध्य प्रदेश)	2,000
अमताली (त्रिपुरा)	300
बामुनीगांव (आसाम)	1,000
तुरा, गारो पहाड़ियां (मेघालय)	300
विरसी (महाराष्ट्र)	300
सुनाबेदा (उड़ीसा)	500
योग	4,400

इन स्थायी दायित्व गृहों के निर्माण कार्य के पूर्ण होने तक, इन परिवारों को आवाजाही शिविरों/केन्द्रों में आवास दिया गया है। माना, मध्य प्रदेश में निर्माण कार्य चार चरणों में पूरा होने वाला था जिनमें से दो चरण I & II पूरे हो चुके हैं और 1050 परिवार गृह में भेज दिये गये हैं। त्रिपुरा में अमताली गृह निर्माणाधीन है। इस गृह का जो भाग पूर्ण हो चुका है उसमें 85 परिवारों को आवास दिया गया है। महाराष्ट्र में विरसी स्थायी दायित्व गृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो

चुका है किन्तु वहां अभी तक कोई परिवार नहीं भेजा गया है क्योंकि भवन को 1970 में आए नए प्रवासियों को आवास देना पड़ा था। नए प्रवासियों के कुछ स्थायी दायित्व परिवारों को, महिला आश्रम करनाल (हरियाणा), दुर्गाकुन्ड गृह वाराणसी, (उत्तर प्रदेश) और डालीगंज गृह, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) आदि वर्तमान स्थायी दायित्व गृहों में जो समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं, आवास दिया गया है।

(ख) और (ग). शिविरों में रहने के दौरान स्थायी दायित्व के परिवारों को वही विभिन्न राहत, शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाती हैं जो गैर-स्थायी दायित्व के परिवारों को आवाजाही शिविरों/केन्द्रों में उनके पुनर्वास स्थलों आदि पर भेजे जाने के पहले तक दी जाती है। बढ़ईगीरी, बांस का सामान बनाने, बुनाई, सिलाई, कशीदाकारी, बुनाई, छींट की छपाई, हस्तकला और खिलौने बनाने आदि में प्रशिक्षण देने की सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। कुछ स्थायी दायित्व के शिविरों में रहने वाले स्थायी दायित्व वर्ग के लोगों को आत्म निर्भर बनाने के लिए उनमें सिलाई केन्द्र खोले गए हैं। इसके अलावा कुछ सुयोग्य महिलाओं को सहायक नर्स-एवं-दायी के पाठ्यक्रम के लिए माना शिविर, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में भेजा जाता है। स्थायी दायित्व के परिवारों के बच्चों को दी गई सामान्य शिक्षा के अलावा उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण, भारी वाहन मेकेनिक्स एवं ड्राइवरी का प्रशिक्षण और सहायक नर्स-एवं-दायी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित करने के लिए, जिनके लिए माना में प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं, सुविधाएं भी दी जाती हैं।

विदेशी सूचना और सांस्कृतिक केन्द्रों का संचालन करने वाले नियम

1620. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में भारत में विदेशी सूचना और सांस्कृतिक केन्द्रों के संचालन करने वाले नये नियमों का परिचालन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सभी विदेशी मिशनों को भेजे गए परिपत्र, दिनांक 10-9-1971 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1112/71**]

पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत के प्रधान मन्त्री से मिलने की इच्छा

1621. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने तनाव कम करने के प्रयास करने के लिये भारत के प्रधान मंत्री से मिलने की इच्छा प्रगट की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या आपसी समस्याओं पर चर्चा करने के लिये इन दोनों के बीच कोई बैठक होने की सम्भावना है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) और (ग). बंगला देश का मामला यह है कि पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने पूर्वी बंगाल के लोगों की उचित और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को मान्यता देने से इन्कार कर दिया है। अतः यह पाकिस्तान के सैनिक शासकों और पूर्वी बंगाल की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच का मामला है। बंगला देश के मामले के सम्बन्ध में भारत-पाक वार्ता का कोई भी सुझाव बिल्कुल असंगत है और स्पष्ट रूप से इसे भारत-पाकिस्तान विवाद का रूप देने का प्रयास है, जो है नहीं।

आकाशवाणी के विरुद्ध पाकिस्तानी रेडियो के प्रचार का विरोध

1622. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विरुद्ध पाकिस्तानी रेडियो के प्रचार के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है अथवा भेजा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति में कोई सुधार होने की आशा है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) खास तौर पर आकाशवाणी के विरुद्ध पाकिस्तानी रेडियो के प्रचार के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध-पत्र नहीं भेजा गया है। जब भी आवश्यक हुआ है सरकार ने पाकिस्तान सरकार को भारत के विरुद्ध गलत प्रचार के लिए विरोध-पत्र भेजा है।

(ख) सरकार का विचार है कि स्थिति में तभी सुधार हो सकता है, जब पाकिस्तानी शासक भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति त्याग दें।

बंगला देश के संबंध में मिश्री अरब गणराज्य के विचार

1623. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के बारे में किसी अरब गणराज्य सरकार का रवैया अभी तक पाकिस्तान समर्थक है और क्या भारत सरकार के उन्हें सत्य का मार्ग अपनाने पर बाध्य करने के प्रयत्न सफल नहीं रहे ; और

(ख) राष्ट्रपति टीटो की दिल्ली यात्रा के पश्चात् काहिरा यात्रा का क्या परिणाम रहा ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने पूर्व बंगाल की वास्तविक स्थिति तथा शरणार्थियों की समस्या से मिश्र अरब गणराज्य की सरकार को अवगत कराने के लिए राजनयिक तथा अन्य कदम उठाए हैं। मिश्र अरब गणराज्य की सरकार ने स्थिति के हमारे मूल्यांकन के प्रति अब अधिक समझ-बूझ व्यक्त की है। 30 सितम्बर 1971 को न्यूयार्क में विदेश मंत्री स्तर की गुटमुक्त देशों की परामर्श बैठक में उन्होंने रचनात्मक रुख अपनाया था। फिर भी हमें इस तथ्य की जानकारी है कि मिश्र के प्राधिकारियों ने कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया है।

(ख) बताया जाता है कि 20 अक्तूबर 1971 को जब राष्ट्रपति टीटो काहिरा में थे, उन्होंने मिश्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति सादत से बंगला देश की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श किया था। विश्वास किया जाता है कि मिश्र अरब गणराज्य की सरकार पूर्व बंगाल की स्थिति और शरणार्थी समस्या के बारे में अब अधिक जागरूक है।

लोहा, इस्पात और कोयला उद्योगों का कार्यकरण

1624. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969,1970 और 1971 के पूर्वार्ध में मूल और पूंजीगत-वस्तु उद्योगों के कार्य की क्या स्थिति रही ; और

(ख) क्या उनके उत्पादन में कमी आई है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख).

उत्पादन

(लाख टन)

	1968	1969	1970	जनवरी-जून 1971	जनवरी-जून 1970
विक्रेय कच्चा लोहा	14.7	15.6	13.9	04.8*	05.6*
इस्पात पिण्ड	64.5	64.8	62.3	30.1*	30.1*
तैयार साधारण इस्पात	44.4	47.7	46.4	21.9*@	22.8*@
कोयला	708.0	754.6	736.9	344.0	379.8

ऊपर दिए गए आंकड़ों से पता चलेगा कि 1969 का उत्पादन 1968 के उत्पादन से अधिक था। 1970 का उत्पादन 1969 के उत्पादन से कुछ ही कम था। जनवरी-जून 1971 का उत्पादन भी गत वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन से कुछ कम था। इस्पात उद्योग की, कोक की कमी, श्रमिक अशान्ति तथा परिचालन-कठिनाइयों जैसी अपनी समस्याएं थी। यातायात की कठिनाइयों के कारण कोयले के उत्पादन में बाधा आई थी।

*केवल मुख्य उत्पादकों के आंकड़े दिए गए हैं।

@तैयार इस्पात—सेमिस का 90 प्रतिशत।

बंगला देश में सम्मेलन

1625. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की स्थिति पर चर्चा करने के लिए हाल में नई दिल्ली में 20 से अधिक देशों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ;

(ग) क्या सम्मेलन ने भारत सरकार से इसमें भाग लेने का अनुरोध किया था ; और

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार ने अनुरोधों पर क्या कार्यवाही की और सम्मेलन में क्या निर्णय किया गया ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) नई दिल्ली में 18-20 सितम्बर 1971 तक बंगला देश पर एक गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें 20 से भी अधिक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

(ख) पता चला है कि सम्मेलन की कार्यसूची में बंगला देश के प्रश्न का प्रस्तुतीकरण, स्वतंत्रता संघर्ष, बंगला देश की सरकार का समर्थन और सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व सम्मिलित था ।

(ग) और (घ). चूंकि सम्मेलन गैर-सरकारी था, अतः भारत सरकार का इसमें भाग लेने का प्रश्न नहीं उठता । फिर भी, सरकार ने सम्मेलन में पारित प्रस्तावों को नोट किया है ।

लघु इस्पात संयंत्रों के लिए आवेदन-पत्र

1627. **श्री मोहम्मद इस्माइल :**
श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु इस्पात संयंत्रों के लिये राज्यों से राज्य-वार कितने आवेदन-पत्र मिले हैं ;

(ख) ऐसे लघु इस्पात संयंत्र कितने हैं जिन्हें अब तक आशय-पत्र जारी कर दिये गये हैं ; और

(ग) क्या उनमें से किसी संयंत्र के लिये विदेशी सहयोग लिया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग). संभवतः प्रश्न का अभिप्राय विद्युत् भट्टियों के इस्तेमाल से पिघले हुए इस्पात का परम्परागत अथवा लगातार ढलाई के तरीके से इस्पात पिण्ड / बिलेट तैयार करने वाले यूनिटों के लिए औद्योगिक लाइसेन्सों के लिए आवेदनों

से है जिन्हें राज्य सरकारों ने पूर्णरूपेण राज्य सरकारों के औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के आवेदनों का विवरण निम्नलिखित है: —

क्रम सं०	राज्य उपक्रम	निर्माण की मद	क्षमता टन	स्थान	आशय पत्र/सी० ओ० बी० लाइसेन्स जारी करने की तारीख
1.	तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम	इस्पात बिलेट	1,00,000	आरकोनम तमिलनाडू	10-4-67
2.	उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम	इस्पात बिलेट	80,000	उड़ीसा	8-9-70
3.	उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम	इस्पात बिलेट	2,40,000	उड़ीसा	विचाराधीन
4.	पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम	इस्पात बिलेट	50,000	लुधियाना पंजाब	24-12-70
5.	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम	,, ,,	50,000	हरियाणा	18-6-71
6.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	,, ,,	1,00,000	उ० प्र०	28-6-71
7.	आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (1)	,, ,,	50,000	आन्ध्र प्रदेश	11-11-71
	(2)	तार छड़	20,000		
8.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम	इस्पात बिलेट	65,000	राजस्थान	विचाराधीन

अभी तक उपर्युक्त किसी भी सरकार के उपक्रम से विदेशी सहयोग की अनुमति के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

नेपाली नागरिकों की भारत में गतिविधियां

1628. **श्री वनमाली पटनायक :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में रहने वाले कुछ नेपाली नागरिक ऐसी कार्यवाहियां करते रहे हैं, जो भारत तथा नेपाल के बीच मित्रता-पूर्वक सम्बन्धों के विपरीत हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार को भारत में रहने वाले नेपाली नागरिकों की ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी नहीं है ।

(ग) सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भारतीय सीमा के अंतर्गत किसी भी मित्र देश के खिलाफ किसी शत्रुतापूर्ण राजनीतिक कार्यवाही की अनुमति नहीं देगी और न ऐसे मित्र देश के विरुद्ध कोई सशस्त्र संघर्ष शुरू होने देगी ।

Investment in Hindustan Zinc Limited

1629. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the amount of public money invested in Hindustan Zinc Limited at present ;

(b) the percentage of production capacity utilized annually ; and

(c) the upto date profit and loss statement ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The Central Government have invested Rs. 1,884.55 lakhs in the Hindustan Zinc Limited as on 20.11.1971 as per details given below :

(i) Share capital	Rs. 953.75 lakhs
(ii) Loan capital	Rs. 930.80 ,,
	Rs. 1,884.55 ,,

(b) Percentage of production capacity utilised annually is indicated below :—

Year	Zinc Smelter	Lead Smelter
1968-69	50.4%	53%
1969-70	55.1%	45%
1970-71	59.6%	40%
1971-72	66.3%	28.3%

(Proportionate achievement till 31.10.1971)

(c) Year-wise profit/loss made/incurred by the Company is indicated below :—

Year	Profit	Loss	Cumulative loss
		(Rs. in lakhs)	
1966-67	2.54	—	—
1967-68	1.95	—	—
1968-69	—	35.81	35.81
1969-70	—	148.27	184.08
1970-71	—	117.74	126.11*

*The reduction in the "cumulative losses" is due to change in the method of depreciation effected in 1970-71 for all the years.

रोजगार सम्बन्धी नीतियों के निर्धारण के लिये केन्द्रीय जनशक्ति एजेन्सी

1631. **श्री निहार लास्कर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार सम्बन्धी नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन में समन्वय के लिये एक केन्द्रीय जनशक्ति एजेंसी की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

बांगला देश के शरणार्थियों के लिये अप्रयुक्त पड़े ट्रक

1633. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांगला देश से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास कार्य में प्रयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र 'फोकल प्वायंट' द्वारा दान में दिये गये 400 बिल्कुल नए ट्रक अगस्त, 1971 से खुले में अप्रयुक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इनके अप्रयुक्त पड़े रहने का मुख्य कारण नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सहायता समन्वय समिति द्वारा इनके उपयोग के बारे में निश्चय न करना माना है ; और

(घ) यदि हां, तो ट्रकों के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और क्या इनमें से कुछ ट्रक बेकार हो गये हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) . जी, नहीं । 228 जापानी ट्रक जो संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि के माध्यम से 31 अगस्त और पहली सितम्बर, 1971 के बीच प्राप्त हुए थे उन्हें कुछ समय के लिये कलकत्ता में रोक लिया गया था क्योंकि स्थल मार्ग संचार के भंग हो जाने के फलस्वरूप उन्हें गंतव्य स्थानों पर नहीं भेजा जा सका । जैसे ही अक्तूबर, 1971 के प्रारम्भ में मार्ग खोल दिए गए, वैसे ही सभी वाहनों को गंतव्य स्थानों पर भेज दिया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) देर तक रखने के कारण कोई भी ट्रक बेकार नहीं हुआ है । तथापि, इंगलैंड से कुछ बेडफोर्ड और डोज ट्रक टूटी-फूटी स्थिति में प्राप्त हुए थे और चलाने से पूर्व उनकी मरम्मत करना आवश्यक था ।

बहराइच, उत्तर प्रदेश में ईट-भट्ठों को कोयले की सप्लाई

1634. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कोयले का प्रयोग करने वाले ईटों के भट्ठों की संख्या कितनी है और इनकी कोयले की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) क्या ईट के भट्ठों को वास्तव में कोयले की बहुत कम सप्लाई होती रही है जिसके फलस्वरूप वे बेकार पड़े हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस जिले को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कोयला चूर्ण की प्रतिवर्ष 20 'रेकों' की अपेक्षा के 66 ईट-भट्ठे ।

(ख) जी, हां । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह कहा गया है कि अधिकांश ईट-भट्ठे बेकार पड़े हैं ।

(ग) रेलवे ने 4 नवम्बर, 1971 को बहराइच जिले के लिये कोयले चूर्ण की एक रेक का आवंटन किया था । उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में रेलवे से बात-चीत कर रही है ।

कोयले का उत्पादन

1635. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में कोयले के उत्पादन में कमी होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी का अनुमान है ;

(ग) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) 1970 में अभिप्राप्त 736.90 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 1971 में उत्पादन में लगभग 50 लाख टन की कमी होने की सम्भावना है ।

(ग) रेलवे की माल डिब्बों को अपेक्षित संख्या में उपलब्ध कराने की असमर्थता के परिणाम-स्वरूप गर्त-मुखों पर स्टाक का अत्यधिक मात्रा में संचित हो जाना और मूसलाधार वर्षा के कारण कुछेक कार्य-शील आमुखों में जलाकान्ति हो जाना तथा अनेक खानों में जल-प्रलय होना .

(घ) रेलवे कोयले के परिवहन हेतु माल डिब्बों की उपलब्धता की अभिवृद्धि करने के लिये प्रयत्नशील है । वर्षा ऋतु का प्रभाव भी अब कम हो गया है और आशा की जाती है कि उत्पादन में सुधार होगा ।

बंगला देश से आये शरणार्थियों पर व्यय

1636. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :**
श्री राम कंवर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1971 से लेकर अब तक बंगला देश से आये शरणार्थियों पर सभी सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा मास-वार कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा किये गये व्यय के बारे में सरकार को कोई जानकारी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) बंगला देश के शरणार्थियों पर भारत सरकार के बहुत से विभागों द्वारा खर्च किया जाता है । मासिक खर्च के कुल आंकड़े इस समय सुगमता से उपलब्ध नहीं हैं और इन्हें एकत्रित और संकलित करना होगा ।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किये गये वास्तविक खर्च की अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है । बंगला देश के शरणार्थियों पर किया जा रहा औसत खर्च प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3 रुपये है और कुल खर्च की प्रति पूर्ति केन्द्र द्वारा की जायेगी ।

पाकिस्तानी सैन्य विमानों और नौसेना पोतों को श्रीलंका द्वारा दी गई सुविधाएं

1637. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत सितम्बर, में कोलम्बो की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य विमानों और नौसेना पोतों को उस देश द्वारा तेल भरने की सुविधाओं के दिये जाने के प्रश्न पर श्रीलंका के अधिकारियों से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में श्रीलंका का क्या दृष्टिकोण है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में श्रीलंका के दृष्टिकोण से सरकार संतुष्ट है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) श्रीलंका सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वह ऐसे पाकिस्तानी सैनिक वायुयानों और नौसैनिक जहाजों को श्रीलंका से गुजरने की अनुमति नहीं दे रहा है जो शस्त्र, युद्धोपकरण और सुरक्षा सैनिक ले जा रहे हों ।

(ग) सरकार इन आश्वासनों का स्वागत करती है ।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का बंगला देश के मामले पर दृष्टिकोण

1638. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को बंगला देश के मामले पर भारत की स्थिति की व्याख्या करने तथा इस मामले को हल करने के लिए उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने शिक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दौरे पर भेजा था, जहां वे स्थिति की गंभीरता पर जोर दे सकें एवं बंगला देश के पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक हल की तत्काल आवश्यकता बतला सकें ताकि शरणार्थी अपने घरों को शीघ्र ही सुरक्षित लौट सकें। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने जून 1971 में थाइलैण्ड, मलयेशिया और आस्ट्रेलिया की यात्रा की। विदेश मंत्री ने अगस्त 1971 में इंडोनेशिया और सिंगापुर की यात्रा की और सितम्बर 1971 में श्रीलंका की यात्रा की।

(ख) दौरा किये गए सभी देशों ने अलग-अलग मात्रा में भारत के मत की प्रशंसा की। शरणार्थी समस्या के मानवीय पक्षों को पूरी तरह समझा गया एवं चिन्ता प्रकट की गई।

हजारी बाग, बिहार में बंगला देश के शरणार्थियों का पुनर्वास

1639. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बंगला देश के उन 10,000 शरणार्थियों को स्थायी रूप से बसाने का निश्चय कर लिया है और इस के लिए प्रबन्ध भी किए जा रहे हैं, जो इस समय बिहार के हजारी बाग जिले में अस्थायी शैडों में रह रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें भारत में स्थायी रूप से बसाने का निर्णय किया हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) बिहार के हजारीबाग जिले में शिविर में बंगला देश का कोई भी शरणार्थी नहीं रह रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा

1640. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नेपाल की यात्रा की थी और नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बातचीत की गई थी ; और

(ग) किन मामलों पर दोनों देश एक दूसरे को सहयोग देने पर सहमत हो गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल) : (क) जी हां ।

(ख) द्विपक्षीय हित के मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार विमर्श हुए ।

(ग) दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वे दोनों अपने संबंधों को और सुदृढ़ करने का कार्य करते रहेंगे । संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1113/71]**

भारत मूलक ब्रिटेन के निवासियों द्वारा ब्रिटिश उच्चायोग में धरना

1641. **श्री० पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के अन्दर धरना देने वाले भारतमूलक 33 ब्रिटेन के निवासी 13 अक्तूबर, 1971 से भूखे-प्यासे हैं और उनके पास एक पैसा भी नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत में उन्हें रोजगार नहीं मिल सका और उन्हें पिछले 24 वर्षों से कहा जा रहा है कि वे अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा करें ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). पूर्व अफ्रीका से आये भारतीय मूल के 33 ब्रिटिश पासपोर्टधारियों ने नई दिल्ली स्थित यू० के० हाई कमीशन के अहाते में 13 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 1971 तक शांतिपूर्ण धरना दिया । उनका उद्देश्य ब्रिटेन के लिए शीघ्र ही प्रवेश-पत्र प्राप्त करना था, जहां वे पूर्व अफ्रीका से निकलने पर मजबूर किये जाने पर, बसना चाहते थे ।

भारत सरकार ने यू० के० अधिकारियों पर हर अवसर पर यह दबाव डाला है कि एशियाई मूल के ब्रिटिश पासपोर्टधारियों की पूरी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की है, अतः उन्हें यू० के० में स्वतंत्रता से एवं बिना किसी भेदभाव के प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए । आजकल पूर्व अफ्रीका से आने वाले ऐसे व्यक्तियों को प्रवेश-पत्र देने के लिए यू० के० अधिकारियों ने वार्षिक कोटा पद्धति चला रखी है । भारत सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि भारत में रह रहे पूर्व अफ्रीका से आए एशियाई मूल के ब्रिटिश पासपोर्टधारियों के लिए कोटा होना चाहिए ।

भारत द्वारा पाकिस्तानी वायु-सीमा का अतिक्रमण

1642. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिक विमान कैन्वेरा ने

16 अक्तूबर 1971 को राजस्थान सीमा के उस पार पश्चिमी पाकिस्तान क्षेत्र के बहावलनगर स्थान पर पाकिस्तान में 6.5 किलोमीटर की दूरी तक पाकिस्तानी वायु-सीमा का अतिक्रमण किया था ;

(ख) क्या यह भी आरोप लगाया गया है कि भारत कुछ समय से पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान की वायु-सीमा का अतिक्रमण करता आ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन की अपनी घटनाओं को छिपाने के लिए, पाकिस्तान ने समय-समय पर भारत पर झूठे आरोप लगाये हैं । सरकार ने इस प्रकार के निराधार आरोपों को अस्वीकार कर दिया है ।

पश्चिम बंगाल में बंगला देश के शरणार्थियों के लिए औद्योगिक बस्तियों की स्थापना

1643. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास कार्य की समीक्षा करने वाली समिति ने पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में जहां बांगला देश के शरणार्थी काफी बड़ी संख्या में हैं, औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) समीक्षा समिति ने पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में जहां वर्तमान संघर्ष के फलस्वरूप पूर्वी बंगाल के शरणार्थी आए हैं, उनके पुनर्वास के लिए औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का कार्यकरण

1644. **श्री के० लकप्पा** :
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के कार्यकरण की जांच करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रम आयुक्तों का सम्मेलन

1645. **श्री के० मालन्ना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों तथा केन्द्र के श्रम आयुक्तों के सम्मेलन की रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें श्रमायुक्तों के प्रथम सम्मेलन की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही वर्णित है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1114/71]**

Foreign help to solve Unemployment

1646. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state whether foreign Governments also help India in solving its unemployment problem ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : No. However, there are many projects involving foreign collaboration operating in the country which would generate some employment opportunities.

अलौह धातुओं का उत्पादन

1648. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलौह धातुओं का उत्पादन बढ़ाने के बारे में विभिन्न योजनाओं में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सुकिंदा भंडारों से 'निकल' निकालने के बारे में व्यवहारिकता रिपोर्ट की जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ग) इन अत्यावश्यक धातुओं की कमी और प्रत्येक वर्ष आयात-व्यय में वृद्धि को देखते हुए इन सभी योजनाओं पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). अलौह धातुओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रायोजनाओं के कार्यक्रम को उपदर्शित करने वाला नोट संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1115/71]**

ईरान की ओर से मध्यस्थता का प्रस्ताव

1649. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 17 सितम्बर, 1971 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव किया है कि बंगला देश समस्या के मामले पर रूस और ईरान भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के लिए मध्यस्थता करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को इस मामले में पाकिस्तान से अथवा ईरान के माध्यम से औपचारिक तौर पर कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

निरीक्षण-पक्ष में कार्यभार में कमी

1650. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1970 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि में गत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा उनके मंत्रालय के निरीक्षण-पक्ष का कार्य-भार कम कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की गई और क्यों ; और

(ग) भविष्य में इस सम्बन्ध में क्या संभावनायें रहेंगी ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) 1969-70 की तुलना में 1970-71 में, जितने मूल्य के माल का निरीक्षण किया गया था, उस दृष्टि से निरीक्षण-पक्ष का कार्यभार लगभग 16.5 प्रतिशत तक कम हो गया था । इसका मुख्य कारण कलकत्ता सर्किल की अशान्त स्थिति और प्रमुख इस्पात संयंत्रों में श्रमिक-गड़बड़ का होना था ।

(ग) आशा है कि चालू वर्ष में बंगला देश के शरणार्थियों के लिए तथा अन्य तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए माल की खरीद के कारण कार्य-भार बढ़ जाएगा ।

प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिए मांगी गई सामग्री

1651. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि के लिए प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कुल कितने मूल्य की सामग्री सप्लाई करने के आदेश प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितने मूल्य की सामग्री की पूर्ति वास्तव में की गई ; और

(ग) मांगी गई पूरी सामग्री की पूर्ति न करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चह्वाण) : (क) से (ग). यह जानकारी देना लोकहित में नहीं होगा।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा देश के आन्तरिक स्रोतों से की गई खरीद

1652. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा देश के अन्दर के स्रोतों से कुल कितने मूल्य की वस्तुयें खरीदो गईं ;

(ख) इसी अवधि में कुल कितने मूल्य की वस्तुयें लघु उद्योग के कारखानों से खरीदी गईं ; और

(ग) पूर्ति के लिये छोटे कारखानों को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चह्वाण) : (क) 518.30 करोड़ रुपये।

(ख) 42.64 करोड़ रुपये।

(ग) सरकार की नीति यही है कि राज्य क्रय कार्यक्रमों के माध्यम से, कुटीर तथा लघु उद्योग की वस्तुओं के उत्पादन और उनके उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाए। इस नीति के अनुसरण में, लघु उद्योगों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुविधाएं और रियायतें दी जा रही हैं, ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि वे भी केन्द्रीय क्रय कार्यक्रमों में प्रभावशाली रूप से भाग लें :—

(1) लघु उद्योगों से ही क्रय करने के लिए ग्रुप 4 में यथासंभव अधिक से अधिक वस्तुओं का आरक्षण करना। फिलहाल, ऐसी वस्तुओं की संख्या 167 है।

(2) अलग-अलग टेंडरों के आधार पर, इन उद्योगों को बड़े उद्योगों से 15 प्रतिशत अधिक मूल्य अधिमान प्रदान करना, बशर्ते कि लघु उद्योगों की किस्म, विशिष्ट और परिदान संतोषजनक हों।

(3) किस्म आदि के समान होने की दशा में, अन्य निर्माताओं की वस्तुओं से लघु उद्योगों की वस्तुओं को अधिमान देना।

(4) वास्तविक लघु उद्योगों को पंजीकरण का फार्म निःशुल्क देना और पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में पंजीकरण की इस पूर्वापेक्षा में कि उनकी निजी परीक्षण सुविधाएं हों, ढिलाई बरतना।

(5) यदि लघु उद्योग राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का सक्षमता—प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें तो उन्हें जमानत जमा राशियों में छूट दे देना।

(6) लघु उद्योगों को विज्ञापित टैंडर, विशिष्टि और ड्राइंग निशुल्क देना।

(7) तकनीकी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से, विभिन्न राज्यों की औद्योगिक बस्तियों और यूनिटों के लिए निरीक्षण टीमों की प्रतिनियुक्ति करना।

गुजरात में रोजगार कार्यालय

1653. **श्री वेकरिया** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने रोजगार कार्यालय हैं ; और

(ख) 31 मार्च, 1971 तक उन रोजगार कार्यालयों में जिला-वार और श्रेणी-वार रोजगार ढूंढने वाले कितने व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 21

(ख) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

30-6-71 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज काम चाहने वालों की संख्या

गुजरात राज्य के रोजगार कार्यालय के नाम	मैट्रिक से कम (अनपढ़ सहित)	मैट्रिक	हायर सैकेण्डरी (इन्टरमीडिएट/ अन्डर ग्रेजुएट सहित)	ग्रेजुएट (पोस्ट ग्रेजुएट सहित)	योग
1	2	3	4	5	6
1. अमरेली	1,559	998	111	220	2,888
2. अहमदाबाद	9,673	12,644	1,632	2,582	26,531
3. बड़ौदा	7,934	4,679	221	1,253	14,087
4. भावनगर	4,546	3,269	336	772	8,923
5. भुज-कच्छ	2,544	1,585	65	185	4,379
6. बरोच	2,595	3,104	278	508	6,485
7. बलसार	2,847	3,014	214	587	6,662
8. अहुवा-डंगस	291	75	—	10	376
9. गोधरा	7,636	3,343	230	424	11,633
10. हिम्मतनगर	3,227	3,168	311	360	7,066
11. जामनगर	4,846	2,390	115	458	7,809
12. जूनागढ़	4,078	2,641	257	641	7,617
13. मेहसाना	4,088	5,497	166	914	10,665
14. नडियाद	7,169	4,994	328	1,186	13,677
15. पालनपुर	2,551	1,574	101	159	4,385

1	2	3	4	5	6
16. राजकोट	5,365	3,798	514	891	10,568
17. सूरत	4,282	3,115	357	979	8,733
18. सुरेन्द्रनगर	3,067	1,461	174	359	5,061
19. गांधीनगर	4,882	2,262	197	456	7,797
20. व्या० का० शाखा (अहमदाबाद)	—	—	—	302	302
21. वि० रो० का० वि० अहमदाबाद	175	208	—	40	423
योग	83,355	63,819	5,607	13,286	1,66,067

* शिक्षितों (मैट्रिक और इससे अधिक योग्यता रखने वालों) से सम्बन्धित जानकारी वर्ष में दो बार छः महीने के अन्तर से प्रति वर्ष जून और दिसम्बर में इकट्ठी की जाती है।

** व्या० का० शा०—व्यावसायिक व कार्यकारी शाखा।
वि० रो० का० वि०—विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय।

पश्चिम बंगाल में इस्पात की मांग

1654. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की इस्पात की वार्षिक कुल मांग कितनी है ; और

(ख) इस मांग के लिए वास्तव में पश्चिम बंगाल को कितना इस्पात सप्लाई किया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) प्रत्येक राज्य की इस्पात की आवश्यकताओं के बारे में आंकड़े संकलित नहीं किये गये हैं और न ही इस्पात का राज्यवार आवंटन किया जाता है।

(ख) पश्चिम बंगाल में उपभोक्ताओं को किये गये वास्तविक प्रेषणों की जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इस्पात का मूल्य निर्धारित करने के सिद्धान्त

1655. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात का मूल्य निर्धारित करने के मुख्य सिद्धान्त क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : इस्पात के मूल्यों में पिछली बार

सामान्य वृद्धि 1 जनवरी 1970 से की गई थी। निजी क्षेत्र की इस्पात कम्पनियों के कैपिटल ब्लाक के परिकलन के आधार पर सरकार ने उस समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा था :—

(1) 1964 से लेकर मूल्य वृद्धि के कारणों से लागत में हुई वृद्धि जिसे उस वर्ष से लेकर मूल्य में हुई वृद्धियों से पूरा नहीं किया जा सका था ;

(2) अगले पांच वर्षों में पुन: स्थापन और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के कारण स्थिर परिसंपत् में अतिरिक्त पूंजी निवेश के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास में वृद्धि ;

(3) पुन: स्थापन और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए धन लगाने हेतु और उधार लेना पड़ा, परिणामस्वरूप व्याज का खर्च बढ़ गया ; और

(4) उस समय वेतन-वृद्धि के बारे में चल रही बातचीत को ध्यान में रखते हुए वेतन वृद्धि के लिए व्यवस्था।

Implementation of recommendations of Second Wage Board for Sugar Industry in Madhya Pradesh

1656. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of sugar mills in Madhya Pradesh and Rajasthan who have granted relief to their employees on the basis of the recommendations made by the Second Sugar Wage Board as also the names of the mills who have not implemented the said recommendations ;

(b) whether the trade unions of the sugar mills in the said State have complained to the Government that they have not been given benefit of the recommendations made by the said Wage Board ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c). Information relating to Rajasthan is not available. As regards Madhya Pradesh, the State Government has informed that the following four sugar mills have granted relief on the basis of recommendations of Second Sugar Wage Board :—

(1) Gwalior Sugar Company Limited Dabra.

(2) Bhopal Sugar Industries Limited Sehore.

(3) Jiwaji Rao Sugar Mills Limited Daloda.

(4) Jaora Sugar Miils Private Limited Jaora.

Seth Govind Ram Sugar Mills, Mahidpur have not implemented the recommendations but granted an *ad hoc* increment of Rs. Ten. The State Government has advised the Mazdoor Sangh Mahidpur to raise a formal dispute.

शिविरों में नहीं रह रहे शरणार्थियों के लिए राशन तथा अन्य सहायता

1657. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिविरों में नहीं रहने वाले लगभग 35 लाख शरणार्थियों को राशन तथा अन्य सरकारी सहायता नहीं दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की नीति के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या शिविरों में नहीं रहने वाले इन शरणार्थियों को भी शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों की तरह राशन तथा अन्य सहायता दी जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख): जी, हां। लगभग 30 लाख शरणार्थी जो शिविरों से बाहर रह रहे हैं, उन्हें राशन तथा सरकार द्वारा विनियमित अन्य राहत सहायता स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि यह अनुभव किया गया कि जिन व्यक्तियों को सरकारी सहायता की वास्तव में आवश्यकता थी, वे पहले ही शिविरों में चले गए हैं। इसके अतिरिक्त, उन शरणार्थियों को जो शिविरों में नहीं रह रहे हैं और जो सारे देश में फैले हुए हैं, राशन वितरित करना कठिन है। इसके अलावा यदि इस रियायत की छूट दे दी गई तो इसके दुरुपयोग की सम्भावना है।

(ग) शिविरों से बाहर रह रहे शरणार्थियों को निःशुल्क राशन वितरित करने की लागत का देश की अर्थ-व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा। तथापि, गैर-शिविर शरणार्थियों को जो निर्धनता की स्थिति में हैं, उनकी उचित छान-बीन करके उन्हें शिविरों में भेजने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि वे भी सरकार द्वारा विनियमित सहायता पाने के पात्र बन जाएं।

बंगला देश के शरणार्थियों को सप्लाई किये गये कम्बल

1658. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि अब तक शरणार्थियों को कुल कितने कम्बल सप्लाई किये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : बंगला देश से आए शरणार्थियों में बांटने के लिए विभिन्न राज्यों/शिविरों को 19.11.1971 तक 5,49,960 कम्बल भेजे जा चुके हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :—

मेघालय	3,55,000
त्रिपुरा	1,74,209
आसाम	14,760
इरादतगंज (इलाहाबाद)	6,000
	5,49,960

दुर्गापुर में धमन भट्टी को क्षति

1659. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में धमन भट्टी को कर्मचारियों ने जानबूझ कर क्षति पहुंचाई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस प्रकार की क्षति हुई है ;

(ग) धन और उत्पादन की दृष्टि से कितनी हानि हुई है ; और

(घ) क्या इसकी मरम्मत कर दी गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

तकनीकी रोजगार ढूंढ़ने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण और रोजगार

1660. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युवा डाक्टरों, अनुभवी इंजीनियरों तथा मिलर्स, प्रेसीजन टर्नर्स और फिटर्स जैसे उच्च कौशल प्राप्त क्राफ्ट्समैनों को प्रशिक्षण देने और रोजगार प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). देश में इस श्रेणी के और अन्य लोगों के लिए संस्थागत तथा कार्य स्थल पर प्रशिक्षण देने की पर्याप्त व्यवस्था है ।

यद्यपि यथा तथ्य अनुमान उपलब्ध नहीं हैं तथापि चौथी पंचवर्षीय योजना और उसके अतिरिक्त भी केन्द्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाले विभिन्न विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप इस श्रेणी के तथा अन्य लोगों को नियुक्ति अवसर प्राप्त होंगे ।

"ओमेगा" दल का बंगला देश में प्रवेश

1661. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवीय भावना से प्रेरित व्यक्तियों के एक "ओमेगा" नामक संगठन ने बंगला देश के लोगों की सहायता के लिए खाद्यान्न और चिकित्सा सामग्री लेकर भारत के रास्ते से बंगला देश जाने का प्रयत्न किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). एक स्वैच्छिक संगठन ओमेगा के कार्यकर्त्ताओं ने भारत सरकार को सूचना दी है कि वे लोग बंगला देश के जरूरतमन्द लोगों में भोजन, कपड़े, कम्बल एवं दवाइयों के वितरण के लिए कई बार वहां गये हैं । बंगला देश के दुःखी लोगों को राहत पहुंचाने के सभी मानवीय प्रयत्नों की भारत सरकार कद्र करती है ।

एक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी की यात्रा

1662. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट में कांग्रेसी सम्बन्धों के असिस्टेंट सेक्रेटरी आफ स्टेट, श्री डेविड एम० रानशायर ने हाल ही में कई बार ढाका, कलकत्ता और नई दिल्ली की यात्रा की है

और उन्होंने पाकिस्तानी उच्च अधिकारियों तथा भारतीय मंत्रियों और कुछ कर्मचारियों से भी बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका उद्देश्य क्या था ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). कांग्रेसी सम्बन्धों के असिस्टेंट सेक्रेटरी आफ स्टेट श्री डेविड एम० एवशायर ने 31 अगस्त, 1971 से 2 सितम्बर, 1971 तक भारत को यात्रा की। इस अवधि में उन्होंने कलकत्ता और दिल्ली का दौरा किया। कलकत्ता में उन्होंने शरणार्थी शिविर देखे और दिल्ली में पुनर्वास राज्यमंत्री और विदेश सचिव से बातचीत की। बहुत बड़ी संख्या में पूर्व बंगाल से भारत आनेवाले शरणार्थियों से उत्पन्न समस्या उन्हें बताई गई। उसी यात्रा के दौरान वे ढाका और इस्लामाबाद भी गए। उप-महाद्वीप में उनकी किसी अन्य यात्रा के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी कुलती वर्क्स, आसनसोल के कर्मचारियों की जबरी छुट्टी

1663. **श्री रोबिन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कुलती वर्क्स, आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के परिष्करण विभाग के प्रबन्धकों ने 150 कर्मचारियों की 23 अगस्त, 1971 को जबरी छुट्टी कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो जबरी छुट्टी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस जबरी छुट्टी को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुल्टी वर्क्स के फिनिशिंग सेक्शन के 150 कर्मचारियों की 24 अगस्त, 1971 को पूरे दिन के लिए तथा 25 अगस्त, 1971 की ए पारी के लिये जबरी छुट्टी कर दी गई थी।

(ख) क्रेन चालकों द्वारा 19 अगस्त, 1971 से हड़ताल कर देने के बाद जबरी छुट्टी की घोषणा की गई थी।

(ग) यूनियन तथा प्रबन्धकों के बीच द्विपक्षीय बैठक में किये गये एक समझौते के फलस्वरूप क्रेन चालकों ने हड़ताल समाप्त कर दी थी तथा 25 अगस्त, 1971 की बी पारी से सामान्य रूप से कार्य करना फिर से आरम्भ कर दिया था।

बर्नपुर आसनसोल वर्क्स की शीट मिल में तालाबन्दी

1664. **श्री रोबिन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर वर्क्स की शीट मिल में एक अक्तूबर, 1971 को तालाबन्दी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस तालाबन्दी के कारण कुल कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ; और

(घ) तालाबन्दी समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (घ). मेसर्स इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अनुसार शीट मिल के होट मिल अनुभाग के कर्मचारियों द्वारा 26-9-1971 से हाजिर-हड़ताल कर देने के परिणामस्वरूप उनके बर्नपुर कारखाने के प्रबन्धकों ने 2-10-1971 से शीट मिल में तालाबन्दी की घोषणा कर दी थी। तालाबन्दी के कारण जिन कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है। उनकी कुल संख्या 1450 के लगभग थी। पश्चिमी बंगाल सरकार के दुर्गापुर के श्रम उपायुक्त के सम्मुख हुए एक समझौते के बाद 18-10-1971 से प्रावस्था-भाजित-कार्यक्रम के अनुसार तालाबन्दी समाप्त कर दी गई थी। तालाबन्दी से प्रभावित सभी कर्मचारी 22-10-1971 से काम पर वापिस आ गये थे।

Workers' dues in pure Shitalpur Colliery, Asansol

1665. **Shri Robinsen :**
Shri Mohammad Ismail :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total amount of outstanding dues due to the workers of Pure Shitalpur Colliery, Asansol ;

(b) whether a certificate case has been filed for realisation of the dues ; and

(c) if not, the action Government propose to take to realise the dues ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

ईस्ट जामबाद कोलियरी के मजदूरों की बकाया राशि

1666. **श्री रोबिन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्ट जामबाद कोलियरी के मजदूरों की कितनी वैध राशि बकाया है, जो उनको दी जानी है ;

(ख) क्या ईस्ट जामबाद कोलियरी के मजदूरों ने राशि में भुगतान के लिये अपने झगड़े को अपने कार्मिक संघ के माध्यम से सहायक श्रम आयुक्त (सी), रानीगंज के समक्ष उठाया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या राशि की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र मामला दर्ज कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

राजस्थान में राक फास्फेट के निक्षेप

1667. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में राक फास्फेट के काफी निक्षेप हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस खनिज पदार्थ को निकालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

विदेशों में दिखाए जा रहे भारत के सम्बन्ध में आपत्तिजनक चलचित्र

1668. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि जिन कुछ आपत्तिजनक चलचित्रों को भारत में दिखाये जाने की अनुमति नहीं दी गई थी उन्हें ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा कुछ विदेशों को बेच दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें ये चलचित्र बेचे गए हैं ;

(ग) क्या वे इन आपत्तिजनक चलचित्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य का पुनर्विलोकन

1669. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य का पुनर्विलोकन करने के लिए चटर्जी समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या निर्णय किया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति ने अब तक 9 रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

4 रिपोर्टों के सम्बन्ध में समिति की अधिकांश सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं। शेष 5 रिपोर्टें पश्चिम बंगाल सरकार और सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विचाराधीन है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का विवरण :

1. अशरफाबाद के पुराने शिविर स्थान तथा घुमक्कड़-गृहों (वेग्रेंट होम्स) में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में अन्तरिम रिपोर्ट।
2. पश्चिम बंगाल में नए प्रवासियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं।
3. पश्चिम बंगाल के पुराने शिविर स्थानों पर रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास।
4. पश्चिम बंगाल में सरकारी तथा अर्जित भूमियों पर अनधिकृत रूप से रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास।
5. पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों का मुर्गी पालन योजनाओं के माध्यम से पुनर्वास।
6. पश्चिम बंगाल में बागजोला समूह के पुराने शिविर स्थानों पर रह रहे विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास।
7. पश्चिम बंगाल में नए प्रवासियों के हित के लिए चिकित्सा सुविधाएं।
8. पश्चिम बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान से आई विस्थापित महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।
9. पश्चिम बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए औद्योगिक बस्तियों की स्थापना।

राजस्थान में निष्क्रान्त कृषि भूमि

1670. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई 1959 में पुनर्वास विभाग के मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त ने अपने पत्र संख्या आर एफ-7-11-59-पालिसी-11 दिनांक 8 जुलाई, 1959 के द्वारा राजस्थान के क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त को हिदायतें जारी की थी कि अलवर और भरतपुर को छोड़ कर अन्य जिलों में निष्क्रान्त कृषि भूमि के विभाजन पूर्व और विभाजन पश्चात् के जोतदारों को उनके कब्जे वाली भूमि 450 रुपये प्रति मानक एकड़ की दर से दी जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त हिदायतों के अनुसार गंगानगर जिले में पात्र जोतदारों को अब तक कितनी भूमि दी गई है और कितनी भूमि अभी दी जानी शेष है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 8 जुलाई, 1959 की हिदायतों के अनुसार, गंगानगर जिले में पात्र जोतदारों को 51 बीघा जमीन दी गई है और 119-15 बीघा जमीन अभी दी जानी शेष है। 3 मामले प्रबन्ध अधिकारी के पास जांच और आदेश के लिए पड़े हुए हैं।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के सहायक इंजीनियरों की पदोन्नति

1671. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने उन से अनुरोध किया है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के उन सहायक इंजीनियरों के साथ न्याय किया जाय, जिन्हें पदोन्नति के अवसर नहीं दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर विचार करना कम्पनी का काम है, जिसने इस पर विचार किया है और आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

बंगला देश के मामले में इंडोनेशिया और मलयेशिया का रवैया

1672. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के मामले में इंडोनेशिया और मलयेशिया का रवैया क्या है ;

(ख) क्या ये दोनों देश बंगला देश के मामले में किसी न किसी तरह पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं ; और

(ग) क्या इन देशों ने बंगला देश की समस्या का कोई ऐसा हल खोजने में रुचि दिखाई है जो कि बंगला देश के लोगों को भी मान्य हो ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इंडोनेशिया सरकार तथा मलयेशिया सरकार पूर्व बंगाल से शरणार्थियों के आगमन से उत्पन्न समस्या के प्रति अपने सहानुभूतिपूर्ण रवैये पर दृढ़ है।

(ख) और (ग). इंडोनेशिया और मलयेशिया दोनों ने यह कहा है कि वे इसे "पाकिस्तान का आंतरिक मामला" समझते हैं, इसलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

मध्य प्रदेश में तांबे के खानों के निक्षेप

1673. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में तांबे की खानों के निक्षेपों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन तांबें के निक्षेपों के स्थान का पता लगाने तथा उन का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए व्यवस्थित भूवैज्ञानिक और भूरासायनिक अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बैहर तहसील के मालन्जखण्ड में 975 मीटर की कुल अनुद्धैर्य दूरी पर 1.67% ताम्रांश-युक्त 71.40 लाख टन की उपलभ्य राशियां अभी तक अनुमानित की गई हैं। आगे का कार्य प्रगति पर है।

(ग) समस्त क्षेत्र भूवैज्ञानिक पद्धति से विस्तृत रूपेण मानचित्रित किया जा रहा है। व्यधन कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही समन्वेषी खान कार्यक्रम किए जाने की भी सम्भावना है। समन्वेषी खनन और परिष्करण के परिणामों की निर्भरता पर निक्षेप के अनुकूलतम विकास के लिए साध्यता अध्ययन किया जाएगा।

इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों पर प्रतिबन्ध

1675. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारियों के आने जाने पर पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं और किसी भी कर्मचारी को आवश्यक मामलों में भी भारत आने की अनुमति नहीं दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पाकिस्तान सरकार ने अप्रैल, 1971 के तीसरे सप्ताह से इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के कर्मचारियों पर ऐसे प्रतिबन्ध लगा दिए थे। इन प्रतिबन्धों को अब 18 नवम्बर से हटा दिया गया है।

(ख) भारत सरकार ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारियों पर पारस्परिक प्रतिबन्ध लगा दिए थे। पाकिस्तान सरकार द्वारा इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के कर्मचारियों पर से प्रतिबन्ध उठा लेने के बाद 18 नवम्बर से इन प्रतिबन्धों को भी उठा लिया गया है।

(ग) भारत सरकार ने वियना अभिसमय 1964 के अन्तर्गत उसके दायित्व की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

उत्तर प्रदेश में इस्पात की चोर बाजार में बिक्री

1676. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "उत्तर प्रदेश को आवंटित इस्पात को चोर बाजार में बेचा जाना" शीर्षक के अन्तर्गत, 7 अगस्त, 1971 के "ब्लिट्ज" में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) भ्रष्टाचार को रोकने के लिये, जिसमें उच्च अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता द्वारा मामले की जांच की जा रही है तथा उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ग) इस्पात के दुरुपयोग का जो भी मामला सरकार के ध्यान में आयेगा, उसकी जांच की जायेगी तथा जहां आवश्यक होगा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सहायता ली जायेगी । जहां कहीं न्याय संगत होगा । सम्बन्धित व्यक्तियों (कर्मचारी, यदि कोई हो, भी शामिल है) के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

गैर-मान्यता प्राप्त पुनर्वेलन मिलों का पंजीकरण

1677. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में स्थित होने और कुछ निश्चित स्तर के होने की स्थिति में अपंजीकृत पुनर्बेलन मिलों के पंजीकरण के बारे में किसी नीति की उद्घोषणा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस नीति के अनुसार जिन पुनर्बेलन मिलों का पंजीकरण किया गया है, उनके नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अपंजीकृत पुनर्बेलन मिलों द्वारा कर्मचारियों को रोजगार

1678. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपंजीकृत पुनर्बेलन मिलों ने लगभग 36,000 कर्मचारियों को रोजगार दे रखा है, जबकि भारतीय इस्पात पुनर्बेलन मिल संघ की सदस्य मिलों द्वारा केवल 12,000 कर्मचारियों को ही रोजगार दिया गया है ;

(ख) क्या अपंजीकृत पुनर्बेलन मिलों की अपेक्षा इस्पात पुनर्बेलन मिल संघ को कच्चे माल का कोटा 15 गुना अधिक दिया जाता है तथा वह भी सस्ती दर पर ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजीकृत पुनर्बेलन मिलों को बिलेट का आवंटन

1679. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी पंजीकृत पुनर्बेलन मिलों को "बिलेट" का पूरा कोटा दिया गया था जो कि बिल्कुल बन्द पड़ी थीं या केवल कभी कभी चलाई जाती थीं ;

(ख) क्या पुनर्बेलित सामग्री के नाम से वह कोटा बहुत ऊंचे भावों पर बाजार में बेच दिया गया था ;

(ग) दोनों मामलों में इसकी दरें क्या थीं ; और

(घ) इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). सरकार को ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ बिलेट पुनर्बेलन मिलें जो चालू नहीं थीं, बिलेट लेती रही हैं। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

(घ) देश के विभिन्न भागों में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं और उनका एक कार्य इस्पात के दुरुपयोग को रोकना है। लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश में भी संशोधन किया गया है तथा इस बात की व्यवस्था की गई है कि इस्पात का उन कार्यों के लिए उपयोग न करना, जिनके लिए उसका आवंटन किया गया है अथवा जिस कार्य के लिए आवेदन किया गया था, अब नियंत्रण आदेश का उल्लंघन माना जायेगा तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दंडनीय होगा। ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए जहां कहीं आवश्यक होता है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से भी सहायता ली जाती हैं।

Seized Indian Boats used by Pakistan

1680. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Pakistan is using Indian boats seized by her in 1965 to get her communication system going on; and

(b) the reaction of Government thereto and the steps proposed to be taken in this regard in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government have received no information to this effect.

(b) Does not arise.

भारत में शरणार्थियों की वापसी के सम्बन्ध में झूठा प्रचार

1681. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 सितम्बर, 1971 के समाचार पत्र 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने बंगला देश को 60,000 शरणार्थियों के वापस आने का दावा किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति भारत सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) शरणार्थियों की वापसी के सम्बन्ध में विदेशों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में पाकिस्तान के झूठे तथा निराधार दावों को खण्डित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। इस खबर में रेडियो पाकिस्तान के इस दावे का उल्लेख है कि और भी 5,600 शरणार्थी पूर्व बंगाल में अपने घर लौटे थे।

(ख) पूर्व बंगाल से शरणार्थियों के लौटने के पाकिस्तानी दावों को भारत सरकार मात्र प्रचार मानती है, क्योंकि पूर्व बंगाल में सैनिक आतंक से शरणार्थियों का भारत आना निरन्तर जारी है।

(ग) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत में शरणार्थियों के निरन्तर आगमन की सूचना बराबर दे रही है। यह संख्या लगभग एक करोड़ तक पहुंच गई है। यह बात शरणार्थियों के अपने घर लौटने के पाकिस्तान के प्रचार को झूठा साबित करती है।

टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी, जमशेदपुर में ठेका पद्धति

1682. **श्री आर० पी० दास** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी, जमशेदपुर में श्रम विधि के अनुसार निर्धारित दर पर मजूरी तथा अन्य सुविधाएं न देकर दैनिक मजूरी ठेका प्रणाली के अन्तर्गत एक बड़ी संख्या में मजदूरों को काम पर लगाने की वर्तमान ठेका पद्धति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान बिहार के कारखाना निरीक्षण और राज्य श्रम विभाग द्वारा इस विषय के सम्बन्ध में दी गई संयुक्त रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में लोगों के लिए रोजगार

1683. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). निवल वर्ग और इलाकों (जिसमें पिछड़े इलाके भी शामिल हैं) की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए

सरकार ने कुछ विशेष योजनायें तैयार की हैं जिन पर आजकल अमल किया जा रहा है। ये योजनायें हैं, छोटे किसानों के विकास की एजेन्सी, सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए एजेन्सियां, लगातार सूखे से पीड़ित इलाकों के लिए ग्रामीण-निर्माण कार्य अजल खेती, सिंचाई प्रायोजनाओं के अधिकृत इलाकों का क्षेत्रीय विकास कार्य और देहाती क्षेत्र में रोजगार के लिए त्वरित (क्रेश) कार्यक्रम/इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए सदन की मेज पर रखे तारांकित प्रश्न संख्या 970 दिनांक 7-7-1971 के भाग (क), (ख), (ग) और (घ) से सम्बन्धित विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कथित प्रभावहीन प्रबन्ध

1684. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज हैदराबाद, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और खान विभाग के विशेषज्ञों की सितम्बर, 1971 के प्रथम सप्ताह में तीन दिन की बैठक हुई थी ; और

(ख) चर्चा की मुख्य बातें क्या थीं और क्या निर्णय लिए गये तथा उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और सिंगरैनी कोयला खान द्वारा प्रशासनिक स्टाफ कालिज के सहयोग से सितम्बर, 1971 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में तीन दिन की विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी।

(ख) दो कम्पनियों के वर्तमान संक्रियाओं और भावी पूर्वेक्षणों को सुधारने के लिए दोनों कम्पनियों के वरिष्ट कार्यपालकों को आधुनिक प्रबन्धकीय दृष्टिकोण में नए विचार देने के लिए विचार-गोष्ठी को सम्मिलित किया गया। विचार गोष्ठी में कोई विनिश्चय नहीं लिए गये थे।

राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए इस्पात की आवश्यकता

1685. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य की वार्षिक इस्पात आवश्यकता कितनी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास के कार्य को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के कारण क्या इस्पात की मांग पर्याप्त रूप से बढ़ने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कारण बढ़ने वाली मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) प्रत्येक राज्य की इस्पात की आवश्यकता के बारे में आंकड़ों का संकलन नहीं किया गया है, लेकिन लोहा और इस्पात

कर्णधार समिति ने अनुमान लगाया था कि 1971-72 में तैयार इस्पात की मांग 60.5 लाख टन होगी ।

(ख) अभी इस्पात की आवश्यकता के प्रभाव का मूल्यांकन करना समय पूर्व होगा । इस्पात की आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय औद्योगिक विकास में हुई समस्त वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है ।

(ग) देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं । जिनमें उत्पादन में वृद्धि, निर्यात का विनियमन, इस्पात की उन श्रेणियों का, जिनका आयात करना जरूरी होता है, आयात करना तथा वितरण को सुप्रभावी बनाना शामिल है । दीर्घकालीन उपायों में सेलम, विशाखापत्तनम् और विजयनगर में तीन नये इस्पात कारखानों की स्थापना शामिल है ।

पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की समस्याएं

1686. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की कौन-कौन सी समस्याएं अभी भी केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा समाधान किये जाने के लिए शेष पड़ी हैं ;

(ख) विस्थापितों की न्यायपूर्ण मांगों जैसे आवास और रोजगार की मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) विस्थापितों के दावों को अन्तिम रूप से निपटाने के लिए कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). 31-3-1958 तक पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास की समस्या 1960-61 में लगभग पूरी हल हो चुकी थी, उस समय कुछ अवशिष्ट समस्या रह गई थी जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से 1961-62 में 21.88 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

2. चूंकि पश्चिम बंगाल में विस्थापितों की संख्या चरमसीमा तक पहुंच चुकी थी, अत: 1964 में पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से एक नीति विषयक निर्णय किया गया कि उन नए प्रवासियों को, (जो 1.1.1964 के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आये हों) जिन्होंने राहत शिविरों में प्रवेश चाहा हो और जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए हों, उन्हें पश्चिम बंगाल से बाहर पुनर्वास सहायता दी जाय ।

समीक्षा समिति

3. भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल में जनवरी, 1967 में पुनर्वास कार्य की एक समीक्षा समिति नियुक्त की है । अन्य बातों के साथ समीक्षा समिति के कार्य निम्नलिखित हैं :—

(क) अवशिष्ट समस्या के काम का निर्धारण करने के उपरान्त पश्चिम बंगाल में पुनर्वास सम्बन्धी किए गए उपायों के परिणाम का मूल्यांकन करना ;

(ख) पुराने प्रवासियों के बारे में निम्नलिखित उपायों की सिफारिश करना जिसमें वित्तीय सहायता भी शामिल है :—

(i) बस्तियों का विकास ;

(ii) स्थायी दायित्व गृहों के परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि अर्जन ;

(iii) अवशिष्ट समस्या के निर्धारण के अन्तर्गत आने वाले लोगों के लिए पुनर्वास ऋण ; और

(iv) तकनीकी प्रशिक्षण तथा औद्योगिक योजनाएं ; और

(ग) नए प्रवासियों के कारण उत्पन्न समस्या के स्वरूप और विस्तार का पता लगाना और उनके तकनीकी प्रशिक्षण, रोजगार, शैक्षिक तथा चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के लिए आवश्यक सीमा तक वित्तीय सहायता की सिफारिश करना ।

4. अब तक समिति 9 रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुकी है । भारत सरकार ने 4 रिपोर्टों के सम्बन्ध में प्रस्तुत सिफारिशों को लगभग पूर्णतया स्वीकार कर लिया है और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 545.20 लाख रुपये की राशि मंजूर कर दी है । शेष 5 रिपोर्टें विचाराधीन हैं ।

सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1687. **श्री सरोज मुकर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अपने एक सहयोगी की गिरफ्तारी के विरोध में सांख्यकीय संस्थान, कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस गिरफ्तारी के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या सरकार उसे रिहा करने पर विचार कर रही है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया अन्वेषण

1688. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पिछले बारह महीनों में किये गये अन्वेषण के परिणामस्वरूप देश में विभिन्न स्थानों पर कोयला, तांबा, बोक्साइट आदि के अतिरिक्त निक्षेप मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में विगत 12 महीनों के दौरान कोयले, ताम्र, सीसा-जस्ता और बाक्साइट की अतिरिक्त उपलभ्य राशियां पाई गई हैं। निक्षेपों के कार्यकरण से सम्बन्धित कार्रवाई तब की जा सकेगी जबकि समुपयोजन के लिए कुल उपलब्ध उपब्लभ्य राशियों के, प्रत्येक मामले के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी जिसके लिए अन्वेषण कार्य प्रगति पर है। प्राप्त की गई उपलभ्य राशियों और उनकी अवस्थिति को दर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

खनिज	विगत 12 महीनों में पाई गई कुल अतिरिक्त राशियां	ब्रेक-अप
ताम्र अयस्क	65.56 लाख टन	1. 60.00 लाख टन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मालंजखण्ड में। 2. 1.56 लाख टन मैसूर के चित्रदुर्ग जिले के इंगालडाहालू-कुंचीगानाहालू में। 3. 4.00 लाख टन बिहार के सिंघ-भूम जिले के बेयनबिल में।
सीसा-जस्ता अयस्क	65.25 लाख टन	1. 6.50 लाख टन आंध्र प्रदेश के अग्निगुण्डाला पट्टी के करेमपुडी में। 2. 6.00 लाख टन गुजरात के बनसकांथा जिले के अम्बाजी-केमबारिया सेक्टर में। 3. 45.35 लाख टन राजस्थान के जावर पट्टी के बारोई मोगरा में। 4. 7.40 लाख टन राजस्थान के उदयपुर जिले के राजपुरा-बैथुमनी पट्टी, सिद्धेश्वर खण्ड में।
बाक्साइट	97.00 लाख टन	1. 40.00 लाख टन बिहार के रांची जिले के धुलुआथाल खण्ड में। 2. 10.00 लाख टन गुजरात के जामनगर जिले के महादेविया में।

खनिज	विगत 12 महीनों में पाई गई कुल अतिरिक्त राशियां	ब्रेक-अप
		3. 40.00 लाख टन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के सुपखर और कोटपहाड़ खण्डों में ।
		4. 7.00 लाख टन मैसूर के दक्षिणी कनारा के कुड्डार्का और मणिपुर में ।
कोयला	1742.20 लाख टन	1. 38.20 लाख टन गोदावरी घाटी, आंध्र प्रदेश ।
		2. 208.50 लाख टन झरिया, बिहार ।
		3. 369.60 लाख टन उत्तरी करणपुरा, बिहार ।
		4. 31.50 लाख टन डाल्टनगंज, बिहार ।
		5. 77.50 लाख टन पूर्वी बोकारो, बिहार ।
		6. 88.80 लाख टन, राजमहल, बिहार ।
		7. 17.70 लाख टन सोनहाट, मध्य प्रदेश ।
		8. 854.80 लाख टन सिंगरौली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ।
		9. 55.60 लाख टन रानीगंज, पश्चिम बंगाल ।

लोहे के ढांचों और लोहे की प्लेटों का मूल्य

1689. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि लोहे के ढांचों और लोहे की प्लेटों, चादरों आदि का मूल्य सरकारी दर से तीन चार गुना है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) इस्पात की चोर-बाजारी रोकने और उचित वितरण प्रणाली लागू करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) और (ख). यह सच है कि लोहे के नहीं बल्कि इस्पात के ढांचों, प्लेटों तथा चादरों के खुले बाजार में भाव उत्पादकों के स्टाकयार्डों के मूल्य से अधिक हैं, किन्तु ये मूल्य स्टाकयार्डों के मूल्यों से तीन गुना अधिक नहीं है।

(ग) खुले बाजार के ऊंचे मूल्यों को कम करने के लिये किये गये उपायों में, आन्तरिक उत्पादन में वृद्धि करके उपलब्धता में वृद्धि करना, आयात में काफी वृद्धि करना तथा निर्यात को विनियमित करना सम्मिलित है। लगभग समस्त उपलब्धि को वास्तविक उपभोक्ताओं को, जिनकी आवश्यकताओं की जांच कर ली गयी होती है, देकर वितरण को सुप्रवाही बनाने के प्रयत्न किये गये हैं।

इसके साथ साथ, इस्पात प्राप्त करने वाली पार्टियों के अवांछनीय सौदों को कम करने के लिए इस्पात की लगभग सभी किस्मों को इस्पात प्राथमिकता समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया है तथा मार्च, 1971 में लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि इस्पात का उपयोग उन कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए जिसके लिए उसका आवंटन किया गया हो अथवा जिन कार्यों के लिए आवेदन किया गया था। इसका उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत दंडनीय करार दिया गया है। लोहा और इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक पार्टी द्वारा इस्पात के उचित उपयोग की देखभाल करना और जहां कहीं आवश्यक हो मौके पर जाकर विस्तृत जांच करना है।

बोकारो स्टील लिमिटेड के एक कर्मचारी की मृत्यु

1690. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड (धनबाद) की एक कर्मचारी श्रीमती अंजली वोम को बोकारो स्टील लिमिटेड अस्पताल में प्रसव के लिये दाखिल किया गया था जिसे उचित चिकित्सा नहीं दी गई थी बाद में वह कलकत्ता के एक अस्पताल में मर गई ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में न्यायिक जांच कराए जाने के लिये बोकारो स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) बोकारो स्टील लि० की भूतपूर्व मुलाजिमा स्वर्गीय श्रीमती अंजना होम का बोकारो अस्पताल में उपलब्ध अच्छे से अच्छा इलाज किया गया था। परामर्श के लिये पुरुलिया से एक वरिष्ठ विशेषज्ञ को भी बुलाया गया था। विशिष्ट उपचार के लिये उन्हें कलकत्ता के एक अस्पताल में भेजा गया था, जहां दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई।

(ख) और (ग). जी नहीं। कर्मचारियों के एक वर्ग की शिकायत पर कि कम्पनी के अस्पताल में स्वर्गीय श्रीमती होम का ठीक इलाज नहीं किया गया था, बोकारो स्टील लि० के प्रबन्धकों ने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी। समिति ने निर्णय दिया है कि श्रीमती होम की मृत्यु किसी गलत इलाज अथवा डाक्टरों की लापरवाही के कारण नहीं हुई है।

दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध आरोप

1691. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में प्रबन्ध निदेशक श्री एस० पाल के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) श्री एस० पाल, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, दुर्गापुर प्रायोजना लिमिटेड के विरुद्ध संस्थित आपराधिक मामला पुलिस के अन्वेषणाधीन है।

(ख) और (ग) . पुलिस मामले के परिणामों की प्राप्ति तक प्रश्न नहीं उठते हैं।

जापानी मिशन का दौरा

1692. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक जापानी मिशन हाल ही में भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो इस मिशन के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस मिशन का भारत जापान सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पूर्व बंगाल के शरणार्थियों एवं तत्सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिये भारत सरकार के निमंत्रण पर जापान की संसद् के निम्न सदन की विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष श्री सकुरौची की अध्यक्षता में एक जापानी शिष्टमंडल ने 19 से 25 सितम्बर, 1971 तक भारत का दौरा किया।

(ख) इस शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम ये हैं :–

(1) श्री वाई० सकुरोची, नेता
(2) श्री आर० नगाटा,
(3) श्री एम० आओकी और
(4) श्री ई० नाकाओ।

(ग) पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों के कारण जिस भयंकर समस्या का भारत को सामना करना पड़ रहा है उसे जापान में इस यात्रा से अच्छी तरह समझने में सहायता मिली थी ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की मांगें

1693. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 24 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3021 के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की शेष मांगें स्वीकार कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनकी उचित मांगों को स्वीकार न करने के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है ;

(घ) क्या मकान किराये भत्ता केवल महानगरों में ही बढ़ाया गया है और सभी नगर में नहीं बढ़ाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो भेद भाव के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ङ) . केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने, जो कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था करता है, आल इंडिया एम्पलाइज प्रावीडेन्ट फण्ड स्टाफ फेडेरेशन द्वारा की गई 9 मुख्य मांगों में से बाकी की दो मांगों पर विचार किया है । वेतन-मानों के सम्बन्ध में बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार के प्रतिरूप का पालन करने के अपने पूर्व निर्णय को दोहराया है । जहां तक मकान किराया भत्ते का सम्बन्ध है, बोर्ड ने उसके वर्तमान स्तरों से ऊपर, बम्बई को छोड़कर, अन्य स्थानों के लिये 5 प्रतिशत और बम्बई के लिये 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाए जाने की सिफारिश की है । बोर्ड की यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

1694. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा संगठित कोई गोष्ठी नई दिल्ली में नवम्बर, 1971 में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त गोष्ठी में क्या क्या सिफारिशें की गईं ; और

(ग) उन सिफारिशों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कोकर कोयला खानों का कार्यकरण

1695. **श्रीमती विभा घोष :**
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिकार में ली गई कोकर कोयला खानों में, भूतपूर्व प्रबन्धकों द्वारा

आवश्यक पम्प तथा हवा निकालने वाले बड़े बड़े पंखे हटा लिये जाने के कारण पानी या खतरनाक और ज्वलनशील गैसें भर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इन कोयला खानों के ठीक प्रकार से कार्य करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) भूतपूर्व प्रबन्धकों के तोड़ फोड़ के कार्य के कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सरकार द्वारा अधिकार में ली गई किसी भी कोककर कोयला खान में पानी अथवा बहुत खतरनाक और ज्वलनशील गैसों से भर जाने की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते हैं ।

बंगला देश के शरणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये परियोजना

1696. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के शरणार्थियों को कुछ रोजगार देने के लिये सरकार ने कुछ परियोजनाएं आरम्भ की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

शरणार्थियों को सीमावर्ती क्षेत्रों से हटाना

1697. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा क्षेत्र में तनाव के बढ़ने के कारण बंगला देश के विस्थापितों को पूरी तरह उन क्षेत्रों से हटाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) . जी, नहीं । तथापि, सीमावर्ती राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों से शरणार्थियों के भारी दबाव को कम करने की दृष्टि से बड़े आकार के 50 केन्द्रीय शिविर, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 50,000 व्यक्ति है, पश्चिम बंगाल के आंतरिक भाग या अन्य राज्यों में जहां कि पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है, स्थापित करने का निश्चय किया गया है ।

आसनसोल स्थित प्योर सीतलपुर खान का बन्द होना

1698. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डाल थाना आसनसोल (पश्चिम बंगाल) स्थित प्योर सीतलपुर कोयला खान 28 जुलाई, 1971 से बन्द कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो खान के बन्द होने से कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इन कोयला खान ने 24 जुलाई, 1971 से 12 अगस्त, 1971 तक काम बन्द रखा ।

(ख) लगभग 700 ।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के चिकित्सा अधिकारियों का ज्ञापन

1699. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को भारी इंजीनियरिंग निगम रांची के चिकित्सा अधिकारियों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने सेवा की अधिक अच्छी शर्तें और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वेतन मानों की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन चिकित्सा अधिकारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग). सरकार को ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है । वस्तुतः यह एक ऐसा मामला है जिस पर भारी इंजीनियरी निगम के प्रबन्धकों को विचार करना है ।

रोजगार की खोज करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचिन जन जातियों के व्यक्ति

1700. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 में रोजगार दफ्तरों के रजिस्टरों में दर्ज 5,43,000 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति रोजगार की खोज में हैं ; और

(ख) वर्ष 1970 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के 72,024 स्थानों में से कितने शिक्षित प्रार्थियों को स्थान प्राप्त हुए ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) रोजगार कार्यालय के चालू

रजिस्टरों में 31-12-1970 को दर्ज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कुल 5,42,851 उम्मीदवारों में से 4,49,305 अनुसूचित जाति और 93,546 अनुसूचित जन जाति के थे।

(ख) अनुसूचित जाति के शिक्षित प्रार्थी (मैट्रिक और इससे अधिक) 15,135

अनुसूचित जन जाति के शिक्षित प्रार्थी (मैट्रिक और इससे अधिक) 2,374

कोचिंग-कम-गाइडैंस सेंटरों द्वारा प्रशिक्षित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार

1701. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जिनको मद्रास, दिल्ली, जबलपुर और कानपुर स्थित चार कोचिंग-कम-गाइडैंस सेंटरों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जिनको अब तक आरक्षित स्थानों में रोजगार पाने में सहायता दी गई थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) उपशिक्षण और मार्गदर्शन केन्द्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। इन केन्द्रों की स्थापना के दो उद्देश्य हैं। एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को व्यावसायिक मार्गदर्शन करना और दूसरा इस श्रेणी के उम्मीदवारों को नियुक्ति सम्बन्धी सलाह देना। चार केन्द्रों में से प्रत्येक द्वारा अक्टूबर, 1970 से सितम्बर, 1971 के बीच किये गए कार्य का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है।

	कानपुर	दिल्ली	जबलपुर	मद्रास
पंजीयन/सामूहिक रूप से मार्गदर्शन	1017	2167	937	234
नाम भेजने से पूर्व मार्गदर्शन	43	1263	867	92
वैयक्तिक स्तर पर जानकारी व मार्गदर्शन	1107	731	2033	680
अभिभावकों को सलाह	6	157	37	11
आत्मविश्वास विकास कार्यक्रम	178	812	688	519

(ख) इन केन्द्रों द्वारा उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिये नियोक्ताओं के पास नहीं भेजा जाता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिये नियोक्ताओं के पास

भेजने का काम नियोजन कार्यालय ही करते हैं। कानपुर, दिल्ली, जबलपुर और मद्रास जहां ये केन्द्र स्थापित हैं, के रोजगार कार्यालयों ने जुलाई 1970 से जून 1971* के बीच 3989 अनुसूचित जाति और 199 अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को नियुक्ति सहायता प्रदान की। इनमें से 340 अनुसूचित जाति और 120 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति इन उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित रिक्त स्थानों पर की गई।

रोजगार सूचना सीरीज का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन

1702. **श्री पी० ए० सामीनाथन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार पुस्तिकाएं, रोजगार सूचना सीरीज, रोजगार पोस्टर, प्रशिक्षण सुविधाओं सम्बन्धी पुस्तकें और ऐसे ही अन्य प्रकाशन क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका प्रकाशन किन-किन भाषाओं में हो रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). इन प्रकाशनों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

व्यवसायों की कमी

1703. **श्री पी० ए० सामीनाथन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कर्मचारियों द्वारा किस प्रकार के व्यवसायों में कमी बताई गई ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार इन व्यवसायों के लिये कुल कितने उम्मीदवार थे ; और

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार इन व्यवसायों में कितने लोगों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उन व्यवसायों में जिनमें नियोजकों द्वारा काम करने वालों की लगातार कमी सूचित की गई है रोजगार कार्यालयों की सहायता से नियुक्ति अवसर पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या और

* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के पंजियन और नियुक्ति के सम्बन्ध में सांख्य प्रति वर्ष में दो बार 30 जून, और 31 दिसम्बर, को रोजगार कार्यालयों से इकट्ठी की जाती है।

रोजगार कार्यालयों में चालू रजिस्टरों में दर्ज इन व्यवसायों में काम के अवसर चाहने वालों की संख्या ।

व्यवसाय जिनमें नियोजकों ने लगातार कमी बताई ।	प्रत्याशियों की संख्या जिन्हें नीचे दिखाई अवधि में नौकरी दी गई।			चालू रजिस्टर में दर्ज काम चाहने वालों की संख्या जैसी कि नीचे दिखाई अवधि में थी ।		
	जुलाई 1968 से जून 1969 तक	जुलाई 1969 से जून 1970 तक	जुलाई 1970 से जून 1971 तक	30-6-1969	30-6-1970	30-6-1971
1	2	3	4	5	6	7
1. फिजीशियन जनरल	165	285	278	785	1626	2423
2. मेडिकल और सर्जीकल विशेषज्ञ	20	28	17	1	7	10
3. नर्स सामान्य	371	402	721	1066	1381	1436
4. लेडी हैल्थ विजीटर	147	112	203	321	210	178
5. फार्मासिस्ट	1103	953	1043	2188	2238	2385
6. सफाई निरीक्षक	2839	2084	2534	1211	1052	1225
7. विश्वविद्यालय के शिक्षक सर्जरी व इंजीनियरिंग	204	127	159	39	41	45
8. शिक्षक-उच्चतर माध्यमिक स्कूल	13689	15006	15870	24048	28702	34950
9. शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक स्कूल (भाषा)	2016	2731	3720	6575	7385	8025
10. शिक्षक कला और दस्तकारी एवं शारीरिक प्रशिक्षण	2014	2042	2734	8077	8971	9654
11. लेखाकार	275	208	246	832	754	895
12. ग्रामीण कार्यकर्ता	523	428	516	455	427	477
13. पुस्तकालय अध्यक्ष	361	322	317	1089	1436	1188
14. आशुलिपिक	2213	2830	3052	8108	10063	12638

1	2	3	4	5	6	7
15. टाइपिस्ट	11779	12441	13456	62194	75020	95812
16. मकैनिक, प्रिसीजन इंस्ट्रमेंट	89	64	50	814	906	737
17. फिटर सामान्य	2422	2528	2713	23399	24009	26987
18. डाई मेकर	11	2	180	133	139	192
19. टर्नर	1007	1107	995	16443	16643	18763
20. मिलर	157	155	190	906	961	1311
21. आटोमोबाइल मकैनिक्स	747	717	720	10422	11827	13043
22. ग्राइन्डर्स	124	88	136	863	987	1306

* रोजगार क्षेत्र सम्बन्धी सूचना इकट्ठी करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी संस्थान तथा निजी क्षेत्र के ऐसे कृषि के अतिरिक्त संस्थान जिनमें दस या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हों अपने क्षेत्र के रोजगार कार्यालयों को त्रैमासिक रोजगार विवरण भेजते हैं। इस विवरण की एक मद तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर उपयुक्त प्रत्याशी के अभाव में न भरी जाने वाली रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती है।

पूर्ति विभाग में विभागीय पदोन्नतियों के बारे में नियम

1704. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग में विभागीय पदोन्नति सम्बन्धी नियमों में प्रतिवर्ष परिवर्तन कर दिया जाता है ; और

(ख) क्या ऐसे परिवर्तन के फलस्वरूप हाल में 17 अधिकारियों की पदावनति की गई थी और उनके कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत किया गया था ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

विभागीय पदोन्नतियां पूर्णतया समय-समय पर जारी की गई सरकारी हिदायतों के अनुसार ही की जा रही हैं।

(ख) संभवतः, यह सहायक निदेशकों (ग्रेड-2) के संदर्भ में है। सहायक निदेशक (ग्रेड-2) में स्थानापन्न रूप से पदोन्नतियां करने के लिये 1971 में जो नया पेनल तैयार किया गया था, उसके परिणामस्वरूप 15 अधिकारियों को, जो बिल्कुल अस्थायी आधार पर सहायक निदेशक (ग्रेड-2) में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे, अराजपत्रित पदों पर पदावनत कर दिया गया था क्योंकि नये पेनल में उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों ने उनका स्थान लेना था।

झरिया क्षेत्र की कोककर खानों का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

1705. **श्री दलीप सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया क्षेत्र की कोककर कोयला खानों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन खानों में कोयला उद्योग में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सरकार ने झरिया और अन्य स्थानों में कोककर कोयला खानों के प्रबन्ध को ग्रहण किया है ।

(ख) सरकार ने यह प्रस्तावित किया है कि कोककर कोयला के न्यूनतम संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण और वैज्ञानिक विकास के प्रयोजन के लिए ग्रहण की गई खानों को पुनर्गठित और पुनर्निर्मित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

Rehabilitation of Displaced Persons of Heavy Engineering Corporation, Ranchi

1706. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total number of displaced Muslim workers working in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi during the Communal riots of 1967 in Ranchi ; and

(b) the number out of them rehabilitated so far and the reasons for not rehabilitating the remaining persons ?

The Minister of Steel and Mines (Shri S. Mohan Kumaramangalam) : (a) During the disturbances of August, 1967, 687 Muslim employees of Heavy Engineering Corporation were in occupation of the Corporation's quarters in the H. E. C. Township. Out of these, about 500 employees were shifted with their families to two Artisans Hostels of the Central Training Institute of the HEC and the rest shifted outside the HEC Campus to places of their choice.

(b) Till the end of October, 1971, 72 employees had shifted back with their families to quarters in the Township. It has not been possible to rehabilitate the others because they are still hasitant to the Township even though full and efficient Police arrangements have been made by the Civil authorities and the State Government.

This is a delicate social problem requiring the willing cooperation of all concerned and will take some more time. Earnest efforts in this regard are being continued.

Execution of work of Coking Coal Mines in Bihar by Contractors

1707. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the execution of work in some Coking Coal Mines in Hazaribagh District of Bihar, out of those taken over by Government, is still being got done through the contractors ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the justification for still continuing this practice ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c). In some of the coking coal mines taken over in Hazaribagh District of Bihar, the contract system is still continued in respect of only those items which were provided by the Dave Court of Enquiry. In regard to other items like coal raising, contract system has already been discontinued.

Running of Giridih Collieries in Bihar on Cooperative Basis

1708. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1264 on the 3rd June, 1971 regarding Running of Giridih Collieries in Bihar on Co-operative basis and state :

(a) whether agreement with the Labour Co-operative Society to run 23-B incline of Giridih collieries on co-operative basis has since been executed ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No. Sir.

(b) Draft partnership agreement drawn up by the Corporation had to be approved by Board of Directors before it could be given to Secretary, Labour Co-operative Society, Giridih. The Board approved the draft at their meeting held on 16th September, 1971. Thereafter it was sent to the Secretary, Co-operative Society for necessary action. The Chairman, National Coal Development Corporation, has requested the representative of the cooperative society to meet him before the final conclusion of the partnership deed.

उड़ीसा में आया तूफान

1709. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आये तूफान से कितने व्यक्ति बेघर हो गये हैं ;

(ख) उनके पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या उन्हें आवश्यक भोजन तथा आवास की सुविधायें प्रदान की गई हैं ; और

(घ) सरकार का विचार कब तक उनका स्थायी पुनर्वास करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) राज्य सरकार का अनुमान है कि ज्वार की लहर और तेज तूफान के फलस्वरूप वास्तविक रूप में बेघर हुए व्यक्तियों की संख्या पांच लाख से अधिक है ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित वित्तीय सहायता पर भारत सरकार केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर जिसने इस क्षेत्र का दौरा किया है, विचार करेगी । कुछ राशि तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले ही दी जा चुकी है ।

(ग) 7 दिन के लिए सभी प्रभावित व्यक्तियों को आपात सहायता प्रदान कर दी गई है। उन क्षेत्रों के लिए और आपात सहायता दी जा रही है, जिन पर ज्वार की लहर और तीव्र तूफान का प्रभाव पड़ा है । आश्रय स्थान प्रदान करने और कृषकों को रबी की फसल बोने के लिए सहायता सम्बन्धी कदम उठाए जा रहे हैं ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा स्थायी पुनर्वास के लिए प्रस्तावित विविध उपायों पर भारत सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा रहा है । अन्तिम निर्णय लेने के उपरान्त यह बताना सम्भव होगा कि मंजूर किए जाने वाले उपायों की क्रियान्विति में कितना समय लगेगा ।

हिन्द महासागर में रूसी पनडुब्बी

1710. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली की एक पत्रिका "लो स्पीचियो" ने ऐसे फोटो प्रकाशित किए हैं जिनमें पोर्ट लुई पर रूसी पनडुब्बियां तथा समुद्र के किनारे पर रूसी पोतवाहक से ऐसी टोपियां पहने दिखाये गए हैं जिन पर "इंडियन ओशियन फलीट" लिखा हुआ है ;

(ख) क्या इस मामले की जांच कर ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जिन खबरों के बारे में कहा गया है, उनकी ओर सरकार का ध्यान गया है ।

(ख) और (ग). सरकार इस बात से अवगत है कि कई बड़े राष्ट्रों की नौ सेनाएं जिनमें सोवियत संघ की नौ सेना भी शामिल है, हिन्द महासागर में मौजूद हैं ।

(घ) इन नौसेनाओं की मौजूदगी से उत्पन्न सम्भावित खतरों को देखते हुए सरकार ने पहले ही यह निश्चय कर लिया है कि इस विषय पर लुसाका घोषणा के क्रियान्वयन के लिए समर्थन प्राप्त किया जाए ।

इस्पात के वितरण की प्रक्रिया

1711. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात वितरण की वर्तमान पद्धति, जिसके अनुसार मांग के मूल्य की 10 प्रतिशत अग्रिम राशि उत्पादकों के पास जमा करनी होती है, बड़ी फर्मों के लिये लाभकारी है ;

(ख) क्या छोटे निर्माताओं को, जो मन्दी से अपनी स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अग्रिम जमा के रूप में बिना किसी ब्याज के अपनी अच्छी खासी धन राशि रुके रहने से कठिनाई होती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग). संभवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित बयाने के अनुबंध से है । वर्तमान अनुबंध के अनुसार वर्तमान वास्तविक उपभोगकर्ताओं के लिए (जिन्हें 1-2-71 तक संयुक्त संयंत्र समिति से प्लैनिंग नोट प्राप्त हो चुके हैं) छूट की सीमा 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के तीन वित्त-वर्षों में सबसे अधिक प्रेषण वाले वर्ष के प्रेषण जमा 100% घटा 1-2-1971 को बकाया, कम से कम 200 टन, के हिसाब से निकाली जाएगी । जहां सबसे अधिक प्रेषण वाले वर्ष के प्रेषण जमा 100% तथा 1.2.1971 को बकाया 200 टन से कम रहता है वहां छूट की सीमा 200 टन होगी ।

यदि उपभोक्ता ऊपर बताई गई छूट की सीमा से अधिक मात्रा के लिए आर्डर बुक करना चाहें तभी उन्हें 10% के हिसाब से बयाना देना होता है। इस प्रकार सभी वास्तविक उपभोग कर्ता कोई बयाना दिये बिना ही उससे कहीं अधिक मात्रा के लिए मांग-पत्र भेज सकते हैं। जिसकी उनको इस्पात कारखानों से मिलने की आशा होती है।

2. अब यह फैसला किया गया है कि लघु उद्योगों को प्रेषण संबन्धित राज्य लघु उद्योग निगमों की मार्फत किये जायेंगे। ऐसे निगमों को बयाना देने से पूरी तरह छूट दे दी गई है। अतः लघु उद्योग एककों की किसी प्रकार की कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है।

भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से शिकायत

1712. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से शिकायत की है कि "भारत ने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप किया है;"

(ख) क्या पाकिस्तान ने उप महाद्वीप की शांति के लिये खतरा उत्पन्न करने हेतु भारत को दोषी ठहराया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). पाकिस्तान ने 13 अगस्त 1971 को महासचिव को दिए गए स्मरण पत्र में तथा उनके प्रतिनिधि ने महासभा के वर्तमान अधिवेशन में दिए गए अपने वक्तव्य में इस आशय के आरोप लगाए हैं।

(ग) महासभा की वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तावना में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पूर्व बंगाल की परिस्थिति की ओर आकर्षित किया है और कहा है कि इतने बड़े परिमान में संकट से उत्पन्न समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब सामंजस्य एवं मानवीय सिद्धांतों के प्रति सम्मान पर आधारित राजनीतिक हल प्राप्त किया जाय।

(घ) 13 अगस्त को पाकिस्तान द्वारा दिए गए स्मरण पत्र में लगाए गए आरोप स्पष्टतः गलत एवं निराधार हैं और सरकार ने इसका लिखित उत्तर नहीं देने का निर्णय लिया है क्योंकि इससे पाकिस्तान को विवाद खड़ा करने के उद्देश्य में तथा बंगला देश के प्रश्न को भारत पाकिस्तान संघर्ष का रूप देने में सफलता मिलती जिससे कि पूर्व बंगाल की आंतरिक स्थिति से विश्व का ध्यान हट जाता। लेकिन पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा लगाए गए मौखिक आरोपों को विदेश मन्त्री तथा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने महासभा एवं उसकी अन्य समितियों के बहस के दौरान प्रभावशाली ढंग से विरोध किया।

केरल में सोने के निक्षेपों का पता लगाने के लिये भारत के भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया सर्वेक्षण

1713. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भू-सर्वेक्षण विभाग ने केरल में सोने के निक्षेपों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा वाइनाड स्वर्ण वाले क्षेत्र में, जो नीलगिरि जिले (तमिलनाडु) से कोजिकोड जिले (केरल) तक फैला हुआ है, स्वर्ण के लिए किए गए अन्वेषण ने केरल की ओर निम्न स्वर्ण खनिजीकरण दर्शित किए हैं और इसलिए वह किसी खनन क्रियाकलाप को समर्थित नहीं करता है। कोजिकोड जिले के नीलाम्बर घाटी में जलोढ़ स्वर्ण के अन्वेषण ने भी किसी संभाव्य आर्थिक समपुयोजन के लिए बहुत कम उपलब्ध राशियां उपदर्शित की हैं।

अमरीका द्वारा अन्य देशों के माध्यम से पाकिस्तान को सैनिक सहायता

1714. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका अन्य देशों के माध्यम से पाकिस्तान को निरंतर सैनिक साज-सामान सप्लाई कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो मार्च 1971 से अब तक पाकिस्तान को कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की इन चीजों की सप्लाई प्राप्त हुई है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने इसे अस्वीकार किया है कि अमरीका सरकार अन्य देशों के माध्यम से पाकिस्तान को सैनिक साज-सामान सप्लाई कर रही है। उनके अनुसार, ऐसे हस्तांतरण के लिए मार्च 1971 के बाद न तो कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, न कोई स्वीकृति प्रदान की गई है।

Expenditure on Indian Embassies

1715. **Shri Mulki Raj Saini**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the name of the countries where Indian Embassies are located ;

(b) the annual expenditure incurred by Government on them ? and

(c) the names of the I. A. S. or I. C. S. Officers appointed as Ambassador ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). A statement is placed on the table of the House. **[Placed in Library. See No. LT 1116/71].**

राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को नगर भत्ता देना

1716. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता सहित नगर-भत्ता लेने की अनुमति दी जाये ;

(ख) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को नगर भत्ते मिल रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मकान के किराये और नगर प्रतिकर भत्ते के बारे में कम्पनी के नियमों के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार के तत्संवादी नियमों के अनुरूप हैं, ये भत्ते इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को ही मिलते हैं । इस प्रकार निर्दिष्ट स्थानों में राउरकेला नहीं है ।

Unrecognised Union

1717. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have asked some of the Labour Unions which are still unrecognised to submit statement showing the number of Unions and the membership thereof to consider their claims for recognition ; and

(b) if so, the names of the Unions which have since submitted such a statement to Government and the membership of each of them at all India level ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). Some central organisations of workers were requested to furnish their claims in respect of the membership and other particulars of the unions affiliated to them, as on the 31st December, 1970, in order to consider the question of representation of workers on the Tripartite Consultative Bodies.

The names of the organisations, which have furnished their claim particulars are given below :—

S. No.	Name of the Organisation
1.	Bhartiya Mazdoor Sangh, Bombay.
2.	Centre of Indian Trade Unions, Calcutta.
3.	United Trade Union Congress, Lenin Sarani, Calcutta.
4.	Labour Progressive Federation, Madras.
5.	National Front of Indian Trade Unions, Calcutta.
6.	Indian Federation of Independent Trade Unions, Calcutta.

Their membership claims are in the process of preliminary verification.

C. I. T. U. Participation in I. L. C.

1718. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether C. I. T. U. which is not a recognised Labour Union was also invited to participate in the All India Labour Conference held in October, 1971 in Delhi ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the reasons for not inviting other recognised unions to participate in the said Conference ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c). In view of the charges that had taken place in the structure of trade union organisations in the country, the C. I. T. U. was allowed to send on its request and at its own expense, an observer to the 27th Session of the Indian Labour Conference held at New Delhi in October, 1971. This was an interin arrangement without prejudice to any decision that might be finally taken on the composition of tripartite bodies which was a subject for cosideration before the Conference. In Government's view it would not have been justified to extend similar facilities to any other Central Organisation of workers.

Search of the Indian High Commission at Karachi

1719. **Shri R. V. Bade :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether in violation of Vienna Convention a search was carried out in the Indian High Commission at Karachi in 1965 ;

(b) if so, the reasons there for ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) No valid reasons were given by the Pakistan authorities for this gross violation of diplomatic rights and immunities.

(c) Government protested in the strongest terms againts the shocking outrages committed against the Indian High Commission, and while claiming full compensation for all the damage caused to the High Commission and the property of its members, demanded an apology from the Pakistan Government.

बोनस फार्मूले का लागू किया जाना

1720. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घोषित बोनस फार्मूला सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है ; और

(ख) क्या इसे सभी उद्योगों में भी लागू किया गया है अथवा नहीं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). सूचना उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली के खरेड़ा ग्राम में भूमि का आवंटन

1721. **श्री दलीप सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम खरेड़ा (दिल्ली) में "अबादी डेलों" का कुल कितना क्षेत्र है और क्या किसी व्यक्ति को इसका आवंटन कर दिया गया है ;

(ख) यह भूमि कितने व्यक्तियों को आवंटित की गयी है ;

(ग) इस भूमि पर कितने उद्योग चल रहे हैं और क्या ये सभी उद्योग लाइसेंस प्राप्त हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नं० 395 जिसका क्षेत्रफल 26 बीघा और 5 विस्वा है, अबादी देह के रूप में दिखाया गया था और निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में ले लिया गया था, उसे 3 बीघा और 18 विस्वा क्षेत्रफल की कृषि-भूमि के दो टुकड़ों सहित छः व्यक्तियों को बेच दिया गया है ।

(ग) तीन उद्योग । दो के पास नगर पालिका के लाइसेन्स हैं जो मार्च, 1972 तक वैध हैं और तीसरा तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सेलम में इस्पात संयंत्र की स्थापना

1722. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात मंत्रालय के परामर्शदाताओं ने अग्रेतर व्यापक जांच-पड़ताल करने के पश्चात् नेयवेली लिग्नाइट तथा कंजामलई के लौह अयस्क की उपयुक्तता तथा निर्माण-प्रक्रिया के औचित्य, जिसके आधार पर सेलम इस्पात संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, पर संदेह अभिव्यक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्षों सम्बन्धी प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जाये ;

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख). परामर्शदाताओं की सिफारिशें सेलम इस्पात प्रायोजना के तकनीकी-आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन में उपलब्ध होंगी । यह प्रतिवेदन वे जल्दी ही प्रस्तुत कर देंगे । फिर भी इस बीच परामर्शदाताओं ने सूचित किया है कि सेलम में विशेष इस्पात के परिकल्पित उत्पादन के लिए नैवेली लिग्नाइट कोयला उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि उसमें गंधक की मात्रा अधिक है । जहां तक कंजामलई के लौह अयस्क का सम्बन्ध है उनका विचार है कि लौह अयस्क को साफ करके इसके पेलेट (गोलियां) बनाये जा सकते हैं जिससे विद्युत द्वारा द्रवण प्रक्रिया से गर्म धातु बनाई जा सकती है ।

भारत रूस मैत्री संधि के प्रति चीन की प्रतिक्रिया

1723. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत रूस संधि के प्रति भारत को सरकारी तौर पर अथवा किसी अन्य राजनयिक सूत्र के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिक्रिया का स्वरूप क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुट निर्पेक्ष देशों के ग्रुप की न्यू यार्क में होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए भारत को निमंत्रण-पत्र

1724. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू यार्क में हुई गुट निर्पेक्ष देशों के ग्रुप की बैठक में भाग लेने के लिये सरकार को कोई निमंत्रण-पत्र प्राप्त हुआ था ; और

(ख) क्या अगस्त, 1971 से अब तक गुट निर्पेक्ष देशों के ग्रुप से सरकार को कोई पत्र मिला है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार, गुटमुक्त वर्ग के सदस्यों के साथ बराबर निकट सम्पर्क बनाए रखती है । भारत ने, सितम्बर 1971 में न्यू यार्क में हुई गुटमुक्त देशों की परामर्श बैठकों में, सरकारी तथा मंत्री दोनों स्तरों पर, भाग लिया । प्रारम्भिक समिति के एक सदस्य के रूप में, भारत, अगले वर्ष होने वाली ऐसी ही बैठकों की तैयारी से पूर्णतः सम्बद्ध है ।

पश्चिम बंगाल में शरणार्थी शिविरों में राहत कार्य करने वाले विदेशी

1725. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में शरणार्थी शिविरों में राहत कार्य करने वाले विदेशियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनके स्थान पर भारत-वासियों की सेवाओं का उपयोग करना संभव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

जस्ते के कारखानों के स्थान

1726. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में जस्ते के कारखाने किन-किन स्थानों पर हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : इस समय देश में दो जस्ता प्रद्रावक हैं । एक अलवाये (केरल) में प्राइवेट सेक्टर में और दूसरा उदयपुर (राजस्थान) के समीप देबरी में पब्लिक सेक्टर में ।

कोर्मिको बिनानी जिंक लिमिटेड में उत्पादन

1727. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक असंतोष के कारण कोर्मिको बिनानी जिंक लिमिटेड, केरल में उत्पादन नहीं हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). जी, हां। मैसर्स कोमिको बिनानी जिंक लिमिटेड के अलवाये स्थित जस्ता प्रद्रावक में कर्मचारियों की 13 मार्च से 7 जून, 1971 की कालावधि तक हड़ताल होने के कारण उत्पादन नहीं हुआ है।

यह सूचना मिली है कि हड़ताल एक कर्मचारी के विरुद्ध कारखाने के एक महत्वपूर्ण उपकरण को नुकसान पहुंचाने के लिये प्रबन्ध द्वारा लिए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरोध में की गई थी।

श्रमिकों को दी जाने वाली शिक्षा की प्रगति का पुनर्विलोकन

1728. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में श्रमिकों को दी जाने वाली शिक्षा सम्बन्धी प्रगति का पुनर्विलोकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). श्रमिक शिक्षा योजना का हाल ही में पुनरीक्षण किया गया है ; पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा और फिर संसद का प्राक्कलन समिति द्वारा। उनकी सिफारिशें सरकार के परीक्षणाधीन हैं।

कनाडा में भारतीयों के प्रति भेद-भाव

1729. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के एक प्रान्त में किये गये सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला है कि वहां भारतीयों ने अपने प्रति विभिन्न प्रकार के भेद-भावों का अनुभव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने 7 अक्तूबर 1971 के कैनेडियन इण्डिया टाइम्स में प्रकाशित "सस्केचेवन सर्वे फाइण्ड्स डिस्क्रिम्नेशन ए रियलिटी" शीर्षक निबन्ध की प्रति देखी है।

(ख) सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार कनाडा में भारत मूल के लोगों के साथ कोई अवगम्य भेद-भाव नहीं बरता जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता चाहता है और उक्त देश की नागरिकता जब उसे प्रदान की जाती है, तो वह उसी देश के प्रति निष्ठावान होता है तथा उस देश के खिलाफ अपने मूल देश के पास शिकायत करने का कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के परिसर पर हुए कथित आक्रमण के बारे में
RE. ALLEGED ATTACK ON CALCUTTA UNIVERSITY PREMISES

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान्, मुझे स्टूडेन्ट्स फेडरेशन आफ इण्डिया, कलकत्ता, से इस आशय का एक तार मिला है कि छात्र परिषद के दंगाइयों ने कलकत्ता विश्वविद्यालय परिसर पर आक्रमण कर दिया था। गत दो वर्षों से उन्होंने विश्वविद्यालय में ऐसा वातावरण बना रखा है जिसमें वहां पर अध्ययन और शिक्षण-कार्य असम्भव सा हो गया है। उनकी भर्त्सना की जाये। विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिये अनुकूल वातावरण बनाने हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम के अधीन पश्चिमी बंगाल कर्मचारी अनिवार्य उपदान संदाय अधिनियम

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, पश्चिमी बंगाल कर्मचारी अनिवार्य उपदान संदाय अधिनियम, 1971 (1971 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 7) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुंआ था, सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1108/71**]

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-1109/71**]

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

चौथी लोक सभा

1. विवरण संख्या 35	चौथा सत्र, 1968
2. विवरण संख्या 29	पांचवां सत्र 1968
3. विवरण संख्या 21	छठा सत्र, 1968

4. विवरण संख्या 27	सातवां सत्र, 1969
5. विवरण संख्या 17	आठवां सत्र, 1969
6. विवरण संख्या 15	नौवां सत्र, 1969
7. विवरण संख्या 17	दसवां सत्र, 1970
8. विवरण संख्या 8	ग्यारहवां सत्र, 1970
9. विवरण संख्या 7	बारहवां सत्र, 1970

पांचवीं लोक सभा

10. विवरण संख्या 4	पहला सत्र, 1971
11. विवरण संख्या 3	दूसरा सत्र, 1971
12. विवरण संख्या 4	दूसरा सत्र, 1971
13. विवरण संख्या 5	दूसरा सत्र, 1971

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1110/71]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :

(एक) कि राज्य सभा 22 नवम्बर, 1971 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 31 जुलाई, 1971 को पास किये गये अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकार विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है ।

(दो) कि राज्य सभा 23 नवम्बर, 1971 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 12 अगस्त, 1971 को पास किये गये कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

मेघालय में शिविरों में बंगला देश से आये शरणार्थियों की स्थिति के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. CONDITIONS OF BANGLA DESH REFUGEES IN CAMPS IN MEGHALAYA

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

श्रीमान्, प्राप्त सूचना के अनुसार मैलाम शरणार्थी शिविर में 29 अक्टूबर 1971 को लगभग 1.30 बजे लगी आग से कुछ बैरक जल गए, जिससे लगभग 15,000 व्यक्ति प्रभावित हुए। इसमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई और चार घायल हो गए। उसी रात को तथा 13-11-1971

और 20-11-1971 को उक्त शिविर में तीन बार और आग लगी। 29-10-1971 और 13-11-71 को दूसरी बार लगी आग से कोई मृत्यु नहीं हुई और न किसी विशेष सम्पत्ति की हानि ही हुई। 20-11-71 को 2112 व्यक्ति प्रभावित हुए और 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस मामले में तोड़-फोड़ की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी एजेन्टों द्वारा तोड़-फोड़ को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर दिया गया है।

अग्निकांड से प्रभावित शरणार्थियों को राशन/मुफ्त पका हुआ भोजन, पहनने के कपड़े और कम्बलों के रूप में आवश्यक राहत सहायता दी गई। उन्हें कुछ बैरेकों में उपलब्ध वैकल्पिक आवास भी दिया गया परन्तु शरणार्थियों ने वहां जाने से इन्कार कर दिया क्योंकि वे पाकिस्तानी गोलाबारी से भयभीत थे। अब मेघालय सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों के लिए शरणार्थी श्रमिकों और सरकारी सामान से बैरक बनाने के आदेश जारीं कर दिए हैं।

जरूरतमन्द और उचित मामलों में शरणार्थियों को स्वैच्छिक संगठनों से दान में प्राप्त सामान में से वस्त्र तथा कम्बल बांटे जा चुके हैं।

अन्य राज्यों के साथ ही मेघालय सरकार को भी शिविरों में रह रहे शरणार्थियों के लिए वस्त्र खरीदने तथा उनकी सप्लाई की व्यवस्था करने के अधिकार पहले ही 2 सितम्बर, 1971 को दे दिये गए थे। मेघालय सरकार ने वस्त्रों की सप्लाई के लिए टेन्डर मंगाये हैं और उन टेन्डरों को अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है। ऐसी आशा है कि वस्त्रों का वितरण लगभग एक सप्ताह या 10 दिन के भीतर शुरू हो जायगा।

कम्बलों की सप्लाई के बारे में ऐसा मालूम हुआ है कि मेघालय में शिविर शरणार्थियों की सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिये 3.55 लाख कम्बलों की सप्लाई की जा चुकी है और उनका वितरण किया जा रहा है।

———

राजनयिक सम्बन्ध (वियेना कनवेन्शन) विधेयक
DIPLOMATIC RELATIONS (VIENNA CONVENTION) BILL

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजनयिक सम्बन्धों पर वियेना कनवेन्शन (1961) को प्रभावी करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजनयिक सम्बन्धों पर वियेना कनवेन्शन (1961) को प्रभावी करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

रेल यात्री भाड़ा अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और रेल यात्री भाड़ा विधेयक
STATUTORY RESOLUTION RE. RAILWAY PASSENGER FARES ORDINANCE AND RAILWAY PASSENGER FARES BILL

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा 24 नवम्बर 1971 को पेश किये गये संकल्प और श्रीमती सुशीला रोहतगी द्वारा 24 नवम्बर 1971 को पेश किये गये विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी ।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Mr. Speaker, Sir, the way in which a tax on railway fares is imposed through an ordinance, cannot be commended. It is a way to have an increase in the railway fares. This tax has been imposed with effect from 15th November 1971, the date for commencement of Parliament Session. Before imposing this tax Lok Sabha should have been taken into confidence.

What is most surprising in this regard is the increase in railway fares particularly for third class passengers. This tax should have been imposed on those passengers who travel in air conditioned class and saloons. I do not think that Government is entitled to overburden the people with tax on the pretext of Bangla Desh refugees.

[श्री सेझियान पीठासीन हुए
Shri Sezhiyan in the Chair]

Instead of imposing this tax on railway fares, Government should have mobilised other resources. For example, pilferage of railway goods which take place on Mogalsarai and other stations should be checked and unnecessary administrative expenditure should be done away with. There are income tax arrears amounting to 700 crores of rupees, which still remain uncollected. The Government should have taken steps to collect these arrears.

There is wide-spread corruption in the railway administration particularly at higher levels. In the area of Bandariya Bagh near Lucknow few bungalows were furnished with an amount of 2.50 lakhs of Rupees. In Badshahnagar, an overbridge was constructed and overpayment of Rs. 54,000/- was made to the contractor of the said overbridge. Between Gorakhpur and Chapra 'standard three interlocking system' was constructed with the cost of 6 crores of rupees. But after one year all this complex was reconstructed with another amount of 8 crore rupees. There are some examples of unnecessary expenditure in railways which could have been avoided. This huge amount could have been saved. Similarly, if corruption is checked a lot of money can be saved. Our Government should reconsider the whole matter and withdraw this Bill so that common mens who travel in third class are spared from the burden of this increase in fares.

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : श्रीमान्, सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घंटी बजाई जाये .... अब सभा में गणपूर्ति है ।

***श्री सी० चित्तिबाबू** (चिंगलपट) : सभापति महोदय, यह विधेयक उस अध्यादेश को कानून में बदलने के उद्देश्य से लाया गया है जिसके द्वारा बंगला देश शरणार्थियों के भरण-पोषण के लिए धन राशि जुटाने के लिए रेल यात्रा भाड़े पर कर लगाया गया है । सरकार के इस मानवता पर आधारित प्रयत्न में सम्पूर्ण देश उनके साथ है । किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि यह व्यवस्था अस्थायी आधार पर

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

की गई है अथवा प्रति वर्ष यह कर लगाया जायेगा। यह प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि प्रधान मंत्री ने यह नहीं बताया है कि ये शरणार्थी कब तक अपने देश वापस लौट जायेंगे।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कर अध्यादेश के माध्यम से लगाये गये हैं। भूतपूर्व लोक सभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मावलंकर ने ऐसे अध्यादेशों का विरोध किया था। वर्तमान लोक सभा अध्यक्ष की भी राय यही है कि कर प्रस्ताव वाले विधेयक अन्तर्सत्रीय अवधि में जारी न किये जायें। होना भी ऐसा ही चाहिए। अध्यादेश जारी न करके सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट ला सकती थी और यह कराधान कर सकती थी। चाहे उद्देश्य कितना ही महान क्यों न हो, सरकार को कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे लोकतंत्रीय पद्धति को ठेस पहुंचती हो।

शासक दल ने निर्वाचन के समय 'गरीबी हटाओ' नारा लगाया था। किन्तु बंगला देश-संकट के कारण वह नारा अब त्याग दिया गया है। अब गरीबों पर ही कर लगाये जा रहे हैं। भारत की 90 प्रतिशत जनता तीसरे दर्जे में यात्रा करती है। यह निर्धन वर्ग है। यदि यह कर उन यात्रियों पर लगाया जाता जो प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करते हैं तो मुझे दुख नहीं होता। क्या जनसाधारण के प्रति सरकार के इस रवैये से समाजवादी राज्य की स्थापना हो सकती है।

एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि इस वर्ष के पहले छः महीनों में रेलवे को अनुमान से 7 करोड़ रुपयों का अधिक राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि उसके खर्च में 24 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। मैं समझता हूं कि यदि रेलवे का प्रशासनिक खर्च इसी प्रकार बढ़ता गया तो हमारा विकास कैसे सम्भव है। जहां तक वर्तमान करों का सम्बन्ध है, इसको लगाने की आवश्यकता ही न पड़ती यदि रेल प्रशासन रेल सामान की चोरी को रोकने में सफल होता। ऐसा अनुमान है कि रेल से 17 करोड़ रुपये का सामान प्रति वर्ष चोरी जाता है और 20 करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है। इस प्रकार 37 करोड़ रुपये की बचत चोरी रोकने मात्र से ही हो सकती है। दूसरे जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ रेल से आय भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दें। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि तमिलनाडु में रेल विकास बिल्कुल नगण्य है। हम त्रिवेन्द्रम और कुमारी अन्तरीप के बीच नागर कोइल को जोड़ने वाली लाइन के लिए दशकों से मांग करते आ रहे हैं। तमिलनाडु में एक स्थान पर भी दोहरा लाईन नहीं है। तमिलनाडु में रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में भी ऐसी स्थिति है। तमिलनाडु की जनता की काफी समय से यह मांग है कि आरकोणम तक बनी हुई बड़ी लाइन को कांजीवरम के रास्ते चिंगलीपुर तक बढ़ाया जाना चाहिये। यह केवल 30 मील की दूरी है। परन्तु रेलवे मंत्रालय ने इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। नांवेली से सेलम तक दोहरी लाइन बनाने के सम्बन्ध में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

रेलवे विभाग को भोजन की व्यवस्था पर भी अधिक ध्यान देना चाहिये। यात्रियों को बहुत घटिया किस्म का भोजन दिया जाता हैं। उत्तर में आने वाले रेलवे के खान-पान विभाग के कर्मचारियों को गर्म वर्दी दी जानी चाहिये। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तीसरे दर्जे पर लगाया गया किराया-कर समाप्त कर दिया जाना चाहिये। रेलवे के प्रशासनिक व्यय में कमी की जानी चाहिये। यदि ऐसा किया जाये तो मैं समझता हूं कि अतिरिक्त कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बंगला देश के शरणार्थियों पर 3 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। वे स्वदेश कब लौटेंगे ? मैंने रिजर्व बैंक का एक प्रतिवेदन

पढ़ा था जिसमें लिखा था कि केन्द्रीय सरकार और राज्यों ने रिजर्व बैंक में जमा राशि से अधिक कई करोड़ रुपये निकलवाये हैं। सरकार ने इन ऋणों के भुगतान के लिये क्या कार्यवाही की है। यह मैं जानना चाहता हूं। यदि नये कर वसूल करने के लिये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी होते रहे तो किसी दिन देश में रक्तपात हो जायेगा। अतः सरकार को यात्री किराये पर लगाये गये कर को समाप्त कर देना चाहिये।

श्री पी० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : रेलवे विभाग को काफी घाटा हो रहा है। मेरा अपना विचार यह है कि यदि रेलवे तंत्र को पुनर्गठित करके सुचारु रूप से चलाया जाये तो इस प्रकार के विधेयक प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। निःसन्देह शरणार्थियों की भोजन व्यवस्था पर हमें करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं परन्तु इस प्रकार कानून पास करके थोड़ी-थोड़ी धन-राशि एकत्र करने में मुझे कोई बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई देती। कई मामलों में कर की राशि की अपेक्षा कर वसूल करने पर खर्च की जाने वाली राशि अधिक होगी। अतः अच्छा यह होता कि अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिये एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाता। राज्य सरकारें भी अतिरिक्त कर लगा रही हैं। आन्ध्र प्रदेश की सरकार भी कुछ अन्य कर लगाने का विचार कर रही है। इसका जन साधारण के जीवन पर और राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि रेल सेवा को दक्षतापूर्वक चलाया जाये तो जनता बड़ी खुशी से कुछ अधिक कर दे देगी। परन्तु इसके बिना यह अतिरिक्त बोझ सिद्ध होगा और लोग ये अतिरिक्त कर खुशी से नहीं देंगे।

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : The Railways have been working at a loss for the last 10 years. In order to make up this loss fares and freights were enhanced in the current budget and again it is proposed now to levy additional taxes on the fares. This is great injustice being done to the people. In view of this I oppose this step. Unless Bangla Desh is recognised Government have no right to impose more and more taxes. Government is not paying any attention to lay new railway lines where there is no rail service. I would like to request the hon'ble Minister to extend the existing railway trains from Shahdol to Korba *via* Bilaspur and from Katni to Shahdol and to Chirmiri.

The expenditure on the working of the railways should be reduced. In case it is achieved there will be no need of imposing fresh taxes.

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : इतनी कम अवधि में पहली बार इतने अधिक अध्यादेश जारी किये गये हैं। हर छोटी मोटी बात को लेकर अध्यादेश जारी करना उचित नहीं होता है। कर लगाने के लिये अध्यादेश जारी करना बहुत ही आपत्तिजनक बात है। फिर इन करों का बोझ गरीब जनता पर पड़ेगा। अतः इन करों के स्थान पर ऐसे कर लगाये जाने चाहिये जिनका बोझ धनवान वर्ग पर पड़े। यह हैरानी की बात है कि बंगला देश के शरणार्थियों का नाम लेकर ये कर लगाये जा रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है। हमें युद्ध करके एक सप्ताह के भीतर बंगला देश को आजाद करा लेना चाहिये। उसके बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी आजाद करवा कर पाकिस्तान को हमेशा के लिये सबक सिखा देना चाहिये। युद्ध पर व्यय के लिये धन जमा करने वाले हर प्रस्ताव का मैं समर्थन करूंगा। इस समय कोई युद्ध नहीं चल रहा है और गरीबों पर कर लगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

Shri Ram Kanwar (Tonk) : I oppose the proposed increase in railway fare. The passengers who travel in class III have to face many hardships. Government have not taken any steps to remedy the situation.

It has been observed that big officials exploit class IV employees of Railways. They are being suppressed. No body listens to their genuine grievances which they often make.

The people of Tonk constituency have been demanding a railway line in a thirty to forty miles of land since 1952 but Government is not paying any attention towards it. I request the hon'ble Minister to take steps to lay a railway line there.

Before concluding I would again request that the proposed increase in the railway fares in respect of class III passengers should be withdrawn.

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : मैं रेलवे किराये पर कर लगाने सम्बन्धी इस विधेयक का समर्थन करता हूं। रेलवे के किराये में वृद्धि और इन करों में अन्तर है। यह वृद्धि अस्थाई है और इसका लाभ बंगला देश से आये लाखों लोगों को पहुंचेगा।

मुझे इस बात की हैरानी है कि जो लोग इन अभागे लोगों के कष्टों पर आंसू बहाया करते थे, वे आज इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इस कार्यवाही का विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिये। यह भी कहा गया है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ेगा। आज देश में जैसी स्थिति है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस करना चाहिये कि वह राष्ट्र के लिये और लाखों विस्थापित लोगों के लिये कुछ न कुछ दे रहा है। इसमें अन्याय और भेदभाव अथवा अनियमितता की कोई बात नहीं है।

सभापति महोदय : वह अपना भाषण मध्याह्न भोजन के बाद जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री विश्वनारायण शास्त्री : पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता को एक विचित्र भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति का सामना हमेशा करना पड़ता है। आसाम की जनता द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों की ओर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये। इस विधेयक में हमारे देश में आये अभागे लोगों के लाभ के लिये कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है और इस असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभा को इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर देना चाहिये।

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं माननीय सदस्यों के सुन्दर सुझावों का आदर करती हूं और मुझे आशा है कि उनके सुझाव सरकार के लिये लाभप्रद सिद्ध होंगे। मैं कर लगाये जाने के अध्यादेशों के बारे में माननीय सदस्यों के विरोध को समझती हूं। इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 123 की ओर दिलाना चाहूंगी जिसमें कहा

गया है कि संसद् के दोनों सदनों के समवेत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति परिस्थिति के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। मेरे विचार में अध्यादेशों को जारी करने के कारणों को बताना आवश्यक नहीं है।

13 दिसम्बर 1950 को पंडित नेहरू ने कहा था कि साधारणातया अध्यादेशों को जारी करना वांछनीय नहीं है। ऐसा केवल आकस्मिक अवसरों पर ही किया जाना चाहिए, जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, हमारा भी यही मत है, 19 जुलाई 1954 के अपने पत्र में भी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने यही कहा था कि एक विशिष्ट अवसर पर सरकार को परिस्थिति देख कर ही निर्णय लेना होता है। सरकार सामान्य परिस्थितियों में अध्यादेशों का सहारा नहीं लेती है। ऐसा केवल आकस्मिक स्थिति में ही किया जाता है।

यह कहा गया है कि अतीत में कर लगाने हेतु अध्यादेशों को कभी जारी नहीं किया गया है, वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है, खनिज तेल (उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क) अध्यादेश 1958, चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) अध्यादेश 1959, भारतीय टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश 1965 आदि इस बात के उदाहरण हैं कि इससे पहले भी कराधान हेतु अध्यादेशों का सहारा लिया गया था, कहने का तात्पर्य यह है कि विशेष अवसरों पर ऐसी कार्यवाही करनी ही पड़ती है जब कि सामान्य समय में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है।

यह कहा गया है कि कराधान का भार तीसरी श्रेणी के यात्रियों पर पड़ेगा और हमें आम जनता के ऊपर ऐसा बोझ नहीं डालना चाहिए। सरकार समाजवाद पर आधारित समाज की वकालत करती है। मैं आम जनता के नाम पर फैलाये जा रहे भ्रम को दूर करना चाहती हूं। हमें यह जानना चाहिए इस निर्धन देश में 75 से 80 प्रतिशत जनता साधारण वर्ग में आती है। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहती हूं कि जब बेघरबार शरणार्थियों को आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में शरण लेनी पड़ी तो क्या वहां की आम जनता ने उनके भोजन, वस्त्र, आवास मेंअ पना योगदान नहीं दिया है ? क्या वहां की आम जनता स्वेच्छा से इस भार को वहन नहीं कर रही है ? हम यहां ऐसी बातें क्यों करते हैं जिससे जनता का मनोबल गिरता है ? चाहे मूल्यों में वृद्धि हो या राशन व्यवस्था लागू को गयी हो उसमें आम जनता ने कभी भी अपना असंतोष प्रकट नहीं किया है। मैं यह समझ नहीं पा रही हूं कि इस सभा के सुसंस्कृत शिक्षित सदस्य ऐसा भय क्यों रख रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आप 8.62 करोड़ रुपये की कर की बकाया राशि को क्यों नहीं वसूल करते हैं जिसका 92 प्रतिशत भाग निगमित क्षेत्र में है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी नीति पुनःनिर्धारण करने की आवश्यकता है। हमें अपने इस प्रयास में माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। इस समय में मैं यह बताना चाहूंगी कि किस प्रकार रेलवे किराये में वृद्धि सामान्य जनता को प्रभावित करेगी।

जहां तक तीसरी श्रेणी के किराए का सम्बन्ध है, 100 किलोमीटर तक के किराये 2 रुपये 65 पैसे में यह वृद्धि 15 पैसे है, 500 किलोमीटर तक के किराये 12 रुपये 50 पैसे में यह वृद्धि 65 पैसे है। 100 किलोमीटर तक के किराये 22 रुपये में यह वृद्धि 1 रुपये 10 पैसे है और 4000

किलोमीटर तक के किराये में यह वृद्धि 3 रुपये 65 पैसे है। 1 रुपये से कम किराये में कोई कर नहीं लगाया गया है।

इसी प्रकार मेल रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में 100 किलोमीटर के किराये 3 रुपये 50 पैसे में यह वृद्धि 20 पैसे है, 500 किलोमीटर के किराये 16 रुपये 30 पैसे में यह वृद्धि 80 पैसे है और 1,000 किलोमीटर के किराये 28 रुपये 50 पैसे में यह वृद्धि 1 रुपये 45 पैसे है। 4,000 किलोमीटर के किराये 85 रुपये 45 पैसे में यह वृद्धि 4 रुपये 25 पैसे है। वातानुकूलित रेलगाड़ियों के किराये में जो वृद्धि की गई है वह स्वभावत: कुछ अधिक की गई है। इसके अतिरिक्त 53.8 प्रतिशत यात्रियों को इस कर से छूट दी गई है। चूंकि तीसरी श्रेणी के यात्रियों से आय का लगभग 80 से 88 प्रतिशत प्राप्त होता है। इस प्रकार 77 प्रतिशत यात्रियों को इससे छूट मिलेगी।

यह सुझाव भी दिया गया है कि तीसरे दर्जे के किराये को इस कर से छूट मिलनी चाहिए। इस बारे में हमें वास्तविकता से आंखें नहीं मूंदना चाहिए, हमारी विकासशील अर्थ व्यवस्था है और हमें योजनाओं को पूरा करना है। अतएव करों की वृद्धि अपरिहार्य है, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो विकल्प के तौर पर हमें ऐसी वस्तुओं पर कर लगाना पड़ेगा जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा जिसे हम अभी इससे दूर ही रखना चाहते हैं। हम करों द्वारा आय को बढ़ाना चाहते हैं और साथ में यह भी चाहते हैं कि उत्पादन पर इसका प्रभाव न पड़े। सीमा पर उपस्थित चुनौतियों का सामना करते समय हम उत्पादन तथा आर्थिक विकास में वृद्धि करना चाहते हैं। माननीय सदस्यों द्वारा सुझाये गये वस्तुओं पर कर लगा कर उत्पादन को प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

जहां तक अध्यादेश को क्रियान्वित करने की तिथि का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही बता दिया है कि यह संयोग मात्र है। संसद की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि हमें बंगला देश के शरणार्थियों के लिये धन की भारी आवश्यकता है।

मैं विभिन्न करों के लगाये जाने से प्राप्त संभावित आय का ब्यौरा देना चाहूंगी। डाक की वस्तुओं से प्रति दिन 3,58,000 रुपयों की, समाचार पत्रों से 1.4 लाख रुपयों की, डाक टिकटों से 5.75 लाख रुपयों की, अन्तर्देशीय विमान यात्रा से 70,000 रुपयों की आय होगी। इस प्रकार प्रतिदिन प्राप्त होने वाली आय लगभग 12 लाख रुपये होगी।

इस विधेयक को संसद की दोनों सदनों में पारित होना है और फिर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है। तत्पश्चात कतिपय प्रारम्भिक कार्यवाही की जायेगी। हमें 70 करोड़ अतिरिक्त डाक टिकटों की आवश्यकता होगी और जब तक नासिक स्थित मुद्रणालय में ये छापे नहीं जायेंगे तब तक हम इन्हें विभिन्न स्थानों में नहीं भेज सकेंगे। विशेषकर खजानों में जहां इनकी अत्यन्त आवश्यकता है, विधेयक को केवल पारित करने से ही काम नहीं चलेगा। इसके लिये समय की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिन 12 लाख रुपयों की हानि होती है तो एक महीने में यह राशि बढ़ कर 1 करोड़ रुपये हो जायेगी।

जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, मैं यह नहीं कहती कि माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोप झूठे हैं, हम जानते हैं कि रेलवे में कई सुधार करने की आवश्यकता है और रेलवे इस दिशा में अपेक्षित कार्यवाही करेगी, रेलवे मंत्री महोदय माननीय सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करेंगे। इस बारे में दो मत नहीं हैं कि रेलवे की कार्य प्रणाली में सुधार अपेक्षित है, हमें पुनरीक्षि

किराया सभी स्टेशनों पर लागू करना है तथा इनका प्रकाशन भी करना है। हमें इन अध्यादेशों का सहारा इसलिये लेना पड़ा ताकि व्यापक प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्रियों पर इन करों को लगाया जा सके। मैं सभा को यह बता देना चाहती हूं कि रेलवे इस प्रकार के कार्य में 3 से 5 प्रतिशत चुंगी वसूल करता है परन्तु अब वह 1 प्रतिशत से अधिक नहीं करेगा।

घुड़दौड़ों, लाटरी के टिकटों, होटलों आदि पर कर लगाने के जो सुझाव दिये गये हैं, उनके बारे में मेरा यह कहना है कि राज्यों ने अपनी विधायी क्षमता के अनुसार कतिपय कार्यवाहियां की हैं और उन्होंने कर भी लगाये हैं, ऐसे राज्यों के नाम बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं मेरे पास इस समय पूर्ण ब्यौरा नहीं है परन्तु मैं इतना कह सकती हूं कि सब इस बात से सहमत हैं कि हमें संसाधनों की आवश्यकता है।

यह कहा जा रहा है कि इस कार्यवाही से 560 करोड़ रुपये की मांग किस प्रकार पूरी हो सकेगी। यह सीमित कार्यवाही है परन्तु हमें ऐसे साधनों को खोजना पड़ेगा जिससे इस प्रशंसनीय कार्य के लिये धन की आवश्यकता पूरी हो। विदेशों से हमें लगभग 55 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। हमें अन्ततः स्वयं ही इस संकट का सामना करना पड़ेगा।

सरकार ने स्वयं मितव्ययिता के लिये कतिपय कार्यवाहियां की हैं जिनसे लगभग 50-59 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। बचत बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। चौथी योजना में हम बचत का लक्ष्य, जो 759 करोड़ रुपये है, पार कर जायेंगे, यह प्रयास किया जा रहा है कि बचत की राशि 1000 करोड़ तक पहुंच जाये। आय कर की बकाया धनराशि वसूल करने के लिये भी प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

विपक्षी दलों को भय है कि सरकार की यह कार्यवाही राजनीति से प्रेरित हैं, जनसंघ के माननीय सदस्य ने इसे जन विरोधी बताया है, लोक सभा के गत चुनावों में विरोधी दलों के संयुक्त मोर्चे को करारी हार मिली थी और हमें बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन प्राप्त हुआ था। उनका आरोप कितना सच है, यह उन्हें ही और जनता ने विचारना है। मार्क्सवादी साम्यवादी दल के बारे में मेरा यह कहना है उन्हें अपने घर में फैली अव्यवस्था को ठीक करना चाहिये, हम केवल उनके सलाह पर नहीं चल सकते हैं क्योंकि हमने उनका परिणाम देखा है, एक माननीय सदस्य श्री सरजू पाण्डेय ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य जनता की जेब ही काटना है, यदि ऐसी बात होती तो आज हम यहां नहीं होते। सरकार कथनी और करनी में अन्तर नहीं रखती है।

यह कहा गया है कि इस प्रकार की कार्यवाही न श्री लाल बहादुर शास्त्री के समय और न इससे पहले की गई है, मैं यह बता देना चाहती हूं कि उनके समय में ऐसी शरणार्थी समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी जैसी आज हमारे समक्ष है, इस समस्या का हमें तत्काल निदान करना है, हमने जो कार्यवाही की है वह अस्थायी है और बंगला देश की समस्या के हल होने पर आधारित है।

यह कहा जाता है कि सरकार गरीबों की चिन्ता नहीं करती है, मैं यह बता देना चाहती हूं कि हाल ही में सलेम में एक विशाल इस्पात कारखाने की आधार शिला रखी गई थी। इससे निर्धन व्यक्तियों को बड़ी सहायता मिलेगी और उन्हें रोजगार मिलेगा, राज्यों द्वारा जमा से अधिक राशि निकालने की बात कही गई है, वे स्वयं इस बात का हाल जानते हैं। हमने उन्हें वित्तीय नुशासन में रहने की सलाह दी है।

कर लगाये जाने से इनको वसूल करने में व्यय बढ़ जाने की बात कही गई है जिससे वसूली अधिक नहीं होगी । मैं यह कहती आ रही हूं कि कर वसूल करने का व्यय केवल 1 लाख रुपये आयेगा जो अधिक नहीं है ।

अन्त में मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस विधेयक का समर्थन किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बाजपेयी का सांविधिक संकल्प मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्तूबर, 1971 को प्राख्यापित रेल यात्री भाड़ा अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 17) का निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल भाड़े पर कर के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे ।

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त का खण्ड 2 के लिये एक संशोधन है परन्तु संविधान के अनुच्छेद 274 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश अपेक्षित है जो उन्होंने नहीं लिया है अतएव उस पर विचार नहीं होगा । इसके अतिरिक्त और कोई संशोधन नहीं है । मैं खण्ड 2 सभा में मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा का संशोधन भी उपरोक्त कारण के समान अस्वीकृत किया गया है । मैं अब खंड 3 सभा के मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न है :

कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill.

खंड 4 से 8 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 4 to 8 and the Schedule were added to the Bill.

खंड 1

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 1 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided.

पक्ष में 89	**विपक्ष में** 26
Ayes 89	**Noes** 26

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

डाक वस्तुओं पर कर अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और डाक वस्तुओं पर कर विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE : TAX ON POSTAL ARTICLES ORDINANCE AND TAX ON POSTAL ARTICLES BILL

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : I beg to move that this House disapproves of the Tax on Postal Articles Ordinance, 1971 (Ordinance No. 18 of 1971) promulgated by the President on the 22nd October 1971.

The Hon. Minister has stated that the purpose of the Bill is to mobilise some additional resources for Bangla Desh refugees. It is my submission that the problem of Bangla Desh belongs to the whole country and our sympathy goes to them. Everyone agrees that all possible help should be given to the Government in this respect. The whole nation came to the help of the Government at the time of war in 1965. But we oppose the way of taxation which the Government have adopted.

The ordinance was promulgated on October 22 and House was to meet on November 15. The Government could not wait for a few days more. We are not opposed to the proposal of collecting money for urgent requirements. But the proper course would have been to have waited for a few days and bring the matter before the Parliament. The House is aware of the fact that even after November 15th Government failed to ensure availability of additional postage stamps.

Mr. Deputy Speaker, Sir, the Government have said that these taxes are of a temporary nature and are not permanent. The distinction Government makes between permanent and temporary is very vague. Sometimes the proposition which is called temporary proves to be long lasting. In the beginning the refugee problem was considered to be temporary and it was said that they will go back within 6 months. But the way the taxes are collected through ordinances and the manner in which estimate is made for a year or so shows that the problem would continue for a longer period.

As regards Post cards, the Government Department is incurring in losses, cost of production per post card is more than the price at which it is sold, the effect of this levy would be that more and more post cards would be used and the consumption of other items would go down. This additional duty would bring further pressure on post cards and the Government would suffer more losses. But no mention to this effect has been made here.

Clause 4 provides that the Government, by notification, can reduce or remit prospectively or retrospectively, the taxes payable under this act in respect of Postal articles. Now it is not understood how the Government can do it retrospectively ? How the Government would return the amount ? The provision, therefore, is of no use here. It has been provided here simply to confuse and mislead the people. The Government should reconsider this provision.

I fail to understand why clause 1 of the Bill is not made applicable to the State of Jammu and Kashmir. This problem is the problem of whole of the country and the State of Jammu and Kasemir should not be excluded from sharing the burden. The problem is taking a permanent posture and it should be solved by the nation as a whole including Jammu and Kashmir.

Postal articles and reading of newspaper has been made costlier which is not proper. The policy of imposing taxes through ordinances is not proper. The Government should avoid adopting such policies.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय डाक वस्तुओं पर कर के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

12 अक्तूबर, 1971 को राज्यपालों तथा मुख्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् बंगलादेश के शरणार्थियों को राहत देने के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये गये। पोस्टकार्ड तथा डाक से भेजे जाने वाले समाचार-पत्रों के अतिरिक्त डाक की सभी वस्तुओं पर पांच पैसे प्रत्येक वस्तु पर बढ़ाने के लिये एक अध्यादेश जारी करना भी ऐसे कदमों में से एक है।

15 नवम्बर से जो कर लागू किये गये हैं उनसे पूर्ण वर्ष में 10 करोड़ तथा चालू वर्ष में 3.75 करोड़ रुपये की राशि बंगलादेश के शरणार्थियों की सहायता के लिये उपलब्ध हो सकेगी। समाज के दुर्बलवर्ग पर बोझा न पड़े इसलिये पोस्टकार्डों पर कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया हैं। रक्षा सेनाओं द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों, हरे रंग के लिफाफों, तथा एक माह में 30 रुपये तक के मनीआर्डर भेजने पर से छूट दी गई है। यह कर डाक वस्तुयें खरीदते समय डाक अधिकारियों द्वारा वसूल कर लिया जायेगा अतः इसके एकत्र करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

अध्यादेश जारी करके कर लगाने के निम्नलिखित कारण हैं।

उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था और सामान्य जनता को 15 नवम्बर से विशेष डाक टिकट उपलब्ध कराने थे। इस तिथि से पहले ही कर एकत्र करने के लिये अन्य प्रशासनिक प्रबन्ध भी करने थे। अतः जनता को असुविधा न हो इसलिये उपरोक्त कदम उठाया गया।

अध्यादेश का स्थान लेने के लिये जो विधेयक लाया गया है, उसे सर्वसम्मत्ति से स्वीकार किया जाये क्योंकि कराधान एक प्रंशसनीय उद्देश्य के लिये किया गया है।

श्री टी० एस० लक्ष्मणन (श्रीपरेम्बदूर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के वाद विवाद में भाग लेने का मेरा प्रथम अवसर है और इस चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया गया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सदन ने अभी अभी रेल यात्री किराया विधेयक पास किया है इससे निश्चय तीसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों पर प्रभाव पड़ेगा। अन्तर्सत्रावधि में कराधान को लेकर जो तीन अध्यादेश जारी किये गये हैं उनसे 70 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध हो सकेगी। परन्तु डाक सम्बन्धी वस्तुओं से कर के रूप में कितनी राशि उपलब्ध होगी, यह नहीं बताया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह कराधान अस्थायी है अथवा स्थायी।

डाक वस्तुओं-अन्तर्देशीयपत्र, मनीआर्डर आदि पर कर लगाने से निर्धन जनता पर बोझ बढ़ेगा। एक ओर रेल किराया बढ़ा दिया गया है, डाक टिकटों के मूल्य बढ़ा दिये गये हैं, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर राज्य सरकारों ने भी अध्यादेश जारी करके कर लगाये हैं। यदि केन्द्र सरकार अपने प्रशासनिक व्यय को कम करने का सच्चा प्रयास करती, तो बिना कोई कर लगाये ही 70 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध हो सकती थी और निर्धन जनता पर भार नहीं पड़ता।

उदाहरण के लिये दिल्ली क्षेत्र में ही टेलीफोन शुल्क का कई लाख रुपया बकाया है। पूरे देश में इस विषय के अन्तर्गत कई करोड़ रुपये की राशि बकाया होगी। दूसरे डाक जीवन बीमा की प्रीमियम दर जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दर के अनुसार की जा सकती थी। डाक जीवन बीमा की

प्रीमियम दर बहुत कम है। अन्तर्देशीय पत्रों के मूल्य बढ़ाने के स्थान पर विदेशों को भेजी जाने वाली डाक के मूल्य बढ़ाये जा सकते थे। इससे आवश्यक राशि प्राप्त हो जाती।

लोक लेखा समिति ने अपने 112 वें प्रतिवेदन में बताया है कि वर्ष 1968-69 में डाक विभाग की 6.16 करोड़ रुपये की हानि हुई तथा वर्ष 1969-70 में 7.06 करोड़ रुपये की। तार विभाग को वर्ष 1968-69 में 6.71 करोड़ रुपये की हानि हुई तथा वर्ष 1969-70 में 6.86 करोड़ रुपये की वर्ष 1970-71 में डाक-तार शुल्क बढ़ा देने के बावजूद भी डाक विभाग को 2.72 करोड़ रुपये की। तथा तार विभाग को 7.16 करोड़ रुपये की हानि हुई। 1.10.69 को टेलीफोन शुल्क की बकाया राशि 3.22 रुपये थी तथा 1.7.70 को यह बकाया राशि 6.78 करोड़ रुपये थी। टेलीफोन शुल्क की कुल बकाया राशि में से 50 प्रतिशत सरकारी विभागों को भुगतान करना होता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि डाक-विभाग का कार्य संतोषप्रद है। यदि डाक-तार विभाग के कार्य-करण को ठीक करने के लिये कदम उठाये गये होते तो यह हानि न होती और इस समय ये कर लगाने की आवश्यकता न पड़ती। यदि 1.7.70 को टेलीफोन की जो बकाया राशि थी यदि उसे वसूल कर लिया गया होता तो भी वर्तमान समय में इन करों के लगाने की आवश्यकता न पड़ती। मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे कम से कम इस समय ऐसे उपाय करें कि अगले वर्ष कर लगाने की आवश्यकता न पड़े। कृषक तो सरकारी देय राशि का भुगतान कर देते हैं परन्तु धनी व्यक्तियों पर ऐसी राशियां बकाया रहती हैं। सरकार को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये तथा बकाया राशि की वसूली करनी चाहिये।

अन्त में मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि अन्तर्देशीयपत्रों तथा लिफाफों पर लगाये गये कर वापस लिये जायें जिससे निर्धन व्यक्तियों को कठिनाई न हो।

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : सदन में बताया गया है कि शरणार्थी समस्या देश के लिये एक अस्थायी समस्या है। अत: केन्द्र सरकार को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये थी कि वर्तमान कानून मूलत: एक वर्ष के लिये है और यदि आवश्यकता होगी तो इसे दो वर्ष के लिये और बढ़ा दिया जायेगा। परन्तु विधेयक में ऐसा नहीं बताया गया है इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि शरणार्थी समस्या देश के लिये स्थायी समस्या बन जायेगी।

दूसरे जब देश के सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र शरणार्थी समस्या को भार उठा रहे हैं तब जम्मू और काशमीर को इस भार से वंचित रखना उचित नहीं है। जम्मू और काशमीर को भी इस समस्या का भार वहन करने में साम्मिलित किया जाना चाहिये। यदि ये दो संशोधन मान लिये जायें तो हम विधेयक का समर्थन कर सकते हैं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : It has already been stated by other members that the ordinances containing taxation proposals, particularly when Parliament was to meet very shortly, is unfair and improper. This kind of procedure would reduce parliamentary democracy to a mockery. Ordinarily I am not opposed to ordinances if they are to hit the capitalists, the rich people and not the middle and lower middle classes. This ordinance has unduly burdened the poor people, middle and lower middle class people. Therefore, I oppose the Bill.

It is true that the Government needs money for providing relief to the refugees but they should see that the poor people are not adversely affected. Taxes should have been imposed on imported liquor, on capitalists and monopolists who are accustomed to use such liquor. The Government

could have collected more money by imposing taxes on capital and dividends of those rich people who have amassed a lot of black money and are leading a luxurious life and spending money on all kinds of entertainments.

The Government have failed to realise the huge arrears of income Tax amounting to crores of rupees. Strict measures should be taken to realise these arrears.

There is growing a feeling among the common men that these refugees are a burben on them. We should not allow such feelings to grow by imposing taxes on common people and such a feeling can only be checked by taxing the rich and the capitalists.

Mr. Deputy Speaker, Sir, we oppose this Bill and request the hon. Minister to withdraw it so that the common people may not be adversely affected.

Shri Ramkanwar (Tonk) : It is really surprising that the President, on one hand asked the House to meet and on the other hand, imposed a taxation burden on the people. This clearly shows that this supreme body has been bypassed and treated in a cavalier fashion. Heavens would not have fallen if the Government had waited for a fortnight and brought a supplementary budget before this House.

The provision of affixing a special 5 paise stamp on postal articles would cause difficulty to the poor and uneducated people in the villages. The provision is confusing for them and it should not be supported.

The Government have indicated that such stamps would be withdrawn after the problem of Bangla Desh refugees is solved. But I do not expect this withdrawal because the revenue was realised in Rajasthan despite its withdrawal.

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj) : As it has already been stated by other members, it appears that the ruling party does not pay due recognition to the House and to the representatives of the people. It is unfair to promulgate ordinance in this period of crisis. I would like to remember the Government that in U. K. their Government did not impose any tax through ordinance even in war time.

The problem of refugees is not new to the nation. The only solution of the problem is to form a confederation of both these countries.

उपाध्यक्ष महोदय : हम शरणार्थियों अथवा किसी संघ के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा करों पर चल रही है।

Shri Ram Deo Singh : I am talking of the problem for which taxes have been imposed. These taxes have adversely affected common people residing in villages. It is wrong to tax the poor people who do not have sufficient to eat, who do not have adequate resources to educate their children, who are unable to provide medicines for the ailing family members. The Government should have taken recourse to some other methods of raising resources. The taxes already imposed have not so far been collected. Had Government activized its agencies in this field, it would not have been necessary to impose fresh taxes.

I am opposed to imposition of Taxes through Ordinances, therefore I oppose the Bill.

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मैं इस विधेयक का विरोध पहले तो इस कारण से करता हूं कि अध्यादेश द्वारा कर लगाया है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। दूसरे इस कारण कि

शरणार्थियों के लिए यह कर लगाया गया है। इस प्रकार शरणार्थियों को जो हमारे मेहमान हैं, जनता के ऊपर बोझ सिद्ध किया गया है ऐसा नहीं होना चाहिए। यह व्यय हमें सामान्य राजस्व से पूरा करना चाहिए।

मैं समझता हूं कि यह 70 करोड़ रुपया विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में मितव्ययिता करके इकट्ठा किया जा सकता है। इस विधेयक के द्वारा हमने सबसे गरीब लोगों पर कर लगा दिया है। यह कहा गया है कि यह कर शरणार्थियों के वापिस जाने के बाद समाप्त कर दिया जायेगा। पर इन शरणार्थियों के कब तक वापिस जाने की सम्भावना है? पहले यह विचार था कि विश्व मत याह्या खां को मजबूर करेगा फिर सरकार का विचार था कि मुक्तिवाहिनी लड़ाई जीत लेगी और शरणार्थी वापिस चले जायेंगे। पर मुक्ति वाहिनी अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत सकती। इसलिए यह सबसे उचित समय है कि हम बंगला देश में अपनी फौज भेजें और वहां एक सरकार कायम करें जिससे कि शरणार्थी वापिस जा सकें। अतः सरकार को अब बंगला को मान्यता दे देनी चाहिए तथा वहां लड़कर उसे अस्तित्व में लाना चाहिए जिससे कि ये कर न लगाने पड़ें।

श्री के० आर० गणेश : हम इस समय बहुत ही असाधारण परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और वे परिस्थितियां निरन्तर बनी हुई हैं। जैसा कि कल प्रधान मंत्री ने बताया, पाकिस्तानी सैनिक प्रशासकों ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी है। और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहते कि स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए कोई उचित कदम न उठाया जाये।

यह कहा गया कि जब संसद का सत्र 15 नवम्बर से होने वाला था तब यह अध्यादेश क्यों जारी किया गया। इस सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि सीमाओं पर गम्भीर स्थिति पैदा होने तथा बंगला देश से शरणार्थियों के आने के कारण हम पर जो भारी वित्तीय भार आ पड़ा है, उसको सहन करने के लिये 12 अक्तूबर को हुए मुख्य मंत्रियों तथा राज्यपालों के सम्मेलन में संसाधन जुटाने का निर्णय किया गया था। संसाधन जुटाने में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें विश्वास में लेना आवश्यक था। सम्मेलन में हुए मतैक्य के आधार पर ही ये आवश्यक कदम उठाए गये थे।

भूत काल में भी हमने बैंकों, बीमा आदि का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अध्यादेश जारी किए हैं। और भारत जैसे विकास शील देश में जबकि हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं तथा समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं तब कभी-कभी प्रारम्भ में अध्यादेश के द्वारा कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है जिसे बाद में संसद द्वारा अनुमोदित कराना पड़ता है। ऐसी गम्भीर और असाधारण स्थिति में अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया तथा उसके औचित्य को सिद्ध करना संसद का काम है और वही इसका अन्तिम निर्णय कर सकती है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब संसद का अधिवेशन 15 नवम्बर से आरम्भ होने वाला था तब अक्तूबर में ही अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी। जहां तक डाक दरों पर कर लगाने का सम्बन्ध है उसके लिए पहले ही से कुछ प्रशासनिक प्रबन्ध करने आवश्यक थे। 200 करोड़ टिकटों को छाप कर विभिन्न डाकघरों में बांटना था और यह निश्चय करने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए जाने थे कि सभी जगह आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है। अतः अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया। एक दिन की देरी करने का अर्थ था 12 लाख रुपये की हानि।

भारत में असाधारण स्थिति उत्पन्न होने तथा देय पर भारी वित्तीय भार आ पड़ने के कारण सरकार को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। यदि सरकार ऐसा न करती और संसाधन न जुटाती तो अपने कर्तव्य से च्युत होती। ऐसा इस कारण किया गया कि आनुषंगिक समस्याओं को हल किया जा सके और एक सीमा तक घाटे को पूरा किया जा सके।

कई सुझाव दिए गये हैं कि मितव्ययता बरती जानी चाहिए, करों की वसूली होनी चाहिये, तस्कर व्यापार को रोकना चाहिए तथा काले धन को समाप्त किया जाना चाहिए। ये सब कदम उठाए गये हैं। गैर-योजना व्यय में 5 प्रतिशत की कटौती की गई है। योजना के समूचे रूप में परिवर्तन किए बिना उसके व्यय में कमी करने की बात सोची जा रही है। पर यह बोझ बना हुआ है और इसलिए यह आवश्यक हो गया कि केन्द्र और राज्य दोनों इसमें अपना सहयोग दें जिससे कि देश की समूची ऊर्जा व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

जम्मू तथा काश्मीर को इसमें शामिल न करने पर आपत्ति उठाई गई है पर ऐसा संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण किया गया। राज्य की सहमति लेना आवश्यक था। गृह मन्त्रालय ने इस आशय का पत्र राज्य को लिखा है।

पोस्ट कार्ड और रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्रों पर यह कर इसी उद्देश्य से नहीं लगाया गया कि आम जनता पर इसका प्रभाव न पड़े। कुछ और वर्गों को इन करों के प्रभाव से मुक्त रखा जा सकता था पर इस असामान्य स्थिति में प्रत्येक संसाधन का उपयोग करना आवश्यक हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्तूबर, 1971 को प्रख्यापित डाक वस्तुओं पर कर अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 18) का निरनुमोदन करती है।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ
The Resolution was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय डाक वस्तुओं पर कर के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 3 to 6 were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 1 का एक संशोधन है।

श्री एस० एन० मिश्र अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे। अतः मैं खण्ड 1 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adoptd

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 1 was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये
The Enacting Farmula and the Title were added to the Bill

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 99	विपक्ष में 22
Ayes 99	Noes 22

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर विधेयक
STATUTORY RESOLUTION RE. INLAND AIR TRAVEL TAX ORDINANCE AND INLAND AIR TRAVEL TAX BILL

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 30 अक्तूबर, 1971 को प्रख्यापित अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अध्यादेश 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 19) का निरनुमोदन करती है।"

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

हवाई यात्रा अब आराम और आसाईश की बात नहीं रह गई है पर एक उपयोगी सेवा हो गई है। संसार में सब जगह हवाई किराया दरें घट रही हैं जिससे कि इसे और अधिक सुलभ बनाया जा सके। हम चाहते हैं कि हवाई सेवा सबके लिए सुलभ हो और उसके किराये कम किए जायें पर इसके विपरीत वह और अधिक अलभ्य होती जा रही हैं। हवाई यात्रा की दरें कुछ वर्ष पहले ही बढ़ाई गई थीं और अब फिर शरणार्थियों की आड़ लेकर इस पर पांच प्रतिशत कर लगाया गया है।

यदि सरकार संसद के अधिवेशन की प्रतीक्षा कर लेती तो कोई पहाड़ न टूट पड़ता। अध्यादेश जारी करना सरकार का विशेषाधिकार है पर इसका उपयोग संकोच के साथ करना चाहिए, अक्सर नहीं।

यह सही है कि हमें शरणार्थियों के साथ सहानुभूति है। पर यह हमारी स्वयं की कृति है। जो कुछ अब हुआ उसका अनुमान 1947 में लगा लिया जाना चाहिए था। फिर शरणार्थी तो आते ही रहे हैं। यदि पहले थोड़े-थोड़े आते थे तो अब बाढ़ के समान आए हैं। इसलिए इस अध्यादेश के लिए शरणार्थियों की आड़ नहीं लेनी चाहिए।

इस कर से केवल 94 लाख रुपये इस वर्ष और 2.5 करोड़ रुपये अगले वर्ष इकट्ठे किये जा सकेंगे। जबकि 500 करोड़ के बकाया कर, और कर वसूल करने में रहने वाली ढील, तथा अनावश्यक खर्चों को देखते हुए हम अनुभव करते हैं कि यह कर परिहार्य था। यदि केवल कर की वसूली ही ठीक प्रकार की जाये तो भी 2.5 करोड़ रुपया आसानी से इकट्ठा किया जा सकता हैं।

अपनी शासन व्यवस्था को सुधारने के बजाय सरकार ने हवाई यात्रा पर अतिरिक्त कर लगा दिया। इसके कारण हवाई यात्रा साधारण जनता के लिए और दुर्लभ हो जायेगी। इसी कारण मैं इस कर का विरोध करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अन्तर्देशीय हवाई यात्रा पर कर के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

12 अक्तूबर, 1971 को हुए राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में शरणार्थियों के खर्च के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर चर्चा की गई थी और यह तय किया गया था कि केन्द्र और राज्य अपने अपने कराधान क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधन जुटाएंगे।

रेल किराए पर कर लगाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। अतः अन्तर्देशीय हवाई यात्रा पर भी पांच प्रतिशत का कर लगाने का निश्चय किया गया। इससे सरकार को वर्ष भर में 2.5 करोड़ रुपये तथा चालू वर्ष में 94 लाख रुपये मिलेंगे।

संसद् का अधिवेशन न होने तथा संसाधनों को जुटाने में देरी करने से हमारे इस कार्य में बाधा पड़ने की आशंका के कारण इस कर को अध्यादेश के द्वारा लगाना आवश्यक हो गया। यह विधेयक इसी अध्यादेश की जगह लेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर सभा में विचार किया जाये ।

****श्री एम० के० कृष्णन** (पोन्नानी) मैं और मेरा दल अध्यादेश के विरुद्ध नहीं हैं । पर विचाराधीन अध्यादेश के सम्बन्ध में मैं एक-दो बातें कहना चाहूंगा । यह कहा गया है कि यह कर बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लगाया गया है ।

मैं इस तर्क को नहीं मानता कि देश में असाधारण स्थिति पैदा होने के कारण अध्यादेश जारी करना पड़ा । वास्तविकता यह है कि यह स्थिति एक दो दिन की नहीं है वरन् यह स्थिति पिछले आठ-नौ महीने से चली आ रही है । अत: इस कर को लगाने के लिए अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी ।

यह कहा गया है कि और धन इकट्ठा करने के सम्बन्ध में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने में समय लगता है । पर यह अध्यादेश तब लागू किया गया जबकि संसद के अधिवेशन के लिए समन जारी किए जा चुके थे । सरकार ने इस प्रकार इस सभा के सम्मान को ठेस पहुंचाई है ।

केन्द्र और राज्य दोनों में इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी किए गये हैं । इन अध्यादेशों पर इस सदन में भी चर्चा होगी । यह एक बड़ी ही असाधारण स्थिति होगी जिसका कि हम इस सदन में सामना करने जा रहे हैं ।

शरणार्थियों के लाभ के लिए 66 लाख गरीब रेल यात्रियों पर कर लगा दिया गया है । इसके बजाय सरकार 66 करोड़पतियों पर कर क्यों नहीं लगाती ? हवाई यात्रा अधिकतर नौकरशाही लोग करते हैं और उससे सरकार को कुछ मिलना नहीं है क्योंकि वहां तो केवल पैसे का लेखा समंजन होता है ।

अत: जिस प्रकार अध्यादेश प्रस्थापित करके ये कर लगाये गये हैं मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : आरम्भ में ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसके माध्यम से ऐसे लोगों पर कर लगाया गया है जो कि इसे देने में समर्थ हैं । इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान दो महत्वपूर्ण बातों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

प्रथम बात तो यह है कि मंत्री महोदय ने बताया है कि पहले मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और उसके बाद में अध्यादेश प्रख्यापित किये गये । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि मुख्य-मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था तो यह बात जम्मू तथा कश्मीर के मुख्य-मंत्री के समक्ष क्यों नहीं रखी गई थी, ताकि करों के सम्बन्ध में उस राज्य को बाहर न रखा जाता । स्वर्गीय पंडित नेहरू ने भी यह विश्वास दिलाया था कि संविधान के अनुच्छेद 370 को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जायेगा परन्तु आज 25 वर्षों के बाद भी यह कार्य पूरा नहीं किया गया । मैं समझता हूं कि शरणार्थियों के भार को सभी राज्यों को समान रूप से वहन करना चाहिए । केन्द्र सरकार को जम्मू तथा कश्मीर के मुख्य-मंत्री पर यह कर स्वीकार करने के लिये दबाव डालना चाहिये था ।

**मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malyalam.

दूसरी बात यह है कि श्रीमती सुशीला रोहतगी ने यह आश्वासन दिया है कि यह विधेयक एक अल्पकालीन उपाय है। यदि वास्तव में यही बात है तो इसका कुछ उल्लेख विधेयक में भी किया जाना चाहिये था कि आरम्भ में यह विधेयक एक वर्ष के लिये है तथा बाद में इसकी अवधि बढ़ायी जा सकती है। इस प्रकार के उल्लेख से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : सभापति महोदय, सदन के अनुमोदन के लिये जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि यह पहला अवसर है जबकि धनी लोगों पर कर लगाया गया है या ऐसे लोगों पर कर लगाया गया है जो इसे अदा कर सकते हैं, परन्तु इसके साथ ही मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इससे सरकार को कितना धन प्राप्त होगा? प्रायः देखने में आया है कि जो लोग विमान द्वारा यात्रा करते हैं, उनमें से 60 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति सरकारी व्यय पर यात्रा करते हैं, वस्तुतः इसका परिणाम क्या होगा? यह तो केवल खातों में हिसाब रखने की बात ही होगी।

धनी लोगों पर कर लगाना ठीक है क्योंकि वह लोग कर अदा करने की स्थिति में हैं। परन्तु सरकार के अन्य स्रोतों से, जैसे कि काले धन की बरामदगी, धनी व्यक्तियों पर कर, व्यापार-गृहों पर कर, तथा एकाधिकारियों आदि पर कर लगा कर धन एकत्रित करना चाहिए। कराधान के इस छोटे से प्रयास से लगभग 70 करोड़ अथवा 80 करोड़ रुपये की राशि वसूल की जायेगी। परन्तु यदि पूर्व बंगाल के उन असहाय व्यक्तियों पर प्रतिदिन 2 करोड़ अथवा 3 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, तो इस स्थिति में यह राशि कितने दिन चलेगी? क्या इस सम्बन्ध में कुछ अन्य प्रस्ताव लाने के बारे में भी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है?

तीसरी बात मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वर्तमान विधेयक में असम, त्रिपुरा, कछार, मनीपुर इत्यादि के लोगों को किसी प्रकार की छूट देने की व्यवस्था की गई है क्योंकि संचार का कोई अन्य साधन न होने के कारण इन लोगों को विवश होकर विमान यात्रा करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में तो कर का प्रभाव गरीब लोगों पर भी पड़ेगा। मुझे आशा है कि सरकार उस पहलू पर विचार करेगी और इस क्षेत्र के लोगों को इस कर से मुक्त करने की व्यवस्था की जायेगी।

अब मैं दमदम हवाई अड्डे के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, वर्तमान परिस्थितियों में दमदम हवाई अड्डे में सुधार करने की अत्यधिक आवश्यकता है। गत कई महीनों से अनेक विदेशी विमान शरणार्थियों के लिये अनेक प्रकार की राहत सामग्री ला रहे हैं। परन्तु वहां के स्थानीय हवाई अड्डे पर रात को घोर अंधेरा रहता है, वहां कौंध बत्तियां बहुत कम हैं, मैं समझता हूं कि यदि वहां चार या पांच कौंध बत्तियों की व्यवस्था कर दी जाये तो उससे बहुत सहायता मिलेगी और सम्भवतः लोग भी इस कार्य की प्रशंसा करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि सदन के अन्य ग्रुप भी ऐसा ही करेंगे।

****श्री सी० चित्तिबाबू** (चिंगलपट) : सभापति महोदय, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर विधेयक सभा के समक्ष रखा है। मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

क्योंकि इसका प्रभाव केवल समाज के समृद्ध लोगों पर ही पड़ेगा। परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि इससे सरकार को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन को अधिकतर आय सरकारी अधिकारियों से होती है, और वे लोग सरकारी व्यय से ही यात्रा करते हैं। यही कारण है कि आई० ए० सी० ने सरकार से इस कर की छूट मांगी है। परन्तु अभी तक सरकार द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह मांग स्वीकार क्यों नहीं की गई। आई० ए० सी० पहले ही घाटे में जा रही है और इस कर से इसकी अर्थव्यवस्था पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा। अभी भी स्थिति यह है कि कई बार इसकी 90 प्रतिशत सीटें खाली रहती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है। मेरा विचार है कि इस बात की जांच करने के लिये सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये।

अब मैं सरकार का ध्यान कुछ क्षेत्रीय मामलों की ओर दिलाना चाहता हूं। मीनाम्बकम हवाई अड्डे पर, विमानों के आने और जाने की सूचना केवल अंग्रेजी और हिन्दी में ही दी जाती हैं। हम चाहते हैं कि मद्रास के हवाई अड्डों पर यह घोषणा राज्य की भाषा में को जानी चाहिये। मैं नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे इस अनुरोध पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० आर० गणेश : सभापति महोदय, अध्यादेश के निरनुमोदन के लिए प्रस्तावक ने इस बात पर बड़ा बल दिया है कि सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से यह कर लगा कर, संसद की उपेक्षा की है। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि हम एक असाधारण स्थिति में से गुजर रहे हैं और इस स्थिति में संसाधनों के उपयोग की बड़ी आवश्यकता है। मुख्य मंत्रियों, राज्यपालों और केन्द्रीय सरकार के बीच हुए विचार-परामर्श के फलस्वरूप ही केन्द्र और राज्यों के संसाधनों में वृद्धि करने का निर्णय किया गया है।

इस कर-विशेष के सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि प्रशासनिक आवश्यकतायें इतनी अधिक थीं कि हम इसे लागू करने में अधिक समय नहीं लगा सकते थे। आपको मालूम ही है कि विमान यात्रायें आरम्भ करने से पहले ही उनकी बुकिंग करायी जाती है। अतः यह अनिवार्य ही था कि जिन यात्रियों की सीटें पहले ही बुक की जा चुकी थीं, उनसे कर एकत्रित करने के लिए विमान कम्पनियों को समय दिया जाता। मुख्यालयों और हवाई अड्डों पर प्रशासनिक और कर्मचारियों सम्बन्धी प्रबन्ध किये जाने थे। यदि इस विधेयक के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में देरी होती तो प्रतिदिन एक लाख रुपये की हानि हो सकती थी।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। यहां यह तर्क भी दिया गया है कि जहां तक अध्यादेश के द्वारा कराधान का प्रश्न है, इस प्रकार की कोई परम्परा नहीं है। परन्तु यह कहना बिल्कुल गलत है। इसके कई उदाहरण केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पास हैं।

श्री मिश्र ने इसे जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करने के प्रश्न को उठाया है। उन्हें इस बात की जानकारी है कि अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जम्मू तथा कश्मीर पर यह विधेयक लागू करना संभव नहीं है। हां, इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा काश्मीर की सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। ज्यों ही राज्य सरकार की सहमति प्राप्त हो जायेगी, यह विधान राज्य पर लागू कर दिया जायेगा।

माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख भी किया है कि कराधान की व्यवस्था अस्थाई है परन्तु इसकी अवधि के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अवधि निश्चित करने से कई कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती थीं। अब जब भी आवश्यकता होगी, सरकार स्वयं ही अधिनियम को रद्द कर देगी। इस प्रकार यह अवधि एक वर्ष से कम समय की भी हो सकती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी पूछा है कि मितव्ययता, कर की बकाया राशि की वसूली काले धन की वसूली तस्करी की रोकने आदि के लिये सरकार कारगर कदम क्यों नहीं उठाती। मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि जब से बंगला देश का संकट हमारे ऊपर आया है तब से हम ऐसे सभी उपाय कर रहे हैं। संसाधन जुटाने के साथ साथ, कर सम्बन्धी ये जो उपाय सरकार कर रही है, ये तो अतिरिक्त प्रयास हैं। इन करों का प्रयास चूंकि समाज के धनी वर्ग पर पड़ने वाला है, इसीलिए सदन ने इसे पूरा समर्थन दिया है और मैं इसकी सराहना करता हूं।

डा० रानेन सेन : भारत के पूर्वोत्तर भाग के लोगों को इस कर से मुक्त करने के बारे में मैंने एक सुझाव दिया था।

श्री के० आर० गणेश : इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने की व्यवस्था अधिनियम में पहले ही है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 30 अक्तूबर, 1971 को प्रख्यापित अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर अध्यादेश, 1971, (1971 का अध्यादेश संख्या 19) का निरनुमोदन करती है।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ
The Resolution was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अन्तर्देशीय विमान यात्रा पर कर के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सभापति महोदय : खंड 2, संशोधन संख्या 3 और 4.

श्री एल० एन० मिश्र : मैं इन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 से 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खंड 3 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 3 to 9 were added to the Bill

सभापति महोदय : खंड 1. संशोधन संख्या 1 और 2

श्री एल० एन० मिश्र : मैं इन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 1 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
The Enacting Formula and the title were added to the Bill

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

स्टाम्प और उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और स्टाम्प और उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. STAMP AND EXCISE DUTIES (AMENDMENT) ORDINANCE AND STAMP AND EXCISE DUTIES (AMENDMENT) BILL

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : I move :

"That this House disapproves of the Stamp and Excise Duties (Amendment) Ordinance, 1971 (Ordinance No. 16 of 1971) promulgated by the President on 22nd October, 1971."

The situation is no doubt extra-ordinary but it is a man-made tragedy. The steps which should have been taken by the Government in March—April, were not taken. So this tragedy has fallen due to political misdeeds of the Government. While presenting the Budget estimates, it was stated by the Government that the provision being made was not enough. But it was anticipated that enough international aid would be forthcoming to meet the situation. But those anticipations proved wrong. When the Government was resorting to deficit financing, it could have resorted to such an action in order to meet this eventuality also. It was not at all necessary to issue ordinance for the purpose, specially when the Parliament was going to meet with effect from 15th November. The only difference would have been made applicable from 1st December instead of 15th November.

No doubt money was necessary to meet the present responsibilities, but the question arises as to whether the steps suggested in the House were taken or not. Once it was suggested by Shri Morarji Desai that if Government resorted to 10 per cent cut in expenditue of each Department there would not be any need to impose fresh taxes. Did Government take any action on this suggestion ?

This tax has been imposed on news-papers. The number of newspaper readers in our country is very less and it would further affect the number. The Finance Minister had agreed to the suggestion given by a Deputation of Small Newspaper that Newspapers with a circulation of not more than 15,000 would be excluded from the purview of this Bill. But there is no such provision in the proposed Bill.

The Government has not controlled its expenditure. Tax arrears amounting to more than 556 crores of rupees. Steps should have been taken to realise these arrears instead of imposing these levies. In order to make Government's attitude about Bangla Desh clear to foreign Government, a number of tours were undertaken by senior officials, Ministers and by the Prime Minister herself. We had our Missions abroad the services of which we could have utilized in order to make our view point clear and saved a lot of money spent on these tours.

We would have been happy to support Government measures for providing relief had this extra-ordinary situation been created by natural calamity instead of its having been man-made. I, therefore, oppose this meassure.

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 और संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

राज्यों के गवर्नरों और मुख्य मन्त्रियों की पिछली बैठक में यह निश्चय हुआ था कि बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें अतिरिक्त कर लगा कर संसाधन

जुटायें। राज्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि इस प्रकार उगाहा गया सारा धन केन्द्रीय सरकार को दिया जायेगा।

उपरोक्त फैसले के संदर्भ में ही राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्तूबर, 1971 को स्टाम्प और उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का 16वां) प्रख्यापित किया गया था। इसके द्वारा 15 नवम्बर 1971 से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाया गया है जिससे चालू वित्तीय वर्ष में 1.9 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है। इसके साथ ही समाचारपत्रों और पत्रिकाओं पर 2 पैसे की दर से उत्पादन शुल्क लगाया गया है। ऐसे समाचारपत्र व पत्रिकाएं जिनकी बिक्री 15,000 से अधिक नहीं है, उन्हें इससे विमुक्त रखा गया है। इसके द्वारा इस चालू वर्ष में 2.6 करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है।

अध्यादेश के जरिए यह कर लगाना इसलिये आवश्यक था कि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और अधिकतम संसाधन जुटाने की दृष्टि से शीघ्रतम कार्यवाही अपेक्षित थी। विधेयक का उद्देश्य—अर्थात् बंगला देश के शरणार्थियों की राहत के लिए खर्चा पूर करना, महान है, अतः मेरा अनुरोध है कि सभा इसे एकमत से स्वीकार करले।

***श्री चित्तिबाबू** (चिंगलेपुट) : माननीय मन्त्री ने विधेयक की मुख्य बातों का उल्लेख किया है।

[श्री सेझियान पीठासीन हुए
Shri Sezhiyan in the Chair]

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाये जाने का मैं समर्थन करता हूं क्योंकि यह शुल्क बंगला देश के शरणार्थियों को राहत देने के अभिप्राय से लगाया गया है। समाचारपत्रों पर जो अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है, समझ में नहीं आता कि समाचारपत्र मालिकों से यह धनराशि किस प्रकार वसूल की जायेगी। इस अवसर का लाभ उठा कर कई समाचारपत्रों ने अपना मूल्य 5-10 पैसे तक बढ़ा दिया है। इसकी भी जांच की जानी चाहिये। देश में अखबारी कागज की कमी है। समाचारपत्र अपने बिकने वाली प्रतियों की संख्या बढ़ा-चढ़ा कर दिखा कर सरकार से अखबारी कागज का अधिक कोटा प्राप्त करते हैं और फिर बाद में अखबारी कागज चोर बाजार में बेच कर धन कमाते हैं। इसकी भी रोक थाम के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिये। समाचारपत्र उद्योग को अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम की अधिकार सीमा के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये।

बड़े-बड़े समाचारपत्रों को विज्ञापनों से बहुत अधिक आय हो रही है। सरकार को चाहिये था कि समाचारपत्रों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के स्थान पर इन विज्ञापनों पर अधि-भार लगाती। उस से भी इतनी राशि प्राप्त हो सकती थी। सरकार को यह भी चाहिये था कि सरकारी उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों आदि के छपवाने पर किये जा रहे व्यय में बचत करती। इस उपाय से भी काफी धनराशि प्राप्त हो सकती है।

हमारे देश में ऐसे असंख्य लोग हैं जिनका व्यापार है लोगों को सूद पर पैसा देना। गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठा कर यह लोग अत्यधिक ब्याज लेकर धन जमा कर रहे हैं। इसी

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

प्रकार देश में असंख्य चिट-फंड कम्पनियां हैं जो जनता को लूट रही हैं। सरकार को चाहिये था कि बंगला देश के शरणार्थियों की राहत के लिए इन पर कर लगाती।

देश के छोटे समाचारपत्रों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। बड़े समाचारपत्रों के समान उन्हें न तो विज्ञापन प्राप्त होते हैं और न ही अखबारी कागज का कोटा। प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों के सामने यह कठिनाइयां विशेष रूप से हैं। मेरा मत है कि छोटे समाचारपत्रों की पाठन संख्या पर इस उत्पादन शुल्क का और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शायद कई समाचारपत्रों को इसके परिणाम-स्वरूप बंद भी होना पड़े। अतः इन सब बातों को देखते हुए 20,000 से कम ग्राहक संख्या वाले समाचारपत्रों व प्रादेशिक भाषाओं की पत्रिकाओं आदि को इस अतिरिक्त शुल्क से विमुक्त किया जाना चाहिये और 20,000 से 50,000 वाली पाठक संख्या वालों पर 1 पैसा उत्पादन शुल्क लगाया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इस विधेयक पर चर्चा के समय सूचना और प्रसारण मंत्री को भी सदन में उपस्थित होना चाहिये क्योंकि इस चर्चा में उनके मंत्रालय से सम्बन्धित अनेक बातें उठेंगी।

इस विधेयक के पहले भाग के अन्तर्गत जो 10 पैसे की व्यवस्था है वह इससे अधिक की जा सकती थी। विदेशों में बैंकों के चेक पर शुल्क लगाना पड़ता है परन्तु हमारे यहां यह व्यवस्था नहीं है। सरकार को यह धन एक महान कार्य के निमित्त चाहिये अतः इसके लिये सरकार को कोई संकोच नहीं होना चाहिये।

महालेखा परीक्षक के अनुसार करों की बकाया राशि इस समय लगभग 900 करोड़ रुपये है। परन्तु फिर भी सरकार इसकी वसूली के लिये विशेष प्रयास नहीं कर रही। बीजक कम राशि के और अधिक राशि के तैयार करने की भी समस्या है। इससे लगभग 400 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि सरकार को हो रही है। परन्तु सरकार इस समस्या को हल नहीं कर रही।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बड़े समाचार-पत्रों के मालिकों से डरती है। तभी तो विज्ञापनों पर कर लगाने का सुझाव स्वीकार नहीं किया गया। इन समाचार-पत्रों के मालिकों ने कलकत्ता में समाचारपत्रों का मूल्य इतना बढ़ा दिया कि लोग समाचार पत्र खरीदना बन्द करने को सोचने लगे। इससे अखबार बेचने वालों की रोजी पर असर पड़ता अतः उन्होंने हड़ताल कर दी। भारत में प्रेस एकाधिकार गृहों के नियन्त्रण में है और सरकार उनको प्रश्रय देती है। उच्चतम न्यायालय ने पृष्ठ-मूल्य तालिका को गैर-कानूनी करार दे दिया तो इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी किया जा सकता था अथवा कोई विधेयक फिर से प्रस्तुत किया जा सकता था परन्तु सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही।

कलकत्ता से अमृत बाजार पत्रिका नामक एक समाचार-पत्र प्रकाशित होता है। यह पत्र न्यूज प्रिन्ट को काले बाजार में बेचता है। कांग्रेस के भूतपूर्व संसद सदस्य श्री प्रेमचन्द वर्मा भी न्यूजप्रिन्ट लेते थे लेकिन पत्र प्रकाशित न करते थे। यह आपके दल की स्थिति है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस पर क्या कार्यवाही की।

अब आडिट ब्यूरो आफ सर्कूलेशन की बात लीजिये। आडिट ब्यूरो भ्रष्टाचार का अड्डा

है । बंगाली पत्र बासुमती के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये थे। 1968 में जांच की गई थी जिसका अब तक कुछ नहीं बना है ।

हर समाचार पत्र को शुरू शुरू में 10,000 प्रतियां प्रकाशित करने के लिये न्यूजप्रिन्ट दिया जाता है । इस सीमा को 20,000 तक क्यों न बढ़ाया जाय ? समाचार पत्र निगम वित्त विधेयक का क्या बना ? बड़े-बड़े समाचार पत्रों को जीवन बीमा निगम से भी सहायता मिलती है । इन पत्रों को काले बाजार के लिये न्यूजप्रिन्ट मिलता है । समृद्धि के लिये विज्ञापन मिलते हैं और जिन्दा रहने के लिये बैंकों से धन मिलता है। आज सत्तारूढ़ दल के पास विज्ञापन ही सबसे बड़ा हथियार है जिसे यह आवश्यकता पड़ने पर, जहां चाहे प्रयोग कर लेता है ।

समाचार पत्रों को दी जाने वाली राशि के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाती । मेरे चाहने पर भी मुझे यह सूचना नहीं दी गई ।

क्या यह सच है कि विज्ञापन पर 50 करोड़ रुपये के करीब व्यय किया जाता है जिसमें से समाचार पत्रों को केवल 4 प्रतिशत ही दिया जाता है । क्या यह भी सच है कि 10 बड़े-बड़े पत्रों को कुल विज्ञापन का 75 प्रतिशत जाता है ।

आकाशवाणी के कार्यक्रम सम्पूर्णतः केन्द्रीय नियन्त्रण में है । आकाशवाणी के समाचार सम्पादक दिल्ली से आदेश लेते हैं । प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो सच्चाई पर पर्दा डालकर मंत्रियों तथा सरकार के ही लिये काम करता है ।

26 अगस्त, 1969 को इस सदन में दिये गये आश्वासन के अनुसार दूसरे प्रेस कमीशन का क्या बना ?

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : There can be no second opinion about the objectives of this Bill. While doing so, the Government is inflicting a serious blow to the Commonman without tapping other source from which it can raise funds to meet the burden of refugees from Bangla Desh. Nothing has so far been done to unearth the black money amounting to 4000 crores of rupees. Apart from that, Government is also not serious about the recovery of income tax arrears. The Government should act mercilessly in preventing income tax evasion and recovering income tax arrears. It is the commonman every time who suffers from the pains of axe which fall on them at the time of financial difficulties in the country. In the present context it is the common man who has been made to bear the maximum burden by paying more railway fair, postal charges and also more for news-papers. The Government has no courage to touch the capitalists and the monopolists, who have usurped the maximum portion of the national wealth by way of tax-evasion and black money. Common people have started to realise that the regime which came into being after midterm poll has done nothing to change the economic policy with a view to improve the plight of common man.

The limit of circulation as proposed in the Bill may be raised to 30 thousand. The additional levy may be imposed on the papers having circulation above this limit. The Government has been giving advertisements to the papers of the capitalists whose policies have been painting the picture and achievements of the Ministers and the Government. I therefore, propose that the levy of 2 Paisa may be inposed on papers having a circulation of 25 or 30 thousand.

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : यह पहला अवसर है जब एक साल के अन्दर 13 अध्यादेश जारी किये गये जो स्वर्गीय श्री मावलंकार के शब्दों में प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के विपरीत हैं ।

मैं इन अध्यादेशों का जारी होना संसद का अपमान समझता हूं। मैं इन अध्यादेशों का इस लिये विरोध करता हूं कि इनके द्वारा बंगला देश शरणार्थियों के नाम पर कर लगाये गये हैं। मुझे खेद है कि अधिकांश कर दरिद्रतम वर्ग पर लगाये गये हैं। वास्तव में समाचार पत्रों पर कर लगाना, ज्ञान पर कर लगाना है।

कहा गया है कि ये कर अस्थायी रूप से लगाये गये हैं और शरणार्थियों के वापिस चले जाने पर हटा दिये जायेंगे। लेकिन शरणार्थी कब और कैसे वापिस जायेंगे ? शरणार्थियों को शीघ्र वापिस भेजने के उद्देश्य से हमें बंगला देश को मान्यता देकर पाकिस्तानी फौजों को वहां से बाहर खदेड़ना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सदन के इस ओर जो कुछ मेरे सहयोगियों ने इस विधेयक के बारे में कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। नये कर लगाकर सरकार ने सर्वसाधारण तथा गरीब के बोझ को बढ़ा दिया है। यह जन विरोधी दृष्टिकोण है और हम इसका विरोध करते हैं। हम बंगला देश के शरणार्थियों के लिये साधन जुटाने का विरोध नहीं करते लेकिन जिस ढंग से सरकार यह साधन जुटाने जा रही है हम उसका विरोध करते हैं। समाज के उच्च वर्ग को ये छूएंगे नहीं और इसे संकट काल में कुरबानी देने के लिये नहीं कहेंगे। देशभक्ति और बलिदान आदि हर प्रकार के भाषण मध्य वर्ग और गरीब लोगों को ही दिये जाते हैं।

आप लोगों को अखबार और पत्रिकाएं न पढ़ने के लिये मजबूर कर रहे हैं। विधेयक में छोटे, मध्यम तथा बड़े हर प्रकार के समाचार पत्रों पर समान कर लगाने की व्यवस्था है। यदि 90 प्रतिशत समाचार पत्रों पर यह कर नहीं लगाया जाना है तो इस प्रकार के कर लगाने की आवश्यकता ही क्या थी ?

इस संकट काल में गैरसरकारी वर्ग को बलिदान के लिये क्यों नहीं कहा जाता और क्यों नहीं उनके ऊपर किसी प्रकार का कर लगाया जाता ? सरकार इस पर क्यों विचार नहीं करती ? सरकार आयातित शराब पर क्यों नहीं कर लगाती ?

आप हर प्रकार का बलिदान तथा हर प्रकार की देशभक्ति देश के गरीबों से ही चाहते हैं ? आप हमसे इसके समर्थन की आशा रखते हैं। समाचार पत्रों के कालेधन के बारे में जो कुछ श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जाता।

विज्ञापनों और विशेषकर बड़े-बड़े अखबारों के विज्ञापनों पर क्यों नहीं कर लगाये जाते ? इस प्रकार सम्पन्न वर्ग को छोड़कर सर्वसाधारण पर बोझ डाल कर देश के लोगों का जोश तथा उत्साह नहीं जगा सकते। जो लोग अधिक बलिदान देने में समर्थ हैं, उनसे अधिक बलिदान लिया जाना चाहिये।

हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि साधन जुटाने का यह कोई तरीका नहीं है जो विधेयक के माध्यम से उपयोग में लाया जा रहा है। लोगों का बोझ बढ़ाने के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अतः मैं सरकार से इस विधेयक को वापिस लेने का आग्रह करता हूं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सरकार इस विधेयक को बड़ी हिचकिचाहट के साथ लाई है। सीमा की बिगड़ती स्थिति ने ही सरकार को इस अध्यादेश को जारी करने के लिये बाध्य किया था। मुझे आशा है कि सारा सदन इस स्थिति की गम्भीरता को अनुभव करेगा।

माननीय सदस्यों ने अध्यादेश द्वारा कर लगाने की जो बात की है, मैं उसे पूरी तरह से समझती हूं। यह पहला अवसर नहीं जब हमने अध्यादेश द्वारा कर लगाये हैं। इससे पहले भी 6 अवसरों पर हमने अध्यादेशों द्वारा कर लगाये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को बताना चाहती हूं कि प्रति दिन 15 हजार प्रतियां प्रकाशित करने वाले अखबारों को छूट देने के लिये 5 नवम्बर को एक अधिसूचना जारी कर दी गयी है। 75 प्रतिशत समाचार पत्रों को इस शुल्क को देने की छूट दी जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह छूट 90 प्रतिशत से 75 प्रतिशत पर आ गयी है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : 75 प्रतिशत समाचार पत्रों को पूर्ण छूट दी जायेगी और शेष 25 प्रतिशत केवल .....

सभापति महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पूछा है कि क्या यह 90 प्रतिशत वितरित प्रतियों के बारे में है या समाचार पत्रों की संख्या के बारे में है ? क्या मंत्री महोदय के पास ऐसी सूचना है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं अभी इसका स्पष्ट उत्तर न दे सकूंगी। इसे माननीय सदस्यों को भेज दिया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : चूंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः मंत्री महोदय इसका उत्तर कल दें .....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये बतायें कि इन्होंने 7 करोड़ रु० की गणना किस प्रकार की है। यदि यह बतायें तो बात स्पष्ट हो जायेगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगी ...

सभापति महोदय : मंत्री महोदय कितना समय लेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं थोड़ा समय लूंगी।

सभापति महोदय : ये अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 26 नवम्बर, 1971/6 अग्रहायण, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 26, 1971/Agrahayana 6, 1893 (Saka.)